(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5]   दसवीं विधान सभा के पंचम सत्र का द्वितीय दिवस   [संख्या : 2

शुक्रवार,

27 अक्टूबर, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा)।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजनीति में पांच दशक तक अपना सक्रिय योगदान करने के पश्चात कल चौधरी कुम्भाराम आर्य का निधन हो गया। चौधरी साहब राजस्थान की राजनीति पर एक ऐसी छाप छोड़कर गये हैं और किसानों के हितों के लिये उन्होंने सदा प्रयत्न किया, संघर्ष किया। उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व संसद में किया, यहां किया और मंत्री की हैसियत से किया। मान्यवर, इस पूरी स्थिति को ध्यान में रख कर आपके माध्यम से मैं सदन के नेता से भी अनुरोध करूंगा कि आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के पश्चात् स्थगित कर दी जाए, ताकि सम्माननीय दिवंगत नेता की अन्तिम यात्रा में हम सम्मिलित हो सकें और राजस्थान का यह सदन उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त कर सके।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बोलें, उससे पहले, जब ऐसी ही बात है तो प्रश्न-काल इतना क्या महत्वपूर्ण है कि उसके लिये हम एक घंटा बैठें। स्ट्रेट-अवे हो आप ले लीजिये। प्रश्न-काल इसमें कौनसी अहमियत का है। जब हम दूसरे बिजनस को एडजोर्न करने की सोच रहे हैं तो प्रश्न-काल को लेकर इस *आंशिक सद्भावना के बजाय तो सम्पूर्ण सद्भावना का परिचय हमें देना चाहिये। मेरा ख्याल है कि मुख्य मंत्रीजी इस पर सोचेंगे और प्रश्न-काल को भी स्थगित करने का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : प्रश्न-काल नहीं होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावना प्रकट की है, उसी प्रकार की भावना मेरी है। मैंने इस सम्बन्ध में कल विपक्ष के नेता से और मुख्य सचेतक जी से बात की थी और अध्यक्ष महोदय आप से भी निवेदन किया है कि क्वेश्चन ऑवर हो जाय, उसके बाद में यह जो कागज सदन की मेज पर रखने हैं, रख दें। शोकाभिव्यक्ति हो जाय और उसके बाद में हाउस एडजोर्न कर दिया जाय, उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

---

* शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी ।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से झुन्झुनूं जिले के किसान, जो दीपावली के दिन भी कई गांवों में बगैर खाने के रहे, पीने को पानी नहीं मिला, दीपावली के दिन भी अन्धेरे में रहे । दीपावली नहीं मना सके, बिजली के कारण हजारों की तादाद में किसान बुआई नहीं कर पाये हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रही....

श्री अध्यक्ष : बिजली का रखा है ।

श्री शीशराम ओला : सुनिये, मेरी बात सुनिये । मैं तो बहुत कम बोलता हूं, मैं तो बोलूंगा । मुझे दो मिनट बोलने दीजिये । हजारों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने लाखों रुपये जमा करा दिये नर्सरी के तहत, उन्हें बिजली नहीं दी जा रही है । बिजली बोर्ड का यह आदेश था कि 15 दिन में बिजली दे दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : बिजली पर इन्होंने अलग से बात रखी है ।

श्री शीशराम ओला : यह स्थिति, अलग की नहीं, झुन्झुनूं जिले की स्थिति है । झुन्झुनूं जिले की अलग स्थिति है, अध्यक्षजी ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उस दिन आप बता देना । उस दिन बिजली का डिस्कशन होगा ।

श्री शीशराम ओला : यही हालत एक पोल और दो पोल के खम्भों की है । कृपया, झुन्झुनूं जिले के किसानों को राहत दिलावें, बिजली की व्यवस्था करवायें, ताकि वे खेती कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री शीशराम ओला : पेंडिंग पड़े कनेक्शन दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा)। श्री दयाराम परमार ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

मुद्रांक प्रकरणों में पारित बकाया

26. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : (श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) के स्थान पर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–**

(1) क्या यह सही है कि मुद्रांक प्रकरणों में पारित बकाया राशि आदेश की तिथि से 30 दिवस में जमा नहीं करने पर 12 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है ? क्या उक्त प्रक्रिया इकतरफा है ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया किन नियमों के आधार पर अपनायी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि मुद्रांक प्रकरणों का निर्णय अपीलीय निर्णय है ? यदि हां, तो अन्तिम निर्णय से पूर्व (उच्च न्यायालयों के निर्णय से पूर्व) उक्त प्रकार की राशि जमा करवाने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार के इकतरफा निर्णय को बदल कर जनता के हित में नियमों का सरलीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां । राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के नियम 71-क में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति फीस या शास्ती की राशि आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर-भीतर जमा नहीं करवाता है तो आदेश की तारीख से रकम जमा करवाने की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(2) जी, नहीं । भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) के द्वारा पारित निर्धारित आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के नियम 73 में यह प्रावधान है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 90 दिवस के भीतर-भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है । इसी नियम में यह भी प्रावधान है कि यदि सम्बन्धित व्यक्ति सम्पूर्ण वसूलनीय रकम के संदाय के लिये बैंक गारंटी दे देता है अथवा वसूलनीय रकम की 50 प्रतिशत राशि जमा करवा देता है तो वह कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध स्टे हेतु आवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) वर्तमान में नियमों में कोई संशोधन किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध स्टे लगाने का प्रावधान है और वह स्टे तब लग सकता है जब 50 प्रतिशत राशि जमा करा दें या बैंक सम्पूर्ण राशि जमा कराने की गारंटी ले । कलेक्टर के वहां, अपील के बाद में मान लीजिये उस आदेश को निरस्त कर दिया गया तो 50 प्रतिशत राशि जो जमा करायी, उसका क्या होता है और वह 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये अगर आप पहले आदमी को मजबूर करते हैं तो क्या वह न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत है ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान इसलिए रखा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी शास्ती या राशि लगायी जाती है, कई बार स्टे लेकर लम्बे समय तक उस केस को चलाते रहते हैं और राज्य सरकार का पैसा वसूल नहीं हो सकता । 50 प्रतिशत राशि का प्रावधान इसलिए रखा गया, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है तो जो भी वसूलनीय राशि है, जो भी वसूल योग्य है, उसका 5 प्रतिशत अगर वह जमा करा दे तो उसको स्टे आर्डर उस पर मिल जाता है । यदि वह आदेश मुख्य नियंत्रक लेखा से वितरीत कर दिया जाता है या उसको सेट-असाइड कर दिया जाता है तो 50 प्रतिशत राशि जो जमा कराते हैं, उसको राज्य सरकार द्वारा वापस लौटा दी जाती है । इसमें राज्य सरकार की तरफ से यह कोई मेंशन नहीं है लेकिन चूंकि आप स्वयं इस बात से वाकिफ हैं कि आपने स्वयं जब इधर बिराजते थे, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया था और उसके अन्दर राज्य सरकार की करीब 17 करोड़ रुपये की राशि इन्वाल्व थी और वह व्यक्ति लगातार कोर्ट के अन्दर जाकर स्टे लेकर उस पैसे को एनजॉय करता था और राज्य सरकार को लम्बे समय तक न

(श्री अनंग कुमार जैन)

तो वह पैसा मिल पाता था, न उस पैसे पर इंट्रेस्ट मिल पाता था। इसलिए जो बड़े-बड़े भूमिधारी हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े हस्तान्तरण करते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का, बड़ी-बड़ी भूमियों का या बड़ी फैक्ट्रियों का और वह किसी भी प्रकार से मैनेज करके कानून के प्रावधानों में पैसे बचाते हैं, कम रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, कम पैसा राज्य सरकार में जमा कराते हैं तो वे लोग इस प्रकार नहीं बच सकें, कानून की गिरफ्त में आयें, कानून के सभी प्रावधानों की पालना हो और जो पैसा इनसे वसूल करने योग्य है वह पैसा समय पर राज्य सरकार में जमा हो जाय। इसी दृष्टि से यह प्रावधान रखा गया है और यदि अपीलेट कोर्ट इसको सेट असाइड कर देती है तो वह 50 प्रतिशत पैसा उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाता है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या पूछना रह गया।

प्रश्न संख्या 27

श्री जुबेर खान।

(अनुपस्थित) : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल इन्दौरा : स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं-नहीं। मैं तो यह जानना चाहता था कि....

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। एक सैकण्ड, श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा प्रश्न संख्या–31 है। 34 बोल दिया ना इन्होंने।

एक माननीय सदस्य : अगला सवाल चालू हो गया।

श्री अध्यक्ष : कोई बात हो तो मंत्रीजी से कर लेना।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपली बात तो है नहीं, बहुत जरूरी बात है। शिड्यूल्ड कॉस्ट की जायदाद के खरीद-फरोख्त पर जो स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, उसमें कंसेशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, यह तो अलग बात है। यह तो नीतिगत बात है, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

जिला भरतपुर की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कें

28. **श्री हरिसिंह** : (कुम्हेर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष आयी भरतपुर जिले की बाढ़ में सड़कें क्षति–ग्रस्त हुई हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची मय क्षति के अनुमान के सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह)

(2) क्या उक्त सड़कों की मरम्मत सरकार द्वारा कराई जावेगी ? यदि हां, तो क्या मरम्मत हेतु तखमीने बना लिये गये हैं और उनकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) (अ) : जी, हां। इस वर्ष 1995 में भरतपुर जिले में आयी बाढ़ से 128 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा 13 सड़कें जो कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से निर्माणाधीन हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। 128 सड़कों की मरम्मत कराने हेतु अनुमानित लागत 896.00 लाख है एवं कृषि विस्तार योजना अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की अनुमानित लागत 11.60 लाख है। सूची प्रपत्र "अ" और "ब" संलग्न है)

(ब) राष्ट्रीय राज मार्ग 11 जो कि भरतपुर जिले में आता है, पर अनुमानित लागत 106.00 लाख रुपये की क्षति हुई है।

(2) (अ) जी, हां। उक्त सड़कों की मरम्मत करायी जाएगी जिसके अनुमानित तखमीने बना लिये गये हैं, विस्तृत तखमीने बनाये जा रहे हैं और जिन सड़कों पर यातायात अवरूद्ध हो गया था उन पर तात्कालिक मरम्मत करवाकर यातायात चालू करवा दिया गया है। लेकिन इन बाढ़ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जिससे कि सड़कों का पूर्व स्वरूप पर लाने के लिये 896.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी, अब तक लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(ब) राष्ट्रीय राज मार्ग 11 पर लगभग 15 लाख रुपये व्यय करके आवश्यक मरम्मत कराकर मार्ग को मानसून के पूर्व की स्थिति में ला दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि विस्तृत तखमीने बनाये जा रहे हैं। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन सड़कों पर बाढ़ के दिनों से एक फीट से लेकर तीन फीट तक पानी भरा रहा है। जैसे उस सड़क को ही देख लीजिये जिस पर से होकर आप भरतपुर से गोवर्धन जाते हैं, उस पर करीब तीन फीट पानी भरा रहा है काफी दिनों तक, तो क्या ऐसी और भी सड़कें हैं ? उन सड़कों को आप इतना ऊंचा उठाएंगे कि भविष्य में उन पर पानी नहीं आये ? एक बात।

दूसरी बात यह है कि सड़कें बाढ़ के पानी से कटी हैं। एक नहीं कई जगह पर सड़कें कटी हैं, उन पर आप कोई पुलिया या और प्रकार से पानी निकालने का रास्ता कल्वर्ट बना करके बनाएंगे ? इस प्रकार के तखमीने आप बनवा रहे हैं ? नहीं बनवाये हैं, तो क्या वह आप इसमें जोड़ेंगे ? यह प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मैंने 896 लाख रुपये बताये हैं यह तो अभी जो सड़कें हैं और जो पूर्व स्थिति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

थी उसकी मरम्मत कराने के लिये इतना पैसा चाहिये। आपने जो बात कही है उसमें मेरी सहमति है, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनन्डेशन से ही सारे भरतपुर में लगातार सिंचाई भी होती रही है। कई वर्ष बाद यह बाढ़ आयी है और इस बाढ़ के कारण निश्चित रूप से सड़कों पर कुछ-कुछ स्थानों पर एक फीट से तीन फीट तक पानी आया है, ऐसी बाढ़ आयेगी तो निश्चित रूप से उन सड़कों को ऊंचा करना होगा और वहां इस प्रकार की छोटी पुलियाओं का निर्माण करना होगा। उसका एस्टीमेट भी हमने बनाया है जो इसके अतिरिक्त हैं, वह है 523 लाख रुपये का। शायद माननीय सदस्य को भी इस बात की जानकारी है कि आजकल लगातार बाढ़ के रूख बदलते रहते हैं। एक तो बाढ़ आती है कई वर्षों बाद, वैसे तो मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से प्रति वर्ष भरतपुर में बाढ़ आये जिसका बहुत बड़ा फायदा और होता है। सड़कें तो टूटती हैं उनकी तो हम मरम्मत करवा लेंगे....

श्री अरुण सिंह (डीग) : मंत्रीजी, बाढ़ से बहुत ही नुकसान हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां।

श्री अरुण सिंह : मंत्रीजी, भरतपुर तो बिलकुल ही डूब गया।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आप कहते वर्षा आनी चाहिये। बाढ़ नहीं आनी चाहिये।

श्री अरुण सिंह : मंत्रीजी, आपका यह वक्तव्य गलत है। भरतपुर तो बिलकुल ही डूब गया।

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, बिराजिये आप।....(व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की संवेदनशीलता है? ....(व्यवधान)....दुहाई दे रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां। बोल रहा हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह पूनम चंदजी से पूछिये। 'मेहा तो वर्षा भला, होना हो सो होय'।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमारे उदयपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य तो इस बात तो नहीं समझ पाएंगे, किन्तु डीग से आने वाले माननीय सदस्य, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कम से कम इतनी बात तो समझ पाऊंगा कि कोई भी मंत्री अगर इस प्रकार की प्रार्थना करें तो इस से बढ़ कर निराशाजनक स्थिति क्या होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार बिराजो तो सही। पूरी बात तो होने दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : सैंकड़ों लोगों की जान बाढ़ के अन्दर चली गयी और आप कह रहे हैं कि बाढ़ हमेशा आती रहे इसी प्रकार से ।....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपको बातों की +++ करना बहुत अच्छा आता है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार बिराजो तो सही ।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुनिये आप । (व्यवधान)....

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में दो डिवीजन हैं और कम से कम 13 करोड़ का नुकसान हुआ सड़कों का । बाढ़ भरतपुर के लिए फायदेमंद नहीं थी नुकसानदायक थी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय बिलकुल ठीक है कि बाढ़ का जो स्वरूप इस बार आया उसने नुकसान किया, उसकी रिपेयर होनी चाहिए किन्तु इसके बावजूद मेरी इससे सहमति होगी और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बाढ़ का भी रूख, पानी का प्रवाह भी लगातार बदलता रहता है और इसलिए जब यद्यपि हमने इस बाढ़ के आने के कारण 896 लाख के सामान्य रिपेयर के साथ-साथ 523 लाख के वह काम भी तखमीने हमने करवा लिये हैं जिनको निश्चित रूप से हम को करना आवश्यक होगा यदि इसी प्रकार की बाढ़ और इसी गति से बाढ़ आयी । किन्तु यह केवल संभव होगा निधि की उपलब्धि पर । मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो 896 लाख रुपये का प्रावधान है वह तो हम निश्चित रूप से जून, 1996 तक न-केवल आपके जिले में, बाढ़ग्रस्त पांचों जिलों में जहां-जहां नुकसान हुआ है उनमें कराएंगे और 523 लाख रुपये के इस प्रकार हैं कि जो प्रोटेक्शन चार्जेज कहे जाते हैं जिनमें सड़कों को ऊंचा करना है, उनके बारे में भी धन की उपलब्धि के साथ विचार करके उसका भी काम कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से भरतपुर बाढ़ की स्थिति में आया है उस तरीके से जालौर जिला भी हमेशा बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है और जालौर जिले के अन्दर भी सड़कें टूटी हुई हैं । वहां पिछले तीन साल से एक पैसे का काम नहीं हुआ । जो स्वीकृति हुई उसके पैसे नहीं आये और आज दिन तक भी वह सड़कें अधूरी हुई हैं पूरे जालौर जिले की । आप जोधपुर से जालौर जाय, जोधपुर से जालौर जाने वाला जो रोड है उस पर पूरा नदी इलाका है, पूरा बाढ़ का इलाका है वहां 10 किलोमीटर तक का लम्बा इलाका पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है । हमेशा सड़कें बाढ़ से टूटती हैं, उन सड़कों को ऊंचा नहीं किया जाता है और हमेशा इसी तरह के आश्वासन देते हैं । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमेशा बाढ़ आये, हम तो पहले ही बाढ़ से डूब रहे हैं और ऐसी बाढ़ आएगी तो फिर हम कहां बसेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरा जिला बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ से घिरा हुआ इलाका है ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । अभी प्रश्न मात्र भरतपुर जिले तक सीमित है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाईमाधोपुर जिले में भी बहुत भयंकर बाढ़ आयी और उसमें सारी सड़कें टूट गयी हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, दूसरों का प्रश्न आने दें ।....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : आगे जाने के रास्ते बंद हो गये । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सवाईमाधोपुर जिले में भी पहले काम आप करायें और सड़कों को ठीक करायें ।... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो शुभकामना की है वह भरतपुर जिले के लिये आवश्यक है लेकिन उसकी पृष्ठभूमि आपने नहीं बतायी....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये आप ।....(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) जो स्थिति है वह मंत्रीजी से कोई छिपी हुई नहीं है और वह सड़कों का आश्वासन दिलाये ।....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय चाहते हैं बाढ़ आये और रिपेयर के लिये ज्यादा पैसे मिले और इनके यहां भी ज्यादा कमीशन पहुंचे । इसलिए बाढ़ चाहते हैं । .. (व्यवधान)....

श्री हीरालाल विश्नोई : कमीशन पहुंचे फिर बाढ़ का काम चालू हो.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री हीरालाल विश्नोई : कमीशन पूरा लेकर भी बाढ़ का सड़कों काम तो पूरा हो कम से कम ।

श्रीमती कमला : लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वह माननीय मंत्री महोदय ने नहीं बतायी इसलिए माननीय सदस्यों में यह कंफ्यूजन है । स्टेट के जमाने में जो इनडेशन सिस्टम था इरिगेशन का वहां पर प्रबन्ध था वह कालान्तर में सारा सिस्टम खतम हो गया ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में मामूली वर्षा हुई थी उन क्षेत्रों में....

श्रीमती कमला : इसलिए इननडेशन इरिगेशन का सिस्टम जो कदीम से चला आता था वह नेटवर्क खतम हुआ है, एक तो उसको जहां जरूरी है रिवाइव किया जाय, आज के हालात में उस व्यवस्था को और मुफीद बनाया जाय तब यह बाढ़ भरतपुर के लिये जिस तरह पूर्व में लाभप्रद रही है वैसे रह पाएगी ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । यह अपन बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे....

श्रीमती कमला : आज के हालात में जिस तरह से बेरोकटोक यह रह गयी है वह नहीं हो पाएगे । इसलिए उस बाबत में जो पृष्ठभूमि इन्होंने नहीं बतायी वह गलती रही है ।

श्री अध्यक्ष : बाढ़ पर, अकाल पर चर्चा होगी तब बात करेंगे। प्रश्न संख्या 29

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन-जिन क्षेत्रों में कम वर्षा हुई थी वहां सड़कें सारी खराब हो गयी। इसका कारण यह है कि पिछले पांच वर्षों से जो घटिया काम सड़कों पर हो रहा है। उसकी जांच करेंगे या नहीं करेंगे ?... (व्यवधान).... जिसके कारण आज सारी सड़कें जोधपुर डिवीजन में बरसात नहीं आयीं उसके बाद भी खराब हो चुकी हैं। इसके बारे में कई मंत्रीजी को लिख चुके हैं; उनकी जांच करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह डामर कहां जा रहा है ? डामर का घोटाला हो रहा है।....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : डामर का घोटाला हो गया....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न आने दें....(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, सीकर से लुहारू तक की सड़क, आज पांच साल हो गये काम चालू हुए, अभी तक ठीक नहीं हुई है। .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डामर का घोटाला बहुत महत्वपूर्ण है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, अभी जालोर की बात नहीं हो रही है भरतपुर की बात हो रही है।....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा :.. फर्जी आ रहा है, डामर बेचा जा रहा है सीधा। आप इसकी जांच करायें। ...(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीकर से लुहारू नेशनल हाइवे रोड है पांच साल से टूटी हुई है अभी तक ठीक नहीं हो पायी है।....(व्यवधान)....

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्रीजी को एक सुझाव देना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और पी डब्ल्यू डी. को-आर्डिनेशन कर के भरतपुर जिले की सड़कों को शीघ्र से शीघ्र ठीक करायें।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक बात है। बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सड़कें बतायी हैं उनमें कई सड़कें क्षतिग्रस्त रह गयीं। आप चाहें तो उनके नाम भी आपको बता दूंगा या अभी बता सकता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने किसी उच्चाधिकारी को भेजकर क्या जो सड़कें रह गयीं आप उनके तखमीने बनवायेंगे ? दूसरा, मैंने प्रश्न पूछा था कि इन सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेंगी ?

मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन कर रहा हूं आपके वहां का पी. डब्ल्यू. डी. है, वह बिलकुल सोता रहता है, वह कहीं कोई मरम्मत नहीं करता है, वह पेच वर्क भी नहीं कर पाता है। आपने कहा जून, 1995 तक वह सब काम करा दूंगा। मैं आपसे

(श्री हरिसिंह)

यह निवेदन करना चाहता हूं जब तक आप अपने अधिकारियों को सतर्क नहीं करेंगे तब तक वह जून, 1995 तो क्या जून, 1996 तक उन सड़कों की मरम्मत नहीं करा पायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जून, 1996 कहा है।

श्री अध्यक्ष : जून, 1996 की बात कही है। बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, जून, 1996।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है मैं निश्चित रूप से 22 सड़कें उनके क्षेत्र की मेरे ध्यान में हैं इसमें 18 हैं, 2 कृषि उपज मण्डी की हैं और दो सड़कें और हैं। मैंने विभाग को कहा है कि इन दोनों सड़कों में भी कहां-कहां क्षति हुई है इसको देखकर बनाये और उसका तखमीना बनाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यद्यपि इसका सम्बन्ध नहीं था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बरसात पहले कम परिमाण में होती थी इसलिए स्पेसिफिकेशन उसके अनुसार थे। यह तो प्रभु की कृपा है कि इस बार 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की बरसात हुई है। 50 करोड़ की सड़कों का नुकसान हुआ है यह तो ठीक कराएंगे, किन्तु उन्होंने जांच करने की बात कही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार सड़कों का जिस तरह से विस्तार हुआ है और जिस तरह नवीनीकरण की चर्चा चल पड़ी है यह बात सच है कि आज, जो स्पेसिफिकेशंस पुराने थे, उन स्पेसिफिकेशंस में.... (व्यवधान) बैठिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाईमाधोपुर में आपने सड़कें नहीं बनायीं (व्यवधान) कहां बनायी बताइये आप ?

श्री हीरालाल विश्नोई : आपने एक किलोमीटर सड़क नहीं बनायी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भरतसिंह जी, आप बिराजिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : और बनायी है तो बता दीजिये माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। उनकी बात तो सुनें।

श्री भरतसिंह : कौनसी बनायी है 1990 से लेकर आज तक ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार की बरसात अब होने लगी है। यह प्रभु की कृपा है। स्पेसिफिकेशंस निश्चित रूप से हम उसके अनुसार बदल रहे हैं और बदले हुए स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ही अब सड़कें बनायी जाएंगी ताकि क्षतिग्रस्त न हों यह मैं कहना चाहता हूं। जहां-जहां इस प्रकार की क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनकी जांच अवश्य करायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पहले सड़क में सोईलिंग होता था वह बड़े पत्थर बिछाकर होता था। क्या यह सही है कि अब क्रंक्रीट से करते हैं और उस पर पानी थोड़ा सा आने पर ही सड़क टूट जाती है ? आप गलतबयानी कर रहे हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बड़े पत्थरों का तो सोईलिंग आब्सोलिट हो गया। It has been rejected by all parties

श्री शीशराम ओला : आप सुनने की कोशिश करें। पहले जितनी सड़क बनी हुई है वह पत्थर बिछाकर बनी हुई है अब आप रोड़ी से बनाते हो, घटिया माल लेते हो और जहां बारिश की बात करते हो। आप 1982 में कहां गये थे, आप 1967 में कहां गये थे तब आपकी सरकार थी कहां ? सब बह गये पानी में, सरकार आती रही और आयेगी आप नहीं आने वाले।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से सही नहीं चल रही है। आपको जैसा मालूम है कि हमारे यहां दो उप खण्ड हैं, दोनों उप खण्डों का आफिस भरतपुर में होने के बाद आपने एक उप खण्ड डीग में ट्रांसफर कर दिया लेकिन उनका स्टाफ अभी भी भरतपुर में बैठता है और जो एक्स. ईएन. महोदय हैं वह डीग बैठते हैं, ए. ईएन. महोदय भरतपुर बैठते हैं। जो ज्यूरिस्डिक्शन बांटा हुआ है उसमें भरतपुर को दो भागों में कर दिया गया है। मैं इस बात को खास तौर से कहना चाहता हूं कि भरतपुर में जो 128 सड़कें क्षतिग्रस्त बतायी हैं उनमें किस सब-डिवीजन में कितनी-कितनी सड़कें हैं ? चूंकि सब-डिवीजनवाइज सड़कों की जब तक आप निर्माण के लिए पूरे आफिसर्स की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप सड़कें समय पर नहीं बना पायेंगे। मात्र इस विधान सभा में यह कह दें कि 1995 तक हो जायेगी, मैं सोचता हूं कि यह मुश्किल है इसलिए प्रोपर ज्यूरिस्डिक्शन डिवीजन के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अरुण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डामर की भरतपुर जिले में बहुत कमी है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर से लुहारू जो सड़क है वह पांच साल से टूटी हुई है इस कारण सीकर से लुहारु जाने में पांच घण्टे लगते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 29।

जिला टोंक के न्यायालय°

29. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई): क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक जिले में सिविल, फौजदारी एवं राजस्व की कितनी अदालतें किस-

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

किस स्थान पर किस-किस नाम से कार्यरत हैं ?

(2) क्या उन अदालतों हेतु अदालत भवन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) प्रत्येक अदालत में कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(4) राजस्व अदालतों में गत दो वर्ष में कितने मामलों का निपटारा किया गया ?

(5) क्या यह निर्धारित मानदण्डों के अनुकूल व उचित है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 29 स्थगित ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दो ।

श्री अध्यक्ष : जवाब दिया है उन्होंने । पूरा जवाब दिया है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जालौर का नहीं दिया है ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 29 को बिना वजह स्थगित किया है । मैं समझता हूं उसके अन्दर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी इनफोर्मेशन नहीं आ सकती थी । आप स्वयं मुलाहिजा फरमा लीजियेगा । बहुत सीधे-सीधे तीन-चार पाइण्ट थे जिनकी इनफोर्मेशन अब तक आ जानी चाहिये थी । मैं समझता हूं राज्य सरकार चलाकर इसको स्थगित करना चाहती है । चूंकि स्थगित नहीं कराने से उसके सामने स्थिति निश्चित रूप से दुखद आयेगी । दो-दो साल से वहां आफिसर्स नहीं हैं, काश्तकार आते हैं अदालतों में चक्कर मारते हैं और चले जाते हैं । भवन नहीं है, आफिसर्स नहीं है, आखिर यह मामला कैसे चलेगा ? सिर्फ इसी कारण सरकार इसको स्थगित करना चाहती है । मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा । बिराजें आप । जवाब आ जायेगा और आपने दोनों प्रश्न गलत कर दिये राजस्व का भी और ये भी ।

प्रश्न संख्या 30

प्रश्न संख्या 30 । श्री एमादुद्दीन अहमद खां जी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रमाकांत जी शर्मा ।

पंचायत समिति थानागाजी के स्वीकृत एनीकट्स का निर्माण

31. श्री रमाकांत (थानागाजी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 1992–93 एवं 1993-94 में 19 एनीकटों के कार्य स्वीकृत किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से 13 एनीकटों के कार्य तीन वर्ष के पश्चात् भी अधूरे हैं ?

(श्री रमाकांत)

(3) क्या यह सही है कि प्रशासन एवं कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण यह कार्य अधूरे हैं ?

(4) क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां। पंचायत समिति थानागाजी में वर्ष 1992-93 में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत 15 एनीकट तथा वर्ष 1994 (संवत 2050) में अकाल राहत के अन्तर्गत 4 एनीकटों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कुल स्वीकृत 19 एनीकट कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 3 एनीकट की स्वीकृति साइट अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निरस्त कर दी गयी, एक कार्य निर्माण स्थल विवादग्रस्त होने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। इस तरह 6 कार्य ही अधूरे हैं। इन अधूरे कार्यों में से 3 कार्य प्रगतिरत हैं, 2 कार्यों के रेकार्ड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा तलब कर जांच विचाराधीन होने के कारण निर्माण कार्य बंद है तथा एक कार्य का निर्माण वर्ष 1994 की अकाल अवधि समाप्त हो जाने के कारण बन्द है। इस अधूरे कार्य को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्रगतिरत योजनान्तर्गत पूर्ण कराने के विभागीय आदेश दिये गये हैं।

(3) कार्य अधूरे रहने के कारणों का विस्तृत विवरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अलवर से प्राप्त किया जा रहा है।

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से अधूरे कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त विवरण के आधार पर दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रमाकान्त : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि 3 कार्य प्रगति पर हैं। यह कार्य 3 वर्ष से चल रहे हैं। एक-एक कार्य एक-एक लाख रुपये का है। यह जो प्रगति की गति है यह यही रहेगी या इस गति के अंदर कुछ सुधार होगा। 2 कार्य बताये हैं कि 2 कार्य के रेकार्ड यहां पंचायत राज के अन्दर ले जाये। 2 वर्ष हो गये इन रिकार्डों को लाये हुए, दो वर्ष से उसमें क्या हो रहा है ? उनको धूप लगायी जा रही है या उस पर कोई कार्यवाही की गयी है या आगे कोई जांच की गयी है, इसका कुछ पता नहीं है। एक कार्य बताया गया है कि अकाल में काम किये गये थे और अकाल कार्य बन्द हो जाने से वह काम बन्द हो गया। यह काम 1992 के अकाल का है। उसमें बाद में 1993 चला गया, 1994-95 के अंदर फिर अकाल का काम हुआ। अकाल के कार्यों में कहा जाता है कि अकाल के अधूरे कार्य पहले लिये जायं। इस काम को क्यों नहीं लिया गया ?

चौथी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि कार्य अधूरे रहने के कारणों का विस्तृत

(श्री रमाकांत)

विवरण अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। विस्तृत विवरण कोई बनाया जायेगा, किस तरह से बनाया जाएगा और विभाग में विस्तृत विवरण आज तक क्यों नहीं है? प्रश्न पूछा उसके बाद में भी विस्तृत विवरण नहीं आया है। किस प्रकार की चीज चल रही है। बताया गया है कि जिन लोगों ने कोताही बरती है, शिथिलता बरती है उनके विरूद्ध अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है। क्यों नहीं की गयी है? यह तो बड़ा साधारण सा जवाब हो गया कि कार्यवाही नहीं की गयी है। क्यों नहीं की गयी है, इसके बारे में बतायें। अन्त में यह बात कहना चाहूंगा कि सारे थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर कार्यों में जो शिथिलता बरती जा रही है उससे मुझे ऐसा लगता है कि थानागाजी क्षेत्र पंचायत राज की उपेक्षा का शिकार हो रहा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय मैं इसके साथ ही एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जो अधूरे कार्य हैं उनको आपने पूरा कराने की बात कही है। जो पहले एनीकट बन चुके हैं, इस बरसात के अंदर वह काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं और उसके पहले भी कुछ बंधे टूटे हैं उनके रिपेयर का अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं है। सिंचाई विभाग यह कहता है कि यह हमारा काम नहीं है, डी.आर.डी.ए. यह कहता है हमारे पास इसके लिये फण्ड्स नहीं है और कृषि विभाग यह कहता है कि सिर्फ सोइल कंजर्वेशन का हमने कभी अगर कोई कार्य लिया होगा तो वही हमारे काम का है बाकी हम इसको टेक अप नहीं कर सकते। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से खास तौर से यह निवेदन है कि इन एनीकट्स और जो छोटे बंधे हैं इनका किसी न किसी डिपार्टमेंट को जिम्मा सौंपना चाहिये जिससे इनकी देखरेख हो सके, इनकी मरम्मत हो सके। मैंने आपको पिछले अधिवेशन के वक्त में यह चिट्ठी लिखी थी कि जल संग्रहण और जल उपयोग के सम्बन्ध में एक विभाग कायम किया जाय। आपने मुझे उसका यह जवाब दिया कि हमने एक ऐसा विभाग कायम कर रखा है। मैंने उसका पता किया तो जानकारी मिली कि अलग से कोई ऐसा विभाग कायम नहीं हुआ है सिर्फ कृषि विभाग में जो वाटर शेड का अलग से एक सेक्शन होता था उसको अलग से विभाग कायम कर दिया है जो यह काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस मुद्दे को बहुत गम्भीरता से देखें। जल को रोकने के लिये और जगह पर जल रूकने के कारण वहां पर नमी रहे, वहां पर वेजिटेशन हो, पानी का प्रोपर यूटिलाइजेशन हो, उसकी मेंटीनेंस हो इसके लिए विशेष तौर पर प्रबन्ध किया जाना चाहिये वर्ना इस तरह के बंधे टूट टूट करके साफ हो रहे हैं। मेरे इलाके में जग्गा जी और सिक्का बंध आज से बीस-पच्चीस वर्ष पहले के बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो यह थानागाजी की बात हो रही है।

श्रीमती कमला : वह टूट गये, साफ हो गये, मिट्टी तय हो गयी है और वहां यह पता नहीं लगता है कि....

श्री अध्यक्ष : यह थानागाजी की बात हो रही है आप बिराजें।

श्रीमती कमला : यह बहुत जरूरी काम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्रीमती कमला)

क्या तकलीफ हो रही है मंत्री महोदय जवाब देंगे। मेरा यह निवेदन है कि इनकी मरम्मत के लिये, इनके रख-रखाव के लिये और आगे से इनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में जल संग्रहण योग्य बनाने के लिये आप इसका समुचित प्रबन्ध कराने का विश्वास दिलायें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार द्वारा दौसा जिले में एनीकट्स के निर्माण पर रोक लगायी गयी है जबकि वर्षा का जो पानी है उसको एकत्र करने के लिये केवल एनीकट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे पानी का सराव हो सकता है और कुओं में नीचे जाकर तल वापस ऊपर आ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार की दोतरफा नीति नहीं होनी चाहिये कि एक तरफ एनीकट्स के निर्माण के लिये पंचायत समिति अधिकृत हो....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, यह थानागाजी से सम्बन्धित नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार की एनीकट बनाने के बारे में क्या स्थायी नीति है इसके बारे में घोषणा की जाए और जो दौसा जिले में रोक लगी हुई है उसको हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह थानागाजी की बात हो रही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है अलवर में यह आम समस्या है कि एनीकट स्वीकृत हुए पड़े हैं, पैसा भी मौजूद है, परन्तु काम शुरू नहीं कराया गया है तो इसका औचित्य क्या है? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो एनीकट सेंक्शन हुए पड़े हैं, कई वर्षों से जिसके लिए पैसों का प्रावधान जिले में मौजूद है, उनके ऊपर कब से कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 19 एनीकट स्वीकृत किये गये हैं उनमें से 9 एनीकट पूर्ण हो चुके हैं, 3 एनीकट्स पर साइट के आब्जेक्शंस के कारण उपयुक्त साइट नहीं होने के कारण उन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, दो एनीकट ऐसे हैं जिनके ऊपर शिकायत प्राप्त हुई कि इनके अन्दर घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और अनियमिततायें हैं इसलिए पंचायत राज विभाग द्वारा उन पर जांच की जा रही है तथा उनकी फाइल और सारे कागजात उन्होंने तलब कर रखे हैं। उनको भी हमने लिखा है कि इस पर शीघ्रता से जांच करके इसका निस्तारण किया जाय। एक एनीकट जो अकाल राहत के अन्दर प्रारम्भ किया गया था, अकाल राहत में जो भी कार्य प्रारम्भ किये गये थे उनके लिए विभाग को पहले भी निर्देश दिये जा चुके हैं कि जो अधूरे कार्य हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध साधनों के आधार पर कम्पलीट करवाया जाय। विभाग द्वारा लगातार इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कार्य प्रारम्भ हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जाय।

(श्री अनंग कुमार जैन)

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के साथ जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जा रहा है बल्कि जितने एनीकट मंजूर किये थे उनमें से अधिकांश कम्पलीट हो चुके हैं। तीन एनीकट तो इसलिए रिजेक्ट किये गये कि उनकी साइट उपयुक्त नहीं थी, वहां जब मौके पर जाकर देखा गया और उनका इंस्पेक्शन किया गया तो यह पाया गया कि यह साइट उपयुक्त नहीं है। यहां पैसा लगाना व्यर्थ जाएगा इसलिए उनको निरस्त किया गया। फिर भी मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अधूरे कार्य हैं उनको प्राथमिकता से जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा दिया जाएगा, इसके लिए विभाग को निर्देश भी दे दिये गये हैं और अधिक सख्ती से निर्देश दिये जाएगें।

विराटनगर से आने वाली सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है वह जनरल प्रश्न है।

श्री रमाकान्त : इन्होंने वापस अबकी बार फिर वही बात रिपीट कर दी जो इन्होंने उत्तर में लिखा हुआ है। जो पढ़ा उसको फिर दुबारा वैसा का वैसा कह दिया। मैंने पांच प्रश्न पूछे उनमें से एक का भी उत्तर नहीं आया है और जहां पर साइट की बात है यह बात समझ में आ सकती है कि जहां स्वीकृत हुआ वहां उस जगह से दोनों किनारे ठीक नहीं हों उससे एक फर्लांग ऊपर ले लिजिये या उससे एक फर्लांग नीचे ले लीजिए। कभी भी एनीकट ऐसे स्वीकृत नहीं होता है चैन नम्बर तीन अंश चार का होगा, वह तो गांव का नाम और नले का नाम लिया जाता है। दस फीट, बीस फीट, पचास फीट, एक फर्लांग ऊपर लाकर बना देते हैं, नीचे बना देते हैं। यह न काम करने के बहाने हैं। काम नहीं किया गया है इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो मैंने प्रश्न पूछा प्रगति के बारे में, दो-तीन वर्ष से यहां पर रिकार्ड आये हुए पड़े हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। अकाल के काम भी तीन-तीन वर्ष से पड़े हुए हैं उनको पूरा नहीं करना, जिन अधिकारियों ने कोताही बरती है उनके अगेन्स्ट कोई कार्यवाही नहीं करना, विस्तृत ब्यौरा इनके पास मौजूद नहीं होना, इनका एक का भी जवाब नहीं आया है।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा विस्तृत ब्यौरा है हर एनीकट के बारे में।

श्री रमाकान्त : आपने लिखा है कि विस्तृत विवरण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : चार जो एनीकट मंजूर किये गये अकाल में उनमें से तीन पूर्ण हो चुके हैं और एक अधूरा है। अब तीन एनीकट पूर्ण हो गये तो कार्य की प्रगति बहुत अच्छी है या कमजोर है आप, अध्यक्ष महोदय, स्वयं फरमा सकते हैं।

श्री रमाकान्त : तीन वर्ष में कितना काम हुआ है ?

श्री अनंग कुमार जैन : जो 15 एनीकट 1992–93 में मंजूर किये गये थे उनमें से 9 कम्पलीट हो गये, 3 पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ इसलिए विभाग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह प्राथमिकता के आधार

(श्री अनंग कुमार जैन)

पर किया जा रहा है। उसके बाद भी माननीय सदस्य को एतराज है कोई नाराजगी है किसी अधिकारी से तो आप मुझे लिखकर दे दें मैं उसके ऊपर जांच करवाकर के जो दोषी व्यक्ति होगा उसको निश्चित रूप से सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर कोई लेप्सेज होंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री रमाकान्त : माननीय मंत्री महोदय, कम से कम एक दर्जन चिट्ठियां लिखी हैं मैंने पंचायती राज विभाग को और कम से कम एक दर्जन कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है और अब आपको भी लिखकर भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप मंत्री जी से बात कर लें। श्री बृजेन्द्र सिंह जी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब रह गया। मरम्मत के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? मेरे 15 एनीकट टूटे पड़े हैं, वर्षों से टूटे पड़े हैं और उनकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है उसकी व्यवस्था के लिए आप क्या आश्वासन दे रहे हैं। आप शुरू से चलिये निठारा, देवण, कांठ, लाखणी, देवीपुरा, पीपलोद, बाडीजोडी, बिशनगढ़ सब टूटे पड़े हैं, कई तो ऐसे बिलकुल सपाट टूट गये हैं कि मिट्टी उनके अन्दर आ गयी है और उनकी मेंटीनेंस ही नहीं हो रही है इसलिए आप इसकी कुछ व्यवस्था करने का आश्वासन दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका आश्वासन दिलवाइये नहीं तो बनाते जाइये और तोड़ते जाइये....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके जिला कलेक्टर वहां डी.आर.डी.ए. में पैसे होते हुए भी एनीकट्स की मंजूरी नहीं करते हैं और चार-चार, पांच-पांच साल से हम सेक्रेटेरियट के माध्यम से, विधान सभा के माध्यम से एनीकट्स के लिए कहते रहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य अकाल राहत और बाढ़ पर चर्चा होने वाली है उसकी डिबेट में भाग ले लेंगे। माननीय कमला जी ने बात करी इन्होंने जमवा रामगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण करके वहां एनीकट बनाये हैं। मैं कुछ बोलूंगी तो बात बुरी लगेगी। तमाम हमारे बंधे का सत्यानाश कर दिया। अगर यह बात कहने की है और यह उनकी मरम्मत कराना चाहती है....

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह विकास चाहते हैं या विनाश? राजस्थान की बात हो रही है आपको क्या एतराज है।

श्रीमती कमला : कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। अगर एनीकट बांधकर जमवा रामगढ़ का पानी रोका गया होता तो आज जमवा रामगढ़ का इतना भराव नहीं हो सकता था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो तकदीर से भर गया। आपकी तो कोई नीयत नहीं थी। न आपकी थी न भैंरूलाल जी भारद्वाज की थी। दोनों ने आ आकर के 47 एनीकट बनवाये थे... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या आप व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इस तरह से एनीकट बने हुए होते तो....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहती हूं कि आप जयपुर को पानी पिलाना नहीं चाहते। आपकी सरकार ने कभी हमारी बात नहीं सुनी।

श्रीमती कमला : आप बिराजिये। आपको तकलीफ नहीं हो रही तकलीफ हमको हो रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1981 में मेरे इलाके में 110 बंध टूटे, एक बंध नहीं बनने दिया जब आपके अधिकार क्षेत्र में था, आप क्या बात करती हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बैठ जाइये। आप वो दिन भूल गये जिस समय आप यहां से बोलते थे और हर बात के लिए अपना हक मांगते थे। .. (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जमवा रामगढ़ का जो केचमेंट है....

श्री अध्यक्ष : यह अभी जमवा रामगढ़ की बात नहीं हो रही है।

श्रीमती कमला : आप मेरी बात सुनिये। जमवा रामगढ़ का केचमेंट शाहपुरा है, जमवा रामगढ़ का केचमेंट आमेर है, जमवा रामगढ़ का केचमेंट जमवा रामगढ़ है। तमाम एरिये में इसके केचमेंट में से पानी आता है जो जमवा रामगढ़ में आता है अगर वह केचमेंट रूका हुआ होता तो जमवा रामगढ़ कहां से भर गया? इसलिए यह बिलकुल गलत बयानी कर रही हैं और जो एनीकट टूट गये हैं उनकी मरम्मत करवायी जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 47 एनीकट आप लोगों ने बनाये थे और जमवा रामगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र में आपने अतिक्रमण किया था। मैं आपसे कह-कह कर थक गयी आपने बिलकुल नहीं सुना। वह तो मेरी तकदीर अच्छी थी, जयपुर वालों की तकदीर अच्छी थी जिससे इस बरसात में जो पानी आया है वह किसी की दया से नहीं आया है, भगवान की दया से आया है। मनुष्य ने तो उसमें अतिक्रमण किया है और 110 बंधे टूटे, कांग्रेस के जमाने में 1981 की बाढ़ में, आपने कोई काम नहीं किया और न करने दिया है। 110 बंधे मेरे फूटे पड़े हैं, मैंने मेरी सरकार से कह कर बनवाये हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री बृजेन्द्र सिंहजी।

श्री रामनारायण मीणा : मैं निवेदन कर रहा था कि ग्रामीण विकास अभिकरण की मीटिंग है। एक भी एनीकट मंजूर नहीं किया गया है... (व्यवधान) भारत सरकार की....(व्यवधान) उनका सही निर्माण नहीं हो रहा है। यह हमारा आरोप है। माननीय मंत्रीजी इसके बारे में कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एनीकट्स के सम्बन्ध में बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या और बाकी के माननीय सदस्यों ने कई जानकारियां इस सदन में दी हैं। यह बात सही है कि एनीकट्स कई जगह टूटे हुये पड़े हैं, कई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाढ़ के कारण से टूट गये और कई निर्माण में खामी होने के कारण टूट गये। यह भी सही है कि उनकी मरम्मत करवाना बहुत आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि एनीकट्स में कई बार पानी के संग्रहण को किसी भी तालाब में या और स्थान पर रोकने में यदि एनीकट्स बाधक होते हैं तो वहां गांव वालों का भी विरोध होता है। इसलिए स्थान के चयन में कई बार समस्या खड़ी होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो एनीकट्स उपयुक्त हों उनके लिए कहीं ना कहीं से राशि उपलब्ध करवा कर उनकी मरम्मत करवाई जाय। यह बात भी सही है कि कई विभागों के अन्दर यह एनीकट्स का काम चल रहा है। आप लोगों को मैं इतना ही कह सकता हूं कि सारे एनीकट्स जो इस प्रकार के टूटे हुये हैं उन एनीकट्स का जल्दी से जल्दी सर्वे करवाएंगे, सारे विभागों की गतिविधियों को एक साथ किसी प्रकार मानिटर किया जाए इसकी भी व्यवस्था करेंगे और उसके लिए जितनी भी राशि उपलब्ध हो सकती है वह राशि उपलब्ध करवा कर इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र सिंहजी।

बयाना–रूपवास (भरतपुर) में अनधिकृत खनन

32. **श्री बृजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील बयाना-रूपवास जिला भरतपुर के पहाड़ों में गजनुआ, डुमरीया, सामरी, बुद्वार, कोट, बागरा आदि में अनधिकृत सैण्ड स्टोन का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) इससे अनुमानित कितनी राशि का वार्षिक नुकसान हुआ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) प्रश्नांकित क्षेत्रों में अनधिकृत खनन के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया है कि पास के गांवों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा दो-तीन स्थानों पर सैण्डस्टोन के खनन के उद्देश्य से ओवर बर्डन हटाने का कार्य किया गया है। विभाग द्वारा मौके पर इस कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों आदि को जब्त किया गया है व क्षेत्रीय अधिकारियों को क्षेत्र पर पूर्ण निगरानी हेतु निर्देश दिये गये हैं। चूंकि यह सभी क्षेत्र वन भूमि में हैं अतः वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को भी सूचना देते हुए क्षेत्र में निगरानी रखने व अनधिकृत खनन न होने देने हेतु अनुरोध किया गया है।

(2) निरीक्षण में पाया गया है कि अनधिकृत खनन कर सैण्डस्टोन का निर्गमन नहीं पाया गया है अतः विभाग को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

श्री बृजेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल घुमा फिरा करके दिया है। जबकि इसमें खनन का कार्य आज भी मौके पर चल रहा है। अगर मौका देखा जाए तो बाकायदा खनन का

(श्री बृजेन्द्र सिंह)

जो अनधिकृत कार्य चल रहा है, वह पूरी तरह बाकायदा बेच रहे हैं और काफी पैसा वह हड़प रहे हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे सरकार उनसे मिल कर कार्य कर रही है, कई बार उनकी शिकायत की है, परन्तु अभी तक सरकार का ध्यान खनन का जो गलत कार्य कर रहे हैं ऐसा लगता है कि उनमें लिप्त हैं। जिससे मंत्री जी बिलकुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और यह जो इन्होंने किया है कि सैण्डस्टोन का निर्गमन नहीं किया गया, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका बाकायदा व्यापार चल रहा है और उसमें अभी भी खनन का कार्य चल रहा है वह वन विभाग में आता है, परन्तु कई जगह गजनुआ, बागरा इसमें कई जगह ठेकेदारों की लीज मौजूद है और वह उनके कार्य को नहीं देख पा रहे हैं और उल्टा जिनके नाम लीज है उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आता कि आपकी क्या मंशा है ? क्या इस पर कुछ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या फिर वैसे ही चलाने का विचार है ?

श्री अरुण सिंह : मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बारेठ क्षेत्र एक सेंक्चुरी है, सेंक्चुरी डिक्लेयर्ड राजस्थान ने किया है और वहां इल्लीगल माईनिंग हो रही है। पड़ौस में वन मंत्री बैठे हैं यह पुष्टि कर सकते हैं इसकी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक द्वारा जो ध्यान आकर्षित किया गया है इसके बारे में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में और अन्तिम बार 27–9–1995 को वहां की जांच की गयी है और जांच करने के बाद लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अवैध खनन तीन तरह की जमीन में होता है। एक सिवाय चक में होता है, चारागाह में भी होता है, वन भूमि में भी होता है। यह सारा वन क्षेत्र है इसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रायल्टी की हानि का सवाल है यहां की रायल्टी का ठेका 28 लाख में दिया जा चुका है और उसका नाका है। इसलिए चाहे वह अवैध खनन से ले जा रहे हैं या वैध खनन से ले जा रहे हैं। नाके पर उसकी रायल्टी वसूल होती है। उस दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होता है। यह जो अवैध खनन है, ठेका दे रखा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजिलेंस की टीम फिर भेज दी जाएगी और माननीय वन मंत्रीजी से भी इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि वे अपने अधिकारियों को इसके बारे में विशेष निगरानी रखने को सतर्क करें और सिवाय चक जमीन पर भी, कहीं पर भी हो रहा है तो जिलाधीश को भी इसके बारे में विशेष निर्देश देंगे। राजस्थान सरकार की मंशा है कि किसी तरह से अवैध खनन नहीं हो।

श्री बृजेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो अनाधिकृत कार्य कर रहे हैं इसके साथ-साथ जो अपराधिक प्रवृति के जो लोग हैं वह उनसे मिले हुए हैं। खास तौर से हमारे इलाके में जो डांग का क्षेत्र है उसमें डकैतों का प्रभाव अधिक है, वह डकैतों के माध्यम से जिनके नाम लीज हैं उन ठेकेदारों को तो बिलकुल दूर कर देते हैं और डकैत प्रभावित करके जो भले लोग हैं, जिनके नाम लीज चल

(श्री बृजेन्द्र सिंह)

रही है उनकी खान बन्द करवा दी है और वह अनाधिकृत रूप से आज चल रही हैं। जिससे वहां के लोगों में काफी भय व्याप्त है कि कहीं सरकार की इसमें कुछ मंशा गलत तो नहीं है। जब-जब भी शिकायत की है तब-तब यही आश्वासन मिलता चला आ रहा है कि अबके हम टीम भेज देंगे विजिलेंस की टीम भेज देंगे और खाना पूर्ति करने के बाद वह वापस चले आते हैं। आपने खुद ने स्पष्ट किया है कि गांव वालों ने ओवर बर्डन हटाने के लिए, दो-तीन स्थानों पर आपने काम करने के हथियार पकड़े हैं दांती, हथोड़ा और सब्बल वगैरह जो पकड़े हैं उसी के आधार पर आप उनके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं बनाते ? मजबूत केस बनायें जिससे कि वह आगे काम नहीं कर सकें। कम से कम बदमाशों से तो हमें छुटकारा मिल सके।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो चिन्ता व्यक्त की है, यह वहां की पुरानी समस्या है और जो डकैत लोग हैं, जिस तरह की लीज होल्डर्स को प्रभावित करके अवैध खनन करते थे उन पर बहुत अधिक नियंत्रण किया जा चुका है। पुलिस विभाग को भी इसके बारे में निर्देश दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है यह जो अवैध खनन होता है, मजदूर जाकर करते हैं और इतनी चौकसी से करते हैं कि दूर से भी कोई अवैध खनन पकड़ने जाये तो तुरन्त भाग जाते हैं, मिलते नहीं हैं, औजार ही मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी पकड़े गये तो निश्चित रूप से जो कानूनी प्रावधान सख्त से सख्त है वह लागू किये जाएंगे। इसके बारे में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री बृजेन्द्र सिंह : माननीय मंत्रीजी इसमें मजदूर लोग नहीं कार्य कर रहे बल्कि जो डकैतों के सरदार हैं, जो आपकी पार्टी के नुमाइन्दे हैं वह लोग इनको करवा रहे हैं। उन लोगों को आज पकड़े। वहां के सरपंच को, जो पूर्व सरपंच हैं वह लोग करवा रहे हैं। बैठ कर कार्य करवा रहे हैं। आपको मैं नाम बता सकता हूं, माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन कराने में चाहे कोई हो.... (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह : कोट के पूर्व सरपंच कुंवर सिंह वहां खुले रूप से कार्य करवा रहा है जो कि आपकी पार्टी का सक्रिय सदस्य है।

श्री कैलाश मेघवाल : कौन किस पार्टी से सम्बन्धित है इस बात का लिहाज अवैध खननकर्ताओं को पकड़ने में नहीं रखा जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अवैध खनन का जो आकर्षण है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कहां कौन किस तरह से करवाते हैं लेकिन भेजते सब मजदूरों को ही है। स्वयं कराने वाला या स्वयं सेठ तो कभी मौके पर पकड़ा नहीं जाता है। इसके बारे में आपकी जो कोई जानकारी है मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप केवल जानकारी मुझे उपलब्ध करवायें मैं उसके आधार पर त्वरित गति से कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सही है कि कुंवर सिंह लगातार कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं ?

श्री बृजेन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, बिलकुल सही है। परन्तु वह आपके बहकावे में आ गये और वह अब यही कार्य चालू कर रहे हैं जो आप करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यह तो सही है ना कि वह कांग्रेस पार्टी के निरन्तर सदस्य रहे हैं। है तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया वह आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह डकैती का काम वहां सीख कर आये मैंने बन्द करवा दिया है।

श्री बृजेन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, पहले वह ऐसा कार्य नहीं करते थे, आपकी सोहबत में आकर वह कार्य करने लगे हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : नत्थीसिंह जी को आप ने पास बिठाकर....(व्यवधान)

राज्य की अन्य पिछड़ी जातियां

33. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सरकार द्वारा राज्य में किन-किन जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न सं. 33 हैं इसको स्थगित कीजिए। मूल प्रश्न जो मैंने दिया था उसको इस तरह से एडिट कर दिया कि इसमें जो उत्तर आया है वह तो सब गजट में छपा हुआ है और वह हमारे पास पहले से ही मौजूद है। सिर्फ इतनी मैंने जानकारी चाही थी कि तीन जिन जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों में लिया है उनकी शासन सचिवालय में संख्या कितनी है क्लास फोर्थ से लगा कर वन तक और एक जाति का पूछा था जिसको अन्य पिछड़ी जाति में नहीं लिया है, उसके कितने हैं ? वह अंग तो छूट गया और खाली सूची आपने दे दी। यह तो उसमें प्रकाशित हुई है और उसके आधार पर ही मैंने यह प्रश्न पूछा था इसलिए कृपया मूल प्रश्न को मंगा-कर इसको स्थगित करके उसी रूप में इसको पूछा जाय तो कोई फायदा है, नहीं तो यह तो गजट में छपा हुआ है। मेरे पास है। उसको देख कर ही प्रश्न बनाया था। एडिटिंग, ऐसे मामले हों जब या तो पूछ लिया करें कि इसमें हम....

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब, आप बिराजें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लेकिन ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं था। सिर्फ शासन सचिवा-लय के बारे में सूचना थी।

श्री अध्यक्ष : आपने दो विभागों को क्लब कर दिया। कार्मिक को भी और समाज कल्याण का भी था। अब दोनों को आपने क्लब कर दिया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सिर्फ सवाल इस पर है कि कौन जाति के कितने आदमी नौकरी में हैं इस आधार पर अन्य पिछड़ी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जाति और यह तय होता है। अब आप उसको टैक्निकली यूं ले लेते हैं। चाहे कोई भी विभाग हो, उसका उत्तर दे देता है इसलिए मैंने तो मुख्य मंत्रीजी से प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह भेज दिया था।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने, टैक्निकल तरीके से आप दो विभागों से सम्बन्धित कह सकते हैं लेकिन जो आपने कैंची चलायी है उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्योंकि वह एक इनफार्मेशन चाहते थे और यह सदन का सत्र बहुत अल्पावधि का है इसलिए उनका प्रश्न अब कब लिया जाएगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगले सेशन में।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता, अगले सत्र में क्या होगा और क्या नहीं होगा वह तो लोक सभा के चुनाव आ जायेंगे ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो अभी स्थिति है वही रहेगी, आप चिन्ता मत करो।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : चिन्ता तो आपको करने की जरूरत है।

श्री परसराम मदेरणा : चिन्ता नहीं, चिन्ता तो मैं नहीं कर रहा हूं। हमको चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यह कह रहा हूं लोक सभा के अगर पहले आ जाएं तो वोट आन अकाउण्ट लेना पड़े तो उसमें दो दिन का ही सेशन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। एक स्थिति जो कुछ भी मैं लोक सभा के सन्दर्भ में कह रहा हूं मेरा कोई एस्पर्शन कास्ट करने का नहीं है और आप भले ही कितने ही जोर से बोलो, आप रहेंगे वहां पर, नहीं रहेंगे, यह तो....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : यह भामड़ा साहब पर निर्भर करता है।

श्री परसराम मदेरणा : भविष्य के गर्भ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है विश्नोई जी हमारे सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने आपसे एक निवेदन किया है और उसका औचित्य भी है कि इस सन्दर्भ में इस प्रकरण को दुबारा एग्जामिन करके और जो कांटा छांटी की है उसको रेस्टोर करने की कृपा करें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जो कैंची चलायी गयी है। अब आप ज्यादा....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं। आप अध्यक्ष हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी नहीं हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष आप भी नहीं हैं, मैं भी नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : रिक्वेस्ट तो मैंने उनसे की है और आप बीच में खड़े हो जाते हो यहां। विश्नोई जी ने एक निवेदन किया ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई जी के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पुनर्विचार के लिए विनम्र निवेदन किया था बात इतनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : अब इसमें आप क्या जोड़ना क्या सबस्ट्रेक्ट करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैंची चलायी गयी है, यह कैंची विश्नोई जी ने जो परम्परा डाली है उसी के आधार पर चली है। यह कोई नया प्रयोग नहीं किया है। अब आया प्रश्न दो भागों में विभाजित होने का, मैं जवाब दे दूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप बिलकुल ही इसको डि-रेल कर रहे हैं सब मामले को डि-रेल इसलिए कर रहे हो कि यह प्रश्न जिस वक्त स्वीकृत किये गये थे, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता था। अध्यक्ष महोदय विदेश गये हुए थे और प्रश्न आये हैं पिछले सात-आठ दिनों में इसलिए मैं ऐसा सोच रहा था कि अध्यक्ष महोदय के सामने आया ही नहीं हो। सचिवालय के किसी स्तर पर या उपाध्यक्षजी के स्तर पर या कहां पर आया है। प्रश्न में जो कुछ भी आप लेंग्वेज बदलते हैं, बदलने के बाद हमेशा अध्यक्ष महोदय के नोटिस में लाया जाता है इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद आपके ध्यान में आया ही नहीं होगा। दो विभागों की बात है तो अब आप सेपरेट कर दीजिये जिस विभाग से सम्बन्ध रखता है। बहुत सिम्पल इनफोर्मेशन पूछी है, उसमें तो मुख्य मंत्रीजी को क्या ऐतराज होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐतराज कहां? मैं तो उलटे हां बोल रहा हूं। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको केमोफ्लेज करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई केमोफ्लेज नहीं....

श्री परसराम मदेरणा : जिस पिछड़ी जाति के सम्बन्ध में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वहां पर आपकी पोल खुलने की संभावना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में तो इसका उत्तर नहीं आ सकता। जहां तक डी.ओ.पी... (व्यवधान) नहीं, मैं आपको बता देऊं....

श्री परसराम मदेरणा : एक एक्स स्वीकर हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरी बात तो सुन लो....

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने एक रिकवेस्ट की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्स स्पीकर साहब, संतुष्ट हो जायेंगे मेरी बात सुन लेंगे तो ...

श्री परसराम मदेरणा : बहुत तंग-मिजाजी है आपकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लेंगे तो एक्स स्पीकर साहब बहुत संतुष्ट हो जायेंगे। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर दो भागों में है। एक तो कमीशन में किन-किन जातियों की घोषणा की है, आपने कह दिया कि इसमें नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। क्वेश्चन का जवाब आये या नहीं आये, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। बैकवर्ड क्लासेज में कितने आदमी सर्विसेज में कहां-कहां लगे हुए हैं, इस सूचना को एकत्रित करने में निश्चित रूप से समय लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, सैक्रेटेरिएट का पूछ रहे हैं यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैक्रेटेरिएट का, अब मैं बताऊं आपको....

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने तो तीन अन्य पिछड़ी जाति और चौथी यह जाति, इतना ही पूछा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुनो आप। मैं आपकी इच्छा की ही पूर्ति कर रहा हूं। इस सदन में यदि उत्तर नहीं आये तो आपके प्रश्न का उत्तर सरकार आपके पास भेज देगी। उसके बाद में जब भी आप कोई बात करना चाहें तो मुझे वापस लेटर भेज दें फिर आपको उत्तर दे दिया जाएगा और मेरी यह कोशिश होगी कि चाहे परसराम जी कितनी ही कोशिश करें कि आप असंतुष्ट रहें, मैं आपको संतुष्ट बनाने की कोशिश करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : संतोष तो इनको हो जाएगा लेकिन क्योंकि यह स्पीकर रहे हुए हैं वह जानते हैं। मैं संतुष्ट होऊं या नहीं होऊं, मेरा प्रश्न सार्वजनिक है। पब्लिक से सम्बन्ध रखता है इसलिए यह सदन, उसको संतोष होता है कि नहीं होता है, आप यह कोरसपोंडेंस में इस सदन को वंचित रखना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला सदस्य इस सदन में है तो मैं हूं इसलिए आप अगर मेरा जवाब अखबार में छपवा दें तो सबको जानकारी मिल जाएगी और अगले सत्र में फिर रिपीट कर दें तो जवाब दे दूंगा, सारे सदस्यों को जानकारी मिल जाएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 33 स्थगित। श्री रामगोपाल बैरवा।

अंग्रेजी व देशी मदिरा की दरों में अन्तर

34. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अंग्रेजी व देशी शराब के लाइसेंस में अलग-अलग स्थान हेतु अलग-अलग दर तय की गयी है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर क्या-क्या दरें निर्धारित हैं ?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) क्या सरकार सम्पूर्ण राज्य में एक समान दर तय करने का विचार रखती है ? यदि हां, कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) जी, नहीं। राज्य सरकार ने मदिरा की कोई विक्रय दरें निर्धारित नहीं की हुई हैं।

(2) खण्ड प्रथम के उत्तर की दृष्टि में अपेक्षित नहीं।

(3) जी, नहीं। एक तो मदिरा की विक्रय दर निर्धारित करने का नियमों अथवा ठेके की शर्तों में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे, राज्य में मदिरा के ठेके दुकानों के समूह बनाये जाकर क्षेत्र विशेष के लिये एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाते हैं। इस प्रणाली में ठेके, टेंडर/नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की राशि पर दिये जाते हैं। अनुज्ञाधारी के लिए मदिरा की बोतल की कुल लागत उसके द्वारा देय एकाकी विशेषाधिकार राशि से प्रभावित होती है, जो विभिन्न ठेकों के लिये अलग-अलग होती है। इस कारण मदिरा विक्रय दरों में भी समूहवार अन्तर रहता है। इस प्रकार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में समान विक्रय दर रखा जाना अपेक्षित भी नहीं है।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, खण्ड एक में जो प्रश्न पूछा गया उसमें यह है कि अंग्रेजी और देशी मदिरा की जो दुकानें हैं, उनके लाइसेंस जारी किये गये हैं उनमें अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग दर तय कर रखी हैं। जवाब में आया, कि कोई विक्रय दर निर्धारित नहीं कर रखी हैं। खण्ड तीन, में यह पूछा गया है कि क्या सम्पूर्ण राज्य में एक समान दर तय करने का सरकार विचार रखती है ?

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी और देशी मदिरा की दुकानों में एक दर तय नहीं करने से हर 20 किलोमीटर के एरिये में अलग-अलग दर निर्धारित हैं। दुगुनी रेट हो जाती है। इससे लोगों को परेशानी होती है। हर 20 किलोमीटर के एरिये में जो भी व्हीकल, वहां से राजस्थान रोडवेज की बस निकलती है ठेकेदारों के आपसी कम्पीटीशन से, ठेकेदारों की आपसी रंजिश के कारण से लोगों को हर 20 किलोमीटर के एरिये में....

(12.00)

तीन-तीन बार उन सवारियों को परेशान किया जाता है, उनके सूटकेसों को खोल-खोल कर चैक किया जाता है। एक दिन कोटा से इटावा तक जिस राजस्थान रोडवेज की बस में बैठ कर मैं गया, तीन बार 80 किलोमीटर के एरिया में उस रोडवेज की बस को चैक किया गया। इस तरह से जो ठेकेदारों की आपसी लड़ाई है और उसके कारण से लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस तरह की प्रक्रिया पर क्या रोक लगायी जाएगी और भविष्य में देशी और अंग्रेजी शराब की सम्पूर्ण राज्य में एक समान दर निर्धारित की जाएगी ? ये दो सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : कौन सी दर चाहिये ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्रीमती कमला : राजकीय नीति के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन । पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अवैध शराब का मामला है, इस बारे में बताइये । राजस्थान सरकार ने शराबबंदी की है । ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का जवाब आना चाहिये । ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का मामला है । इन सब के मामले में पूरी जांच होकर जवाब आना चाहिये । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय नीति के मुताबिक राज्य में कहीं पर भी कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये । राज्य सरकार इस तरह की दुकानें जो सार्वजनिक स्थानों पर चल रही हैं उनको कब तक हटा देगी ?

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : आसन पैरों पर हैं, माननीय सदस्य बिराजें ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक महत्व का प्रश्न है ।.... (व्ययधान) जवाब देवें । क्वेश्चन आवर समाप्त होने के बाद इस प्रश्न को अधूरा नहीं छोड़ा जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें । बिराजें आप ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री टीकमचन्द कान्त : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । बिराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से इस बात का जवाब दिलवाइये ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मन्दिरों के पास चल रही हैं, सब्जी मण्डी के पास चल रही हैं, सार्वजनिक संस्थाओं और स्कूलों के पास चल रही हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें । आप बिराजने की कृपा करें ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरकार शराब के पैसों से चलना चाहती है क्या ?

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(28)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन बिगड़ रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जवाब दिलवाइये। आप गलत घोषणा करते हैं। अवैध दुकानें चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध दुकानें चल रही हैं पूरे राजस्थान में। यह सरकारी सांठ-गांठ से हो रहा है। सरकारी सांठ-गांठ से अवैध दुकानें चलायी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। एक मिनट....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक इम्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : साधारण व्यक्ति जो राजस्थान में निवास करता है उसकी क्या हालत होगी। जब एक विधायक को इस तरह से धमकियां दी जाती हैं और वह भी ऐसे ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इसी सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर अन्तरकलह हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी के अन्तरकलह का हमको कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर जो डिफरेंसेज हैं उनका प्रभाव अब दूसरे विधायकों के ऊपर भी पड़ने लगा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपकी सत्तारूढ़ पार्टी के गोपीचन्द जी गुर्जर ने अरूणसिंह जी विधायक को आकर के धमकी दी और उसकी उन्होंने थाने के अन्दर रिपोर्ट भी लिखवायी। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर हम सरकार से वक्तव्य चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण नहीं देंगे विधायकों को तो फिर कौन देगा ? हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सत्तारूढ़ पार्टी का अन्तरकलह फूट करके सामने आ रहा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है।

श्री जुबेर खान : राजा-महाराजाओं को इस तरह से डरा धमका दिया जाएगा तो फिर हमारे जैसों का क्या होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके आपस के झगड़ों के कारण वह हमको डराने धमकाने लग गये हैं। इसलिए अगर अरूणसिंहजी के साथ में ऐसा हुआ तो कल हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसलिए हम चाहते है कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाना चाहिये। सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि माननीय विधायक गोपीचन्द गुर्जर ने क्या माननीय विधायक अरूण

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

सिंहजी को धमकी दी है, मार डालने की धमकी दी है ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : विधान सभा का सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान में भा.ज.पा. के एक विधायक ने आकर धमकी दी। माननीय विधायक का संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। हम सरकार से वक्तव्य की आशा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। आप विराजें। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अभी शोकाभिव्यक्ति होने दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, विधायक नगर विधान सभा के अन्तर्गत आता है। विधायक नगर के अन्दर अगर ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन बिगड़ती है, विधायक नगर के अन्दर अगर विधायक को धमकी दी जाती है और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के द्वारा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पहले अभी शोकाभिव्यक्ति होने दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सरकार शराब की आय पर कब तक निर्भर रहना चाहती है ? इसी तरह से अवैध दुकानों का संचालन हो रहा हैं और एक काम्पीटिशन बढ़ रहा है। शराब की दुकानों में पूरी अव्यवस्था हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय सदस्य बैठ जायं। एक मिनट तसल्ली से आप सुनिये। आप विराजें। आपकी सारी बात सुन रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि पहले शोकाभिव्यक्ति होने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट इजाजत दें।

श्री जुबेर खान : वक्तव्य दें कि असलियत क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्यों ने जिस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे रात को उस सम्बन्ध में जानकारी मिली थी। उन्होंने अपनी तरफ से एफ.आई.आर. दर्ज करायी है और मैंने एस.पी. को कहा है कि इसका सही अनुसंधान करिये। आप जहां तक वक्तव्य की मांग करते हैं। इन दो दिन की छुट्टियों के बाद राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दे दिया जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : विधायकों की सुरक्षा होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है।

श्री परसादीलाल मीणा : सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सैशन के बाद देंगे या कब देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट बैठ जाइये। विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने रात से ही सुरक्षा का प्रबन्ध कर रखा है और आवश्यकता होगी तो करूंगा।

30

श्री जुबेर खान : हमारे पड़ौस में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज एक विधायक पर मुसीबत आयी है, कल किसी और पर आयेगी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पड़ोस में रहते हैं तो असुरक्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। अब शोकाभिव्यक्ति होने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, इतना जरूरी मसला कि एक विधायक को जान का खतरा हो रहा है और एफ.आई.आर. रात के 9 बजे दर्ज करा दी गयी है। कई बातें जो अरूण सिंह जी रात के 9 बजे के अंधेरे में नहीं देख पाये, जिन साथियों का हवाला अरूण सिंह जी ने अपनी एफ.आई.आर. में लिखा है, मुझे ऐसी सूचना है कि उनके साथ दो-तीन विधायक और भी थे। इतना इम्पोर्टेंट मसला टालना (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होम मिनिस्टर से आज ही स्टेटमेंट दिलवाया जाय। आप टालना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि आप गोपीचन्द जी गुर्जर को इग्नोर करना चाहते हो।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इतने महत्वपूर्ण मसले के ऊपर आप इसको टालना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके और उनके बीच में जो भी विवाद हो, आप चाहते हो कि वह आपके आकर के धोक लगा देवे और आप उल्टा-सुल्टा यहां पर स्टेटमेंट देंगे। आपको चाहिये कि ऐसे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एफ.आई.आर. के कंटेंट्स क्या हैं ? पुलिस ने क्या कार्यवाही रात के 9 बजे से लेकर अब तक की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले शोकाभिव्यक्ति होने दें। आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरे सदन को जानने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, दो रोज का वक्त इस बात पर सरकार को नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की कुर्सी डगमगा रही है और मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि इस प्रकार से अरूण सिंह जी उनकी शरण में आयें जिससे कि वह अपनी कुर्सी पक्की कर सकें। तो यहां उत्तर प्रदेश की तरह से मुख्य मंत्री जी मत कीजिये। हम चाहते हैं कि यहां पर विधायकों की सुरक्षा हो।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपकी पार्टी के अन्तरकलह का प्रभाव हम पर पड़ता है तो निश्चित रूप से इस बात को हम यहां पर उठायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । बहुत हो गया ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र स्वीकृति के मानदण्ड

27. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1995–96 के बजट में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र खोलने का प्रावधान रखा गया था?

(2) उपरोक्त केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्वीकृत कर दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में देरी के क्या कारण हैं ।

(4) विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के क्या-क्या मान दण्ड हैं ।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1995–96 के बजट में 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 700 उपकेन्द्र खोलने का प्रावधान रखा गया है ।

(2) 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 700 उपकेन्द्र में से 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 355 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु स्थानों के चयन की प्रक्रिया जारी हैं ।

(4) भारत सरकार के दर्शाए मापदण्ड अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्र में प्रति 30 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक तथा जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रति 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्थापित किये जाने हैं ।

इस प्रकार उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्र में प्रति 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक खोले जाने का प्रावधान हैं।

उपकेन्द्र उन ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है जहां वर्तमान में कोई चिकित्सा संस्थान नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि का विक्रय प्रकरण

30. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करवा कर ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर (जयपुर) में वर्ष 1990 के बाद से विक्रय की गयी है ? क्या यह नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो क्या

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

सरकार उक्त गैर कानूनी बेचान को रद्द कर वापस पूर्व काश्तकारों के नाम भूमि रिकार्ड में दर्ज करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या टीनेंसी एक्ट में उक्त जाति की भूमि को कृषि से आवासीय में परिवर्तन करते समय दो वर्ष की अवधि में आवासीय निर्माण आवश्यक रूप से होने की शर्त दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उक्त नेवटा ग्राम एवं तहसील सांगानेर के अन्य ग्रामों में उक्त धारा की पालना की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन को रद्द कर वापस पूर्व स्थिति मौके व राजस्व रिकार्ड पर दर्ज करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं है। कृषि भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृष्य प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन) नियम, 1992 के तहत है। उपरोक्त नियमों के प्रभाव में आने के पश्चात ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों की कृषि भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गयी है तथा कुछ मामलों में इस संपरिवर्तित भूमि का विक्रय हुआ भी है। ऐसा किया जाना 1992 के नियमों के अनुकूल था, क्योंकि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुई आवासीय भूमि के बेचान पर प्रतिबन्ध नहीं है। बेचान गैर कानूनी नहीं होने से बेचान को रद्द कर वापस पूर्व काश्तकारों के नाम रेकार्ड में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के प्रावधान टीनेंसी एक्ट में नहीं होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बने 1992 के नियमों में है। इन नियमों के नियम 13 में संपरिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष में अकृष्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि को उस प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया जाना आवश्यक है जिस प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन हुआ है। इस अवधि को अगले उच्च अधिकारी द्वारा एक साल के लिये बढ़ाये जाने के प्रावधान है। इसके बाद भी उपयोग करने में असफल रहने पर सुनवाई का अवसर देकर संपरिवर्तन आदेश को वापस लेने तथा जमा कराई गयी राशि राज्य सरकार में जब्त करने के प्रावधान हैं। जिला कलेक्टर, जयपुर को ये निर्देश दे दिये गये है कि तहसील सांगानेर के ग्राम नेवटा तथा इस तहसील के अन्य सभी ग्रामों में 1992 के नियमों में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गयी भूमि के बारे में यह जांच की जाये कि उपरोक्त नियम की पालना की गई है या नहीं ? और यदि नहीं की गयी है, तो इस नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट की जाय।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले की देशी व विदेशी शराब की दुकानें

37. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में देशी और विदेशी शराब बेचने की दुकानें कौन-कौन से गांवों में हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त दुकानों को सरकार द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी अवधि के लिए स्वीकृति दी गयी है ?

(3) शराब की दुकानों का लाइसेंस देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो आदेशों/नियमों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या दिये गये लाइसेंस के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी दुकान के बारे में किसके द्वारा और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में देशी शराब बेचने की दुकानें 8 तहसीलों के 61 गांवों में हैं । दुकानों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) नागौर जिले के ठेके माह मार्च, 1995 में टेण्डर/नीलामी द्वारा उठाये जाकर उक्त दुकानों को वित्तीय वर्ष 1995–96 के लिए स्वीकृति दी गयी है ।

(3) देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानों के समूह बनाकर क्षेत्र विशेष के लिए लाइसेंस एकाकी विशेषाधिकार पद्धति से (जनजाति उपयोजना क्षेत्र को छोड़ते हुए) दिये जाते हैं क्षेत्र विशेष में विक्रय के एकाधिकार के लिए इन लाइसेंसियों से निश्चित राशि प्राप्त की जाती है, जो टेण्डर/नीलामी के जरिये तय होती है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये हुए हैं, (राजस्थान आबकारी नियम 67–आई से 67–एल) जिनकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(4) दिये गये लाइसेंसज के बारे में 3 शिकायतें प्राप्त हुयीं जिनका विवरण इस प्रकार है :–

अ– देशी मदिरा उप दुकान जसवंतगढ़ की दुकान के सम्बन्ध में शिकायत का मामला जिला सतर्कता समिति में उठाया गया था । दुकान नियमों के अन्तर्गत होने के बाद जांच यह प्रकरण जिला सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 16–9–1995 में समाप्त किया गया ।

ब– कुचामन सिटी बस स्टेण्ड पर स्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान बाबत शिकायत थी । उक्त दुकान को आबकारी नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी मानी जाकर सतर्कता समिति ने मामला समाप्त किया ।

स– देशी मदिरा दुकान लाडनूं नं. 3 की

34

(आबकारी मंत्री)

हाल ही में प्राप्त शिकायत के सन्दर्भ में आबकारी निरीक्षक डीडवाना को प्रकरण में आवश्यक जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(सूची व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा अनधिकृत शराब बिक्री

38. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनजाति उप-योजना क्षेत्र में कहां-कहां अधिकृत शराब की दुकानें हैं? सूची जिला व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन अधिकृत दुकानों के अलावा भी शराब बिक्री कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो कितने ठेकेदारों के विरुद्ध विभाग द्वारा कितने मामले बनाये गये? जिले व ठेकेदारवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों, जो अनधिकृत शराब बिक्री करते हैं, को भविष्य में ठेका नहीं देने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में अधिकृत शराब की दुकानें वर्तमान में जिन स्थानों पर चल रही है उनकी सूची जिलेवार व तहसीलवार परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(3) जी, हां। अनाधिकृत शराब बिक्री का मामला नियम विरूद्ध होने के साथ अभियोजन योग्य भी है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28–12–1994 द्वारा आबकारी ठेकेदारों के पंजीयन की शर्तें निर्धारित की हुयी हैं। इनमें से एक शर्त के अधीन अभ्यर्थी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम/नियमों के तहत अभियोजन विचाराधीन होने अथवा ऐसे प्रकरण में दण्डित किया होने से वह पंजीयन के अयोग्य है। ऐसे मामलों में ठेकेदार को पहले से दिया गया रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने का प्रावधान भी है। पंजीयन के अयोग्य होने अथवा पंजीयन निरस्त होने से ऐसे व्यक्ति को भविष्य में ठेका नहीं दिया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

ग्राम मण्डला कलां (जोधपुर) बस स्टेण्ड पर स्थापित शराब की दुकान

39. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम मण्डला कलां तहसील फलौदी जिला जोधपुर के बस स्टेण्ड पर एक देशी शराब की दुकान स्थापित है? यदि हां, तो कब से तथा किस आदेश के

(श्री दयाराम परमार)

तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकान सार्वजनिक स्थान पर होने के कारण यात्रियों को शराबियों द्वारा परेशान/लूटपाट किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम मण्डला कलां तहसील फलौदी में स्वीकृत देशी मदिरा की दुकान बस स्टेण्ड पर नहीं होकर उससे करीब 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। वैसे भी राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत बस स्टेण्ड के पास दुकान स्वीकृत करना प्रतिबंधित नहीं है।

(2) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह दुकान इसी स्थल पर पिछले लगभग 6 वर्ष से चल रही है और इसे अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कर्मचारियों पर छापे

40. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा (पुलिस विभाग से पृथक होने के बाद) अपनी स्थापना से दिनांक 30 सितम्बर, 1995 तक विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर के कर्मचारियों के विरुद्ध, रेड व सर्च की कार्यवाही कब-कब की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन छापों के बाद कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों में अपराध बनना पाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त छापों में से कितने कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया व कितनों में नहीं ? विवरण मय कारणों के सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना (दिनांक 25–2–1991) से 30 सितम्बर, 1995 तक विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में श्री रामस्वरूप वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्री गंगानगर के विरूद्ध दिनांक 6–4–1994 को वैध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण सं. 63/94 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 8–4–1994 को तलाशी ली गयी थी।

(2) यह प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है। सही स्थिति अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात ही मालूम हो सकेगी।

(3) प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है।

नायब तहसीलदार नावां, (नागौर) का भ्रष्टाचार प्रकरण

41. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नावां (जिला नागौर) में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत कर्मचारी को अन्वेषण ब्यूरो अजमेर के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के कारण रंगे हाथों पकड़ा गया था ? यदि हां, तो कब एवं किसे ?

(2) उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या उक्त प्रकरण में कर्मचारी का न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त प्रकरण में अब क्या कार्यवाही होनी शेष है तथा शेष कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 25-3-1995 को तहसील नावां (जिला नागौर) की उप तहसील कुचामन सिटी के नायब तहसीलदार श्री भवानी शंकर को श्री जोरसिंह राजपूत निवासी वार्ड संख्या 21, कुचामन सिटी से 2000/- रुपये की राशि रिश्वत लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, अजमेर द्वारा पकड़ा गया था।

(2) प्रकरण संख्या 35/95 अन्तर्गत द्वारा 7/13(1) डी (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, पंजीबद्ध कर अनुसंधान करवाया जा रहा है। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(3) प्रकरण अन्वेषणाधीन है। अनुसंधानपूर्ण होने पर एकत्रित साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(4) अभियुक्त नायब तहसीलदार से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उनके अनुरोध पर इस प्रकरण का अनुसंधान सत्यापन पुलिस उप अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो नागौर द्वारा करवाया जा रहा है। उनसे अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त होने पर शीघ्र उचित कार्यवाही की जावेगी।

राज्य पर बकाया ऋण/ ओवर ड्राफ्ट

42. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य पर विभिन्न स्रोतों का कितना ऋण/ओवर ड्राफ्ट बकाया है एवं उक्त राशि पर प्रतिदिन ब्याज क्या है ?

(2) उक्त ऋण राशि में से प्रति वर्ष कितनी राशि अदा की जाती है ?

(3) राज्य के नागरिकों पर प्रति व्यक्ति यह राशि कितनी औसत है ?

(4) राज्य के कुल बजट का यह कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पर विभिन्न स्रोतों से बकाया ऋण की स्थिति निम्न प्रकार है :-

(वित्त मंत्री)

क्र. सं.	स्त्रोत	(रुपये करोड़ों में) दि. 1–4–1995 को अवशेष ऋण
1.	भारत सरकार से ऋण	5420.83
2.	वित्तीय संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं से प्राप्त ऋण	216.29
3.	विकास के लिए बाजार से प्राप्त ऋण	2034.74
	योग :–	7671.86

राज्य सरकार पर वर्तमान में कोई ओवर ड्राफ्ट बकाया नहीं है।

दिनांक 1–4–1995 को अवशेष रहे ऋण पर आय-व्ययक अनुमान 1995-96 के अनुसार 2.31 करोड़ रुपये ब्याज राशि का प्रतिदिन भुगतान किया जाना है।

(2) उक्त ऋण राशि में से अनुमानित तौर पर लगभग 216.07 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष भुगतान की जाती है।

(3) राज्य के नागरिकों पर प्रति व्यक्ति औसत ऋणों की राशि 49.10 रुपये है।

(4) ऋण का पुनर्भुगतान राज्य के कुल बजट का 2.07 प्रतिशत है।

हिन्दू-मुस्लिमों के विक्रय पत्रों का पंजीयन

43. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा):– क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में हिन्दू-मुस्लिम के मध्य विक्रय पत्रों के पंजीयन पर रोक लगाई हुयी है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों/कस्बों/शहरों में किन नियमों के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में एक समुदाय से दूसरे समुदाय के हित में हस्तान्तरण पत्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या उप पंजीयक एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त समुदायों के हितों के दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राजस्थान में हिन्दू-मुस्लिम के मध्य विक्रय पत्रों के पंजीयन पर पंजीयन अधिनियम एवं नियमों के तहत कोई रोक नहीं है।

(2) जी, नहीं। जयपुर में एक समुदाय से दूसरे समुदाय के हित में हस्तान्तरण पत्रों पर राज्य सरकार या विभाग द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शीघ्रलिपिकों के पदों हेतु विज्ञापन

44. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़):– क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है? यदि हां, तो हिन्दी और अंग्रेजी के कितने-कितने पद हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि लोक सेवा आयोग कार्यालय, शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए एक ही फार्म भरना है? यदि हां, तो क्यों, और नहीं, तो फार्म किस तरह भरे जाने हैं?

(3) क्या सरकार यह विचार रखती है कि उपरोक्त तीनों के लिए अलग-अलग फार्म भरवाये जायं और अलग-अलग ही परीक्षा रखी जाय? यदि हां, तो इसका खुलासा कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। आयोग द्वारा केवल "शीघ्रलिपिकों" के नाम से पद विज्ञापित किये हैं। हिन्दी एवं अंग्रेजी के अलग-अलग पद नहीं दर्शाये गये हैं।

(2) जी, हां। आयोग द्वारा तीनों विभागों हेतु संयुक्त योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक कर्मचारी सेवा नियम, 1957 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ सेवा स्टॉफ) नियम एवं विनियम, 1979 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। आवेदन-पत्र का फार्म तीनों सेवा के लिये एक ही भराया गया है। प्रार्थी से तीनों सेवा के लिए प्राथमिकता मांगी गयी हैं।

(3) जी, नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 45

(स्थगित)

रामगढ़ (अलवर) के स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन स्वीकृति

46. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री हरलाल मित्तल एवं श्री प्यारे लाल चौहान निवासी रामगढ़ जिला–अलवर की विधवाओं द्वारा पेंशन के लिए आवेदन किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि इन विधवाओं को अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गयी है?

(3) स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन स्वीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की हुयी है?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वतंत्रता सेनानी श्री हरलाल मित्तल की विधवा श्रीमती कौशल्या द्वारा दिनांक 4–5–1995 को एवं श्री प्यारेलाल चौहान की विधवा श्रीमती सरला द्वारा दिनांक 27–1–1994 को पेंशन के लिए आवेदन किया गया था।

(वित्त मंत्री)

(2) इन दोनों विधवाओं को जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा पेंशन स्वीकृत कर दी गयी हैं तथा पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 21–10–1995 को भुगतान अधिकृति (पेमेंट आथोरिटी) संख्या क्रमशः 2051 (पी. ग्रो. एल.) एवं 2449 (पी. ग्रो. एल.) जारी की जा चुकी है ।

(3) राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के नियम–5 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को उनके पति के देहान्त के दिन में ही संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उसी दर से आजीवन पेंशन स्वीकार कर दी जाती है जिस दर से उस स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन प्राप्त हो रही थी ।

देई–खजूरी (बूंदी) सम्पर्क सड़क

47. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देई से खजूरी (जिला–बूंदी) सम्पर्क सड़क निर्माण पर विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न चरणों में राशि व्यय की गयी है ? यदि हां, तो कब तथा किस-किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सड़क देई से बन्सोली ग्राम तक 3 किलोमीटर निर्मित करवाने पर इसका सहण तथा खजूरी दो ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए समान रूप से उपयोग हो सकेगा ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त सड़क निर्माण बावत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(उत्तर)

(1) देई से खजूरी (जिला बूंदी) संपर्क सड़क के नाम से निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । देई से बावड़ी तक ग्रेवल सड़क पिछले 15 वर्ष पहले बन चुकी थी और वह निर्माण विभाग के संधारणाधीन है । बावड़ी से खजूरी 2.5 किमी. भाग को विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़कों (जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है) में निर्माण हेतु शामिल किया गया है ।

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष	व्यय
1.	बावड़ी से करवर वाया खजूरी (अकाल राहत योजना) (10 किलोमीटर)	87–88	7.21
2.	करवर से बावडी वाया पीपरवाला खजूरी (राहत कार्य जवाहर रोजगार योजना) (11.0 किलोमीटर)	90–91	2.03
3.	खजूरी करवर मार्ग पर पाइप कल्वर्ट का निर्माण कार्य (राहत कार्य जवाहर रोजगार योजना II)	92–93	0.98
4.	खजूरी की पुलिया निर्माण (निर्बन्ध योजना)	94–95	0.29

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) देई से बन्सोली ग्राम की दूरी 5 किलोमीटर है। राज्य की सड़क नीति के अन्तर्गत समस्त पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से सन् 1999 तक जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत इस सड़क कार्य को योजना में शामिल करने की व्यवस्था विचाराधीन है।

ग्राम मेजा (माण्डल) बांध की सड़क हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रकरण का भुगतान

48. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मेजा तहसील माण्डल से मेजा बान्ध जाने वाली सड़क संख्या 1382 खेत संख्या 1381 में होकर जाती है ? यदि हां, तो खेत नम्बर 1381 (ग्राम मेजा तहसील माण्डल) की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 35 वर्ष के उपरान्त भी खेत मालिक को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया एवं बिना मुआवजा भुगतान किये ही खेत की जमीन को बिला नाम घोषित कर दिया गया ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस मानदण्ड के आधार पर विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क का खसरा नं. 1375 है। इसमें खेत संख्या 1381 का 4 बिस्वा हिस्सा आया है। यह 4 बिस्वा रकबा कलेक्टर के आदेश संख्या 8359 दिनांक 10–5–1959 के द्वारा बिला नाम किया गया। यह बिला नाम रकबा सेटलमेंट संवत् 2025–26 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क भूमि दर्ज किया गया है। इस 4 बिस्वा भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहण नहीं किया है।

(2) जी, नहीं। कलेक्टर के आदेश क्रमांक 8359 दिनांक 10–5–1959 के द्वारा उक्त 4 बिस्वा भूमि को बिला नाम दर्ज किया गया है इसी आधार पर भू-प्रबन्ध के समय इस भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति मान लिया गया है। अतः अब अधिकार का आधार वर्तमान भू-प्रबन्ध है।

(3) संवत् 2016 में बिला नाम दर्ज होने के बाद भू-प्रबन्ध के समय संवत् 2025–26 में उक्त भूमि सड़क भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया गया अतः देने का प्रश्न ही नहीं बनता है।

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रमान्तर्गत सड़क निर्माण

49 श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमसेन चौधरी)

(1) सरकार ग्राम पंचायत कतरियासर, कालासर सामरदा तहसील बीकानेर व तरुतपुरा रानेर रामबाग, मीखनेरा, अजीतमाना व लूणकरणसर की सड़कों का निर्माण कौन-कौन-सी योजनाओं से कब, तक सम्पन्न कराने का विचार रखती है ?

(2) सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं कृषि उपज मण्डी समिति खाजूवाला व बीकानेर द्वारा कौन-कौन सी सड़क कितनी-कितनी राशि की वर्ष 1994–95 व 1995–96 में बनाने का प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालय सामरदा जनसंख्या 105 (1971) 650 (1981) तथा 704 (1991) की स्वीकृति अभी 18.9.95 सीमांत क्षेत्र विकास द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, निर्माण के लिए जारी की है। इस सड़क का निर्माण कार्य मार्च, 1997 तक पूर्ण होना संभावित है। पंचायत मुख्यालय कतरियासर जनसंख्या 964 (1971), 1453 (1981) व 1528 (1991) एवं कालासर जनसंख्या 779 (1971), 1061 (1981) व 1266 (1991) के प्रस्ताव राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बीकानेर द्वारा निर्माण प्रस्तावित है।

तहसील लूणकरणसर में पंचायत मुख्यालय तरुतपुरा पहले से ही डामर सड़क से जुड़ा हुआ है तथा पंचायत मुख्यालय अजीतमाना जनसंख्या 592 (1971), 915 (1981) व 859 (1991) की स्वीकृति 1995–96 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत प्राप्त हो चुकी है जिसका वर्ष 3/97 में पूर्ण होना संभावित है। पंचायत मुख्यालय मीखनेरा 289 (1971), 495 (1981), व 816 (1991) एवं पंचायत मुख्यालय रामबाग 571 (1971), 978 (1981) व 846 (1991) अभी तक डामर से जुड़े हुए नहीं हैं एवं रानेर जनसंख्या (979), (1032), (5381) इनको डामर सड़क से जोड़ने हेतु राज्य सड़क नीति के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगी।

(2) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस खण्ड में तीन सड़को की स्वीकृति वर्ष 1994–95 में प्राप्त हुई थी। इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इनका विवरण इस प्रकार से है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) की सड़कों हेतु स्वीकृत राशि

50. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में गत वर्ष व इस वर्ष कौन–कौन सी सड़कें कितनी–कितनी राशि की स्वीकृत की गयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है या चालू है ? यदि, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में गत वर्ष 1994–95 में कुल 22 सड़कें 183.75 लाख की स्वीकृत हुईं जिसमें से एम.एन.पी. (टी.ए.डी). के अन्तर्गत 8 सड़कें 129.4 लाख रुपये की स्वीकृत हुईं, अन्टाइड फण्ड में एक सड़क 1.85 लाख की स्वीकृत हुई जवाहर रोजगार योजना द्वितीय में 7 सड़क 29.00 लाख की स्वीकृत हुई तथा आश्वासित रोजगार योजना में 6 सड़क 23.50 लाख की स्वीकृत हुई।

वर्ष 1995–96 में 15 सड़कें 90.65 लाख रुपये की स्वीकृत हुईं जिसमें से एम.एन.पी (टी.ए.डी). के अन्तर्गत 8 सड़कें 69.15 लाख की स्वीकृत हुई, जवाहर रोजगार योजना 20% में दो सड़के 8 लाख की स्वीकृत हुई तथा आश्वासित रोजगार योजना में 5 सड़कें 13.50 लाख की स्वीकृत हुईं सूची प्रपत्र "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1994–95 में कुल स्वीकृत सड़के 22 में से 8 कार्य पूर्ण, 9 कार्य प्रगति पर, 3 कार्य जवाहर रोजगार योजना द्वितीय में जिलाधीश द्वारा माह जून 1995 में बन्द कर दी गयी। बन्द होने से अपूर्ण दो कार्य आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत एक नवम्बर से प्रारम्भ कर दिये जाएंगे।

वर्ष 1995–96 में कुल स्वीकृत 15 सड़कों में से 7 कार्य प्रगति पर है व 3 कार्य के आदेश दे दिये गये हैं तथा 5 कार्यों की निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं, विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

51. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में इस वर्ष किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कौन–कौन सी सड़कें स्वीकृत हुईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कौन–कौन सी सड़कें एवं लिंक सड़कें नीति के अन्तर्गत आते हुए भी स्वीकृत नहीं हुई हैं? सरकार इन पर कब तक स्वीकृति देकर इनका निर्माण कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में इस वर्ष (1995–96) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न सड़कें स्वीकृत हुई—

1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सामान्य	33
2. राज्य उच्च मार्ग की सड़कें	2
3. सुनिश्चित रोजगार योजना	5
4. निर्बन्ध राशि योजना	5
5. स्थानीय सांसद क्षेत्र की विकास सड़क	2
कुल सड़कें	47

उक्त सभी सड़कों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) राज्य सड़क नीति के अन्तर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1971 जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के सभी 36 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है एवं बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 42 पंचायत मुख्यालय आते हैं जो किसी न किसी प्रकार की सड़कों से जुड़े हुये हैं।

राज्य सड़क नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 1981 की जनगणना के आधार मानते हुये 1000 से अधिक आबादी वाले 3 गांवों को जोड़ने की योजना है। जिसके लिये 44.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले 4 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा जिसके लिए 84.00 लाख की आवश्यकता होगी 42 पंचायत मुख्यालय में से 38 मुख्यालय डामर की सड़क से जुड़े हैं और शेष 4 पंचायत मुख्यालयों को बगैर आबादी को ध्यान रखते हुये डामर सड़क से जोड़ा जाना है, जिसके लिये अनुमानित 88.00 लाख रुपये की आवश्यकता है। उपरोक्त धनराशि का आबंटन करना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

52. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किस–किस जिले में वर्ष 1994–95 व 1995–96 में कितनी-कितनी राशि सड़कों की मरम्मत के लिए आबंटित की गयी थी ?

(2) राज्य के जिलों में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई कितनी-कितनी है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त जिलों में मरम्मत राशि का आबंटन किस आधार पर किया गया है ?

(4) क्या सड़कों की लम्बाई व इनकी अवस्था के अनुरूप उक्त आबंटन सही है ? क्या सरकार उस पर पुनर्विचार कर आबंटित राशि का पुनर्निर्धारण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी 31 जिलों में सड़कों की मरम्मत के लिये वर्ष 1994–95 व 1995–96 में आबंटित की गयी राशि परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य के जिलों में 31.3.95 को कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 54905 किलोमीटर है। जिलेवार सड़कों की लम्बाई परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) उपरोक्त जिलों में मरम्मत राशि का आबंटन सड़कों की लम्बाई, यातायात का घनत्व, सड़कों की दशा, कार्यप्रभारी मजदूरों की संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर किया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी, हां। सड़कों की लम्बाई (3 मीटर के बराबर) व इनकी अवस्था के अनुरूप उक्त आबंटन सही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें).

ग्राम राजपुरा (बूंदी) में किसानों को खातेदारी अधिकार

53. **डा. रामराय शर्मा** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम राजपुरा (तहसील बूंदी) में किसानों के खातेदारी अधिकार की कितनी भूमि है तथा इसमें से अनुसूचित जाति के कृषकों की कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग कृषि भिन्न कार्यों के लिए भी किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस खातेदार कृषक की कितनी–कितनी भूमि का किस कार्य के लिए? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि को कृषि भिन्न कार्य के उपयोग में लेने बाबत सक्षम अधिकारी से इजाजत प्राप्त की गयी है? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) ग्राम राजपुरा तहसील बूंदी में किसानों के खातेदारी अधिकार की 906 बीघा 9 बिस्वा भूमि है, इसमें से अनुसूचित जाति के कृषकों की 347 बीघा 6 बिस्वा भूमि है।

(2) जी, हां। संलग्न सूची के अनुसार खातेदार कृषको की किता 16 रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा भूमि खनन कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है। विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी, हां। उक्त भूमि खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिए खनन विभाग की अनुमति 1991–92 से पूर्व प्राप्त की जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

ग्राम घाटोल (बांसवाड़ा) में राजकीय भूमि पर कब्जे

54. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम घाटोल जिला बांसवाड़ा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा व निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी जमीन पर?

(2) क्या इन अवैध कब्जों के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां, ग्राम घाटोल में सरकारी

(राजस्व मंत्री)

भूमि पर नीचे अंकित अनुसार अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है।

(2) हां, शिकायत की जांच कराई जाकर उपरोक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 एवं उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही जारी है।

अतिक्रमियों की सूची ग्राम घाटोल, तहसील घाटोल

क्र.सं.	नाम अतिक्रमियों मय वल्दियत	खसरा नं.	रकबा
1.	श्री नजरमोहम्मद पुत्र नाथूजी शेख निवासी घाटोल	1971/1	50×57 फीट
2.	श्री मुरलीदास पुत्र देवीदास वैष्णव	1705	114×150 फीट
3.	श्री जगजी पुत्र भागाजी कुम्हार अध्यक्ष, कुम्हार संघ, घाटोल	1871/1	45×120 फीट
4.	श्री कन्हैयालाय पुत्र गोतमलाल त्रिवेदी निवासी घाटोल	4540/1871	24×31 फीट
5.	श्री प्रदुमल पुत्र मोतीलाल दोसी जैन निवासी घाटोल	2238	28×30 फीट

जिला श्रीगंगानगर की कृषि भूमि

55. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने श्रीगंगानगर जिले के किस-किस क्षेत्र की कृषि भूमि के बेचान सनद जारी नहीं करने के आदेश किस कारण से कब जारी किये ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस तहसील और उप-तहसील में सनदें जारी करवाने के कितने-कितने मामले गत दो वर्ष अथवा उससे कम अवधि के विचाराधीन हैं ? तहसील व सब तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सनद जारी करने पर लगाया गया प्रतिबन्ध सरकार कब तक उठा लेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 की शर्त सं. 9 के अधीन आवंटियों की समस्त राशि जमा होने व अन्य शर्तें पूर्ण होने पर खातेदारी सनद जारी की जाती है। शर्त का उल्लंघन

(राजस्व मंत्री)

होने पर सनद जारी नहीं की जा सकती। सनद जारी न करने के सम्बन्ध में आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये गये हैं।

(2) उप तहसील स्तर पर यह कार्य नहीं किया जाता है। तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम तहसील	मामले
1.	श्रीगंगानगर	4
2.	सादुलशहर	शून्य
3.	श्रीकरणपुर	शून्य
4.	पदमपुर	शून्य
5.	रायसिंहनगर	36
6.	श्री विजयनगर	शून्य
7.	अनूपगढ़	98
8.	घड़साना	30
9.	सूरतगढ़	शून्य
	योग	168

(3) सनद जारी करने पर अलग से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। नियमानुसार सनद जारी की जाती है।

टोंक व सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण

56. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 दिसम्बर, 1993 से 31 अगस्त, 1995 तक टोंक व सवाईमाधोपुर जिले में कितने मामले हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए ?

(2) कितने अपराधों में पुलिस द्वारा मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिये गये तथा कितनों में मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किये जा सके तथा क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 57

(स्थगित)

थाना मालवीय नगर (जयपुर) में दर्ज प्रकरण

58. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना मालवीय नगर, जयपुर में मुकद्मा नम्बर 91/94 दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुकद्मे

(श्री परसादीलाल मीणा)

में अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पुलिस थाना मालवीय नगर, जयपुर में मुकदमा नम्बर 91/94 दर्ज हुआ जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) अभियोग में मृतक श्री लालाराम के पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा लिये गये विसरा की पैथोलोजी परीक्षण की रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण उसके अभाव में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, जिससे अनुसंधान अन्वेषणाधीन है। विसरा जांच हेतु विलम्ब से भेजने के दोषी अनुसंधान अधिकारी श्री गोविन्द देथा को नियम 17 सी.सी.ए. के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है, जो विचाराधीन है। विसरा रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

श्रीमाधोपुर (सीकर) में शराब एवं जुए की अनैतिक गतिविधियां

59. **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बांकेलाल नामक युवक की श्रीमाधोपुर (सीकर) में हत्या की गयी ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

(2) क्या यह भी सही है कि जहां, बांकेलाल की हत्या हुई उस स्थान पर शराब और जुए एवं अन्य अनैतिक गतिविधियां चलती थीं ?

(3) क्या यह सही है कि घटना के दिन उक्त स्थान पर शराब पीने में पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित थे ? यदि हां, तो कौन-कौन, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) जिस स्थान पर शराब और जुआ चलता था और हत्या हुई उस भवन में इन गतिविधियों को संचालित कौन करता था, उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) क्या पुलिस कर्मचारी एवं यह अड्डा चलाने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। अब तक के अनुसंधान से दिनांक 4.8.95 को श्री बांकेलाल की हत्या मुल्जिमान रिछपाल सिंह व बंशीधर जाट नि. तन रलावता थाना खण्डेला के द्वारा करना पाया गया है। प्रकरण दिनांक 12.9.95 से सी.आई.डी. (सी.बी.) में अनुसंधानाधीन है।

(2) जी, नहीं।

(3) श्री रामधन हे. कां. नं. 69 का हत्या के घटनास्थल पर शराब पीना पाये

(48)

(गृह मंत्री)

जाने पर उसे दिनांक 17.8.95 को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(4) घटनास्थल का कमरा जहां हत्या हुई श्री मुरलीधर खुंटेटा का था, जिसे घासीराम पान वाले ने किराये पर ले रखा था। अब तक के अनुसंधान से श्री घासीराम घटना के समय कमरे में होना नहीं पाया गया। घटनास्थल पर शराब व जुआ चलने की कोई शिकायत पूर्व में पुलिस को प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वर्तमान में भी ऐसी गतिविधियों का संचालन करना नहीं पाया गया। अन्वेषण के दौरान तथ्यों की जांच की जा रही है।

(5) पुलिस कर्मी श्री रामधन हैड कांस्टेबल को निलंबित कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अभियोग के अन्वेषण से यदि कोई अन्य व्यक्ति या पुलिस कर्मी दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

थाना मांगरोल (बारां) के बस स्टैण्ड से अपहरण

60. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बारां जिले के थाना मांगरोल में मई, 1994 में अर्जुनलाल सुमन का मांगरोल बस स्टैण्ड से अपहरण करने का केस दर्ज कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त अपहरण के प्रकरण में अब तक पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की तथा कहां-कहां उसको खोजने का प्रयास किया ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। दिनांक 21.5-94 को श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री अर्जुनलाल सुमन निवासी इटावा ने पुलिस थाना मांगरोल पर उपस्थित होकर अपने पिता का मांगरोल बस स्टैण्ड से न मालुम कहीं चले जाने की सूचना दर्ज कराई। जिस पर रोजनामचा आम में गुमशुदगी रपट नं. 870 दर्ज की गयी।

(2) अर्जुनलाल सुमन की गुमशुदगी की रपट दर्ज होने पर थाने के स्टाफ को तलाश हेतु पाबन्द कर सम्बन्धित थानों को वितन्तु सन्देश से तलाश हेतु कहा गया तथा थाने के स्टाफ को सम्बन्धित स्थानों पर तलाश हेतु भेजा जाकर तलाश कराई गयी। लापता अर्जुनलाल की तलाश मौजा रावल जावल, गोपालपुरा, मोतीपुरा, मटेडिया, मऊ, मेहलापुर, भगवानपुरा, जेतल हेडी, सिन्धनिया, विशनपुरा, भगवानपुरा की झौंपड़ियां, सीमल्या, गाडापुरा, बाडापुरा, गंगापुरसिटी, देहत, बोरवा, सिन्धपुरी, माल बमोरी, इटावा, अन्ता, सीमल्या में की गयी। मगर श्री अर्जुनलाल सुमन का पता अभी तक नहीं चल सका है।

जिला श्रीगंगानगर में बोर्डर होमगार्ड की ड्यूटियां

61. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर

(श्री राधेश्याम)

जिले में बोर्डर होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ड्यूटियां समाप्त कर देने से लगभग 3000 जवान बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में क्या विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर के बोर्डर होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां सवाईमाधोपुर के संवेदनशील क्षेत्र में लगाई गयी थी, परन्तु अभी तक वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार उक्त कर्मचारियों को वेतन कब तक देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सीमा गृह रक्षा दल, श्रीगंगानगर के सदस्यों को कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगाया गया था जिनको राज्य सरकार ने आगे रखना आवश्यक नहीं समझा है।

(2) समस्त राजस्थान में सीमा गृह रक्षा दल की नफरी 2664 है। सीमा गृह रक्षा दल के सदस्य राज्य कर्मचारी नहीं हैं। वे केवल स्वयं सेवक है। इनकी आवश्यकता होने पर ही भारत सरकार/राज्य सरकार के निदेशानुसार ड्यूटी पर बुलाया जाता है। यह कोई स्थाई रोजगार का साधन नहीं है।

(3) श्रीगंगानगर सीमा गृह रक्षा दल के जवानों को सवाईमाधोपुर पंचायत चुनाव, 1995 में ड्यूटी पर लगाया था। इन सदस्यों को पारिश्रमिक भत्ते का भुगतान किया जा चुका है।

जयपुर का मंजू शर्मा दहेज हत्याकाण्ड

62. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सुभाष चौक, जयपुर में मंजू शर्मा की दहेज हत्या का मुकदमा संख्या 70/93 दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमें में मृतका के कोई संतान न होने पर उसके दहेज व स्त्री धन को कब्जा राज लिया गया ? यदि हां, तो इस मुकदमें में क्यों नहीं लिया गया ? अब कब तक ले लिया जावेगा ?

(3) क्या उक्त मुकद्में में चालान पेश कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो चालान पेश नहीं करने के कारण क्या हैं ? अब कब तक चालान पेश कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। अभियोग में अन्वेषण के बाद मृतका की सास श्रीमती बिमला देवी शर्मा एवं मृतका के पति श्री राजकुमार के विरुद्ध अपराध धारा 306, 304 बी, भा. द. स. साबित होने पर दिनांक 22.3.94 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा तथा अभियोग में दिनांक

(गृह मंत्री)

14.9.95 को चालान न्यायालय ऐ.सी.जे. एम. नं. 5 जयपुर (शहर) में पेश किया जा चुका है ।

(2) जी, नहीं । ऐसा कोई आरोप परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखा है, ना ही अभियोग दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान स्त्रीधन के बारे में बताया । अभियोग का चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है ।

(3) जी, हां । अभियोग में चालान दिनांक 14.9.95 को न्यायालय ए.सी.जे. एम. नं. 5 जयपुर (शहर) में पेश किया जा चुका है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 63

(स्थगित)

मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री, मोड़क कोटा को स्वीकृत खनिज लीजें

64. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री मोड़क (कोटा) को खनन कार्य के लिए खनिज लीजें स्वीकृत की हुई हैं ? यदि हां, तो किस ग्राम तथा खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि ? लीज स्वीकृति आदेश की प्रति सहित भूमि की किस्म का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या खनिज लीजों बाबत ग्राम पंचायत एवं अन्य के द्वारा शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति तथा इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । मंगलम सीमेंट लि. मोड़क को प्रधान खनिज लाइमस्टोन का एक खनन पट्टा स्वीकृत किया हुआ है । उक्त खनन पट्टा निम्न गांवों की राजस्व सीमाओं में गिरता है – चौसला, फतेहपुर, गणेशपुरा, बुधखान, चेचट, बड़ोदिया, मोड़क, राजूखेड़ा व सोहन खेड़ा । जिन खसरा नम्बरों में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र गिरता है, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" तथा लीज स्वीकृति के आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" संलग्न हैं । भूमि की किस्म का विवरण परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है ।

(2) खनन पट्टाधारी द्वारा चारागाह क्षेत्र में खनन कार्य करने के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमंडी को एक शिकायत ग्राम पंचायत से प्राप्त हुई है । शिकायत की प्रति परिशिष्ट "द" सलग्न हैं । उक्त शिकायत के सम्बन्ध में खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी कार्यालय के सर्वेयर द्वारा सम्बोधित पटवारी की उपस्थिति में सीमांकन किया गया तथा पाया गया कि खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जा रहा है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 65

(स्थगित)

ग्रामीण क्षेत्र की डिस्पेंसरियों में मेल नर्स के रिक्त पद

66. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 12/115/एम.पी.एच./ग्रुप–2/85 दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डिस्पेंसरीज, जिनकी आबादी 3000 से कम थी उनमें मेल नर्स ग्रेड 2 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक-एक पद नहीं भरे जाने के निर्देश जारी किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी डिस्पेंसरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जा चुका है ? यदि हां, तो अब उक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसूतावस्था में आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पदों को शीघ्र भरे जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । पर्याप्त प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदों पर रोक हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी । अब रोक हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी, हां ।

नागौर जिले में नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र

67. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में 1994-95 व 1995-96 में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना विधान सभा क्षेत्र में नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत क्षेत्रीय विधायक ने प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या भेजे गए प्रस्तावों की स्वीकृति जारी कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । वर्ष 1994-95 में वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य में कोई उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये ।

वर्ष 1995-96 में कुल 700 नवीन उप-केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से 355 उप-केन्द्रों को खोलने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

नागौर जिले में 26 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) जी, हां । प्राप्त प्रस्तावों में से पंचायत समिति मकराना के दो ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं ।

शेष उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

स्थानों का चयन उपादेयता के आधार पर किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

सैटेलाइट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर में रिक्त पद

68. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल, अजमेर में चिकित्सकों/कर्मचारियों (ड्राइवर, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारियों आदि) के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में री-एजेंट (कैमिकल्स) एवं जीवनरक्षक दवाइयों की भी कमी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त अस्पताल में इस वर्ष उपकरण (इंस्ट्रूमेंट्स) क्रय किये जाने के लिये कोई राशि आबंटित की गयी थीं ? यदि हां, तो कितनी क्या इस राशि से वांछित उपकरण आदि क्रय कर लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त अस्पताल के भवन में कमरों एवं आवश्यक अन्य सुख-सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आदर्श नगर सैटेलाइट चिकित्सालय में निम्न पद रिक्त हैं :–

1. नर्स (महिला) श्रेणी–I 1 पद 9/95
2. नर्स (पुरुष) श्रेणी–II 2 पद 8/95
3. नर्स (महिला) श्रेणी–II 1 पद 3/95
4. रेडियोग्राफर, एक्सरे मशीन के अभाव में
5. पार्ट टाइम वार्ड बॉय 9 पद) 200 रु.) प्रतिमाह
6. पार्ट टाइम स्वीपर 3 पद)की दर से

रोगी वाहन के अभाव में वाहन चालक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। चिकित्सकों के कोई पद रिक्त नहीं हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तथा पदोन्नति द्वारा पद भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। पार्ट टाइम कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण पद नहीं भरे जा सके हैं।

(2) चिकित्सालय में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, री-एजेंट (कैमिकल्स) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(3) जी, हां। 50 हजार रुपये की राशि आबंटित की गयी। चिकित्सालय भवन में पर्याप्त स्थान के अभाव में नये उपकरण क्रय करना जनहित में नहीं है।

(4) जी, हां। भवन व्यवस्था हेतु जन सहयोग अपेक्षित है।

जिला मुख्यालयों पर ब्लड–बैंक की स्थापना

69. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किन–किन चिकित्सालयों में ब्लड बैंक स्थापित हैं ?

(2) क्या प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ब्लड बैंक स्थापित हैं ? यदि, नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में सभी जिला मुख्यालयों पर ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में निम्नलिखित चिकित्सालयों में लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक कार्यरत हैं :—

1. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
2. ए.जी. अस्पताल, उदयपुर ।
3. उम्मेद अस्पताल, जोधपुर ।
4. महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर ।
5. सन्तोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर ।
6. स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक सोसाइटी एवं थेलेसिमिया रिसर्च सेंटर, जयपुर ।
7. राजकीय चिकित्सालय, बून्दी ।

शेष सभी जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित करने हेतु समुचित प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये हैं ।

(2) जी, नहीं । समस्त जिला चिकित्सालयों में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध है । जी, हां । सरकार सभी जिला मुख्यालयों के चिकित्सालयों में लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है, इस हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ।

तहसील तिजारा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

70. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा मुख्यालय एवं सब तहसील टपूकड़ा एवं सब तहसील कोटकासिम में स्थित चिकित्सालयों में डाक्टर्स एवं नर्स के काफी पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से एवं जनहित में व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र होने से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कब तक डाक्टर्स एवं नर्स के पद भर दिये जावेंगे ?

(2) क्या यही हालत तिजारा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सब सेंटर्स पर भी हैं ? यदि हां, तो वहां भी कब तक पद भर दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के चिकित्सालयों में आवश्यक एवं तत्काल जीवन रक्षक दवायें भी उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। तहसील मुख्यालय तिजारा सब तहसील टपूकड़ा एवं सब तहसील कोटकासिम में स्थित चिकित्सालयों में निम्न पद रिक्त है :—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एक पद चिकित्सक के अनुपस्थित रहने के कारण रिक्त है जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। एक पद मेल नर्स–प्रथम के सेवानिवृत्त होने के कारण पद रिक्त है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम

कनिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिसिन एवं सर्जरी के एक-एक पद तथा चिकित्सा अधिकारी का एक पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टपूकड़ा के सभी पद भरे हुए हैं।

(2) जी, नहीं। तिजारा विधान सभा क्षेत्र के उपकेन्द्रों पर कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) जी, नहीं। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक एवं जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध है।

बारां जेल में हत्या प्रकरण

71. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 21 मई, 1995 को सब जेल बारां में कैदी नन्दकिशोर माली की हत्या हुई थी ?

(2) यदि हां, तो इस हत्या में जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आये ?

(3) क्या इस प्रकार जेल में हत्या होने पर लापरवाह कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। नन्दकिशोर की मृत्यु जेल में दिनांक 21.6.95 को हुई।

(2) जांच में मृत्यु दम घुटने से होना पाया गया।

(3) पुलिस ने इस सम्बन्ध में केस नं० 347/95 दर्ज करा दिया है और अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर यदि जांच में कोई दोषी पाया गया तो, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में लापरवाही के कारण सम्बन्धित कर्मचारी श्री सुगनसिंह, सहायक कारापाल, श्रीडोटिया, मुख्य प्रहरी और धन्ना लाल प्रहरी को 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये जा चुके हैं।

ग्राम किशोरपुरा (लालसोट) की साबुन फैक्ट्री

72. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के ग्राम किशोरपुरा में किशोरपुरा साबुन उत्पादक समिति का गठन कर खादी बोर्ड से ऋण स्वीकृत किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति को ऋण स्वीकृत करने के बाद भी समिति द्वारा साबुन का उत्पादन नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या खादी बोर्ड बार–बार उक्त समिति को स्वीकृत राशि वापस जमा कराने के लिये बाध्य कर रहा है ?

(4) उक्त समिति को साबुन उत्पादन के लिए ऋण स्वीकृत कब किया गया एवं कार्य करने पर रोक कब लगाई गयी ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । ऋण भुगतान पश्चात् समिति द्वारा निर्धारित कार्य में राशि का उपयोग नहीं किया गया । अतः स्वीकृत धनराशि के सम्भावित दुरूपयोग को रोकने हेतु समिति के बैंक खाते पर रोक लगायी गयी ।

(3) खादी बोर्ड द्वारा बैंक में जमा अनुपयोगी राशि वापिस कराने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

(4) समिति को साबुन उत्पादन के लिए मार्च, 1991 में ऋण स्वीकृत किया गया । समिति के बैंक खाते पर रोक दिनांक 7.12.91 को लगायी गयी ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 73

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 74

(स्थगित)

मेवात विकास बोर्ड द्वारा विकास कार्य

75. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मेवात विकास बोर्ड द्वारा पिछले दो वर्षों में विकास के क्या-क्या कार्य किये गये ? आगामी वर्ष में बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है ? उक्त कार्यों हेतु बोर्ड को कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी है ?

उत्तर

(1) मेवात विकास योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों में विकास के निम्न कार्य स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये :—

विकास कार्य का नाम	1993–94		1994–95	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1. सम्पर्क सड़क निर्माण	116 कि.मी.	84 कि.मी.	32 कि.मी.	27 कि.मी.

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

विकास कार्य का नाम	1993–94		1994–95	
2. रेफरल अस्पताल निर्माण रेफरल अस्पताल स्टाफ क्वार्टर निर्माण एवं नल बिजली फीटिंग	2 संख्या	2 संख्या	—	—

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1995–96 में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यकारी समिति द्वारा 245·10 लाख के विकास कार्य अनुमोदित किये गये। आगामी वित्तीय वर्ष 1996–97 के बारे में अभी सूचना देना संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति दी जाती है। आयोजना विभाग से वर्ष 96–97 की प्लान सीलिंग अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1995–96 में योजनान्तर्गत रुपये 200.00 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 76

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 77

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 78

(स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

79. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमू) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, जयपुर द्वारा 1 जनवरी, 1994 से अब तक ट्रैक्टर, टेम्पो, फोटो स्टेट मशीन आदि के लिए कितनी राशि की किन-किन शर्तों पर किस–किस के पक्ष में किस योग्यता के आधार पर स्वीकृतियाँ जारी की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऋण स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर कमेटियाँ गठित हैं? यदि हाँ, तो कमेटी में शामिल किये गये व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृतियों में से कितनी स्वीकृतियाँ जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तथा कितनी निगम द्वारा जारी की गयी? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) स्वीकृतियाँ जारी करने के लिये निगम को राशि किन-किन स्रोतों से किस आधार एवं शर्त पर प्राप्त होती है तथा सरकारी स्तर पर क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या निगम को मिलने वाली राशि के पुनर्भुगतान बाबत सरकार को गारन्टी देनी होती है? यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त पत्र तथा सरकार द्वारा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिये गये उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर द्वारा 1 जनवरी, 1994 से आज दिनांक तक एन.एस.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं में जारी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियों एवं राशि का विवरण परिशिष्ट–1 के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विभिन्न योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट–2 पर शर्तों की प्रति परिशिष्ट–3 पर तथा योग्यता/पात्रता से सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध करादी गयी है।

(2) जी, हां। यह सही है कि वर्तमान में ऋण स्वीकृतियों के लिये जिला स्तर पर कमेटियां गठित हैं। गठित कमेटी के आदेश की प्रति परिशिष्ट–5 के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) उक्त स्वीकृतियों में से निगम मुख्यालय पर 229 एवं जिला स्तर पर 360 प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गयीं। जिलेवार एवं योजनावार स्वीकृतियों की सूची परिशिष्ट–6 पर (1 से 11) के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) स्वीकृतियां जारी करने के लिये निगम को लगभग 50 प्रतिशत (योजना के अनुरूप) राशि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जन जाति वित्त एवं विकास निगम (एन. एस. एफ. डी. सी.) नई दिल्ली से, 10 प्रतिशत राशि (योजना के अनुरूप) लाभार्थी द्वारा एवं शेष राशि लगभग 40 प्रतिशत निगम द्वारा वहन की जाती है। एन. एस. एफ. डी. सी. नई दिल्ली द्वारा जिन शर्तों पर राशि दी जाती है, उनकी प्रति परिशिष्ट-7 के अनुसार सदन के पटल पर रखदी गयी है। एन.एस.एफ.डी.सी. नयी दिल्ली को विभिन्न योजनान्तर्गत राशि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गारंटी देनी होती है।

(5) जी, हां। इस सम्बन्ध में एन.एस.एफ.डी.सी. नयी दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 2088 दिनांक 3–1–95 की प्रति परिशिष्ट-8 के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है। राज्य गारंटी दिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण, विचाराधीन हैं। एन.एस.एफ.डी.सी. ऋण योजनान्तर्गत अवसूलनीय ऋण की जोखिम का पूर्ण भार केवल राज्य निगम पर ही नहीं पड़े बल्कि इस जोखिम को राज्य निगम एवं राष्ट्रीय निगम द्वारा बराबर वहन करने की दृष्टि से मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को एक रिस्क फंड की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जिन पर भारत सरकार से दिनांक 11–9–95 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु एन.एस.एफ.डी.सी. नयी दिल्ली द्वारा कमेटी का गठन कर सूचित किया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट–9 के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर में नये पशु चिकित्सालय

80. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के नागौरी गेट, बागर व कागा क्षेत्र में पशु चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पशुपालकों को 4–5 किलोमीटर दूर जाकर पशुओं की चिकित्सा करवानी पड़ती है ?

(2) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु नया पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में पशु चिकित्सा व्यवस्था हेतु निम्नांकित पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं :–

1. पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक, रातानाड़ा
2. पशु चिकित्सालय, मिल्कमैन कालोनी
3. पशु चिकित्सालय, सूरसागर
4. पशु चिकित्सालय, पूंजला
5. पशु चिकित्सालय, मण्डोर

इन्हीं चिकित्सा संस्थाओं द्वारा नागौरी गेट, बागर व कागा क्षेत्र में पशु पालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर के लगभग है। इससे अधिक नजदीक पशु चिकित्सा संस्थाएं सुलभ कराया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है ।

(2) प्रान्त के अन्य शहरों में पशु चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए जोधपुर शहर में उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त है। जोधपुर शहर में वर्तमान में नया पशु चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है । वर्तमान में राज्य में औसतन 17 किलोमीटर की दूरी पर पशु चिकित्सालय है । राष्ट्रीय कृषि आयोग के मापदण्ड 10 किलोमीटर क्षेत्र पर यह सुविधा उपलब्ध कराने के है । अतः अभी और चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है ।

राजकीय पशु चिकित्सालय नीमोला (कोटा) में नियुक्त चिकित्सक

81. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय पशु चिकित्सालय नीमोला जिला कोटा में वर्तमान में कौन चिकित्सक कार्यरत है ?

(2) क्या वर्तमान में नियुक्त चिकित्सक नीमोला में रहकर सरकारी काम कर रहा है ? यदि हां, तो किस-किस दिन उसने नीमोला में उपस्थित रहकर काम किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) डॉ. राजन चौधरी, 11 अप्रेल, 1995 से इस पद पर कार्यरत हैं ।

(2) जी, हां । 11 अप्रेल, 1995 से

(पशुपालन राज्य मंत्री)

30 सितम्बर, 1995 तक बराबर पशु चिकित्सालय में उपस्थित रह कर कार्य सम्पादित किया है। केवल निम्नांकित तिथियों को वे राजकीय अवकाश/आकस्मिक अवकाश/राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर रहे हैं :–

10 एवं 11 जून, राजकीय अवकाश, 17 जून राजकीय कार्य से कोटा, 18 जून, राजकीय अवकाश, 2 व 23 जुलाई को राजपत्रित अवकाश, 3 व 4 जुलाई को आकस्मिक अवकाश, 20 अगस्त, राजपत्रित अवकाश, 21 अगस्त, आकस्मिक अवकाश 10 व 17 अगस्त, राजपत्रित अवकाश 26 अगस्त, आकस्मिक अवकाश।

अप्रेल, 95 से सितम्बर, 95 तक सम्पादित कार्य का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानकर बड़ा दुःख हुआ होगा कि राजस्थान में पिछले पांच दशक से राजनैतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी छाप रखने वाले चौधरी कुम्भाराम जी का कल स्वर्गवास हो गया।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी कुम्भाराम जी, मैं ऐसा समझता हूं कि किसी व्यक्ति के राजनैतिक जीवन में कहीं थोड़ा बहुत, किसी भी समय कुछ विच्छेद हो सकता है लेकिन निरन्तर 50 वर्षों से वे राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने पहले आजादी के संघर्ष में जिस प्रकार से अपने आपको शामिल किया वह कोई कम बात नहीं थी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी उस व्यक्ति ने उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, जो भी इस प्रकार के आन्दोलन चलते थे, उन आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर, उस आन्दोलन को सफल बनाने की कोशिश की। देश आजाद हुआ, रियासतों का विलीनीकरण हुआ, उस समय भी उनकी इस प्रकार की भूमिका थी जिस भूमिका को राजस्थान का किसान आज भी भुला नहीं सकता।

मुझे याद है, बीकानेर रियासत में जब वे पहले मंत्री बने थे उस समय किसानों के सम्बन्ध में वहां के तत्कालीन महाराजा साहब से मिल करके उन्होंने जो सुधार कराये, वही आधार था जिस आधार के बूते पर राजस्थान में जागीर का पुनर्ग्रहण हुआ, काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिले, काश्तकारों के लिए कानून बने और कानून के अंतर्गत जो भी किसानों के हक की बात थी उस हक को कानूनी स्वरूप उन्होंनें दिलाया। लगातार वे किसानों के लिए संघर्ष करते रहे।

राजस्थान विधान सभा के सदस्य काफी वर्षों तक वे रहे। राजस्थान की विधान सभा में भी उनका जिस प्रकार का सक्रिय योगदान था, उनका जिस प्रकार का विचार था, उस विचार के आधार पर कई कानून बने और कई कानूनों में संशोधन हुए।

वे कितने विनोदप्रिय थे, एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं विपक्ष में बैठा था और वह इधर मंत्री थे। उस समय मैंने प्रश्न पूछा, तो वह तय करके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आये थे कि आज मुझे एक शब्द में ही उत्तर देना है, दूसरा शब्द मैं नहीं बोलूंगा। मैंने प्रश्न पूछा तो जवाब आया "नहीं", दूसरा प्रश्न पूछा तो जवाब आया "हां"। मैंने आठ बार प्रश्न कर लिये, वह शेर का बंदा हां और ना, इसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने चौधरी साहब से बाहर पूछा कि आपने हां और ना, ये दो शब्द ही क्यों पकड़ लिये और आगे इस मामले में विस्तार क्यों नहीं गये? उन्होंने कहा, जिस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें हां, ना से ही यदि परपज सर्व होता है तो मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कहा, हम तो संतुष्ट नहीं होते, तो उन्होंने कहा, कल मैं फिर बोलूंगा, आपका क्वेश्चन है, उस समय मैं संतुष्ट करा दूंगा। दूसरे दिन मैंने फिर प्रश्न किया तो जहां हां, ना में ही उत्तर दिया जा सकता था, आधा घंटे तक उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया और देने के बाद मुझे कहा कि अब तो आपको संतोष हो गया। मैंने कहा, न तो मुझे कल संतोष हुआ और न आप ज्यादा बोले इससे संतोष हुआ, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो कहा प्रश्न के सम्बन्ध में जिस प्रकार की व्यवस्था यहां चल रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाएं उनका उत्तर उसी प्रकार से दिया जाए, संक्षेप में दिया जाए तो ज्यादा प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लगातार उनका संघर्ष किसी न किसी रूप में चलता रहा। कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने संघर्ष किया। नये राजनीतिक दल में उन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद लगातार हर बात का चिंतन करने का विषय उनका एक रहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो और किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे हो? चाहे बिजली का प्रश्न हो, चाहे पानी का प्रश्न हो, चाहे लगान का प्रश्न हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चौधरी कुम्भारामजी उस प्रश्न से जुड़े हुए नहीं हो, इसी प्रकार की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती।

वे राज्य सभा के भी सदस्य रहे। राज्य सभा के सदस्य रहने के साथ–साथ उन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर अपना बनाया। अखिल भारतीय स्तर के नेताओं में उनकी गिनती होने लगी और मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान का वह सौभाग्य था कि उस व्यक्ति ने अखिल भारतीय स्तर पर एक किसान नेता के रूप में अपनी प्रखर बुद्धि की छाप छोड़ी।

चौधरी कुम्भारामजी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि वे दिखते सीधे-सादे थे लेकिन विचारक ऊंचे दर्जे के थे। जिस प्रकार के उन के विचारों की श्रृंखला यदि कोई आदमी लगातार सुनना चाहे तो निश्चित रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने इतना ही नहीं जिस चीज को अपने हाथ में पकड़ लिया उसका जब तक पूरा अध्ययन नहीं किया, उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने भाषण में भी वही प्रसंग लाते थे, चर्चा में भी उसी प्रकार का प्रसंग लाते थे और जब भी कोई मौका मिले, उस प्रकार के प्रसंग के सम्बन्ध में कोई गोष्ठी हो तो उसके ऊपर विस्तार से इस सदन में बोलने की उनकी व्यवस्था थी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विचारों की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हर बार नये-नये विचारों से ओतप्रोत होकर उन्होंने समाज का और अपने किसानों का एक प्रकार से मार्गदर्शन किया, वह व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक व्यक्तिगत सम्बन्ध है, उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध मेरे भी हैं, उनसे लगभग 50 वर्ष के रहे और 50 वर्ष के सम्बन्ध धीरे-धीरे होते-होते इतने प्रगाढ़ सम्बन्ध मेरे उनसे बने, उन प्रगाढ़ सम्बन्धों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब उनकी मृत्यु हुई उसके 10 दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि वे हॉस्पिटल में है। मैं उनके पास गया भी। मैंने उनसे पूछा, वे बोल नहीं सकते थे लेकिन मुझे कहा कि मुझे दो-एक बात करनी है, वह दो-एक बात तो बता दी। लेकिन मैंने पूछा कि आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूं बीमारी का इलाज कराने, उन्होंने कहा कि दिल्ली मत ले जाओ, दिल्ली का डाक्टर बुला लो। मैंने डाक्टर बुलाया, डाक्टर ने सलाह दी, डाक्टर ने कहा कि इनको दिल्ली ले जाओ, इनको दिल्ली ले जाना चाहिये। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपको दिल्ली ले जाना है, आप चलिये। उन्होंने कहा कि भई, मेरे मन में विश्वास नहीं है, चाहे तुम दिल्ली ले जाओ, चाहे मुझे बम्बई ले जाओ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, दिल्ली ले जाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी आप उचित समझते हो, वही आप काम करो। उनका लीवर ड्राई हो गया और दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था, डाक्टर हरिसिंहजी उपस्थित हैं, 1968 में इनका कोई आप्रेशन हुआ, उस आप्रेशन में आप भी मौजूद थे और मैं भी आप्रेशन के समय मौजूद था।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): मैं भी उपस्थित था, 1968 में।

श्री भैरोंसिह शेखावत: 1968 में वह आप्रेशन हुआ। उस समय कहते हैं कि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसका इन्फेक्शन हो गया। 1968 के बाद में उस समय जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया उसके कारण से इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के कारण से लीवर उनका ड्राई हो गया। यहां से मैंने डाक्टर से सलाह की, मैंने कहा कि कोई स्थिति ऐसी बन सकती है क्या जिसके कारण से लीवर वापस फंक्शन करने लग जाए तो कहने लगे कि कुछ समय के लिए हो सकता है लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान हमारे को नजर नहीं आता।

मौत से भी संघर्ष किया और मौत से संघर्ष करते-करते हमारे बीच से उठ गये। मैं समझता हूं कि राजस्थान को एक बहुत बड़ी हानि हुई है और उस हानि के कारण उसकी क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है। आज पूरे राजस्थान में उनके मित्र हैं, आज पूरे राजस्थान में उनके समर्थक हैंऔर पूरे राजस्थान में उनको नेता के रूप में मानने वालों की संख्या कोई कम नहीं है, बहुत अधिक है। उस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन में उनके लिए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि सदन अपनी भावनाओं से इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं परमात्मा से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में जो अग्रणी व्यक्तियों की शृंखला थी जमनालालजी बजाज, जयनारायणजी व्यास, मानिकलालजी वर्मा, रघुवर दयाल जी गोयल, आसावा जी, टीकाराम जी पालीवाल, मथुरादास जी माथुर और चतुर्वेदीजी उन लोगों में ये मास्टर आदित्येन्द्र जी को छोड़कर ये उस पंक्ति में आखिर व्यक्ति थे उस शृंखला में 60 साल तक वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और अग्रणी लोकप्रिय किसान नेता के रूप में उन्होंने अपनी अमिट छाप राजस्थान के सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में छोड़ी।

जैसा कि अभी मुख्य मंत्रीजी उल्लेख कर रहे थे देशी रियासतों के एकीकरण के वक्त देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, 1946 में दिल्ली में इंटरिम गवर्नमेंट फार्म हो गयी थी और उस प्रकार की अंतरिम सरकार बीकानेर में भी बनी थी, उसमें वे मंत्री थे और उस वक्त का जो टेन्योर सिस्टम था, समाज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में किसान खेत का मालिक नहीं था, मालिक ही नहीं था लेकिन रूरल इन्डेटेडनेश में इतना दबा हुआ था, वह इतना शोषित था कि उसकी स्थिति में सुधार लाने का व्यापक दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाए तो समाज का वह बहुसंख्यक वर्ग इस राजस्थान के निर्माण के अंदर सहभागी नहीं हो सकता।

चौधरी साहब एक मौलिक चिंतक थे, मुख्य मंत्रीजी की राय से मैं हण्डरेड पर्सेण्ट सहमत हूं कि उनका भारतीय संस्कृति में, समाज की संरचना में एक लम्बे अर्से तक जो एक समाज की व्यवस्था रही उसमें जो लोगों के संस्कार बनें उस संस्कार के अंदर जो अंधविश्वास भी था, शोषण भी था और उसके साथ में कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां थीं, उससे उस किसान को जागृत किया जाए।

इस सम्बन्ध में उनका मौलिक चिन्तन था। यह बात निश्चित तौर पर जब कभी भी उनके साथ वार्ता हुई है कोई न कोई बात हर पहलू पर उनका अपना सोच था, दृष्टिकोण था और गहरी पैंठ थी उनकी समाज की मूल समस्या के सम्बन्ध में। ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता के बाद हमारे राजनैतिक पटल पर 60 साल तक सक्रिय रहा।

उन्होंने किसानों को उसके अधिकार दिलाने में और अधिकार दिलाने के बाद में वह आर्यसमाज दर्शन से प्रभावित थे और आर्यसमाज दर्शन से प्रभावित होने के फलस्वरूप उनकी समाज सुधार के अन्दर और कुरीतियों को मिटाने के अन्दर पूरी आस्था थी और उस आस्था को आगे बढ़ाने के अन्दर उन्होंने हमेशा अपना जीवन इतना सादा रखा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी सुपुत्री की शादी थी। उन्होंने एक भी इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया और मुझे भी नहीं दिया। मुझे मालूम पड़ा तो मैं वहां

(श्री परसराम मदेरणा)

गया । तो कुल मिला कर बारात में 8–10 आदमी थे और बिना निमंत्रण के लोग चले गए तो आखिर में एक-एक संतरा उनको दिया । इसलिए समाज सुधारक का जो उनका जीवन था, उन्होंने एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया और दहेज प्रथा के खिलाफ हमेशा निरन्तर अपने विचार वह रखते थे ।

उन्होंने जब वृहद् राजस्थान का निर्माण हुआ और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना में सहकारिता, ग्राम पंचायत और प्राथमिक शालाओं के सम्बन्ध में जब अपने विचार रखे – चौधरी साहब की इस सोच से सहमति थी और धीरे-धीरे उन्होंने राजस्थान में जो सहकारी आन्दोलन ने जोर पकड़ा है – एक सब के लिए और सब एक के लिए और जातियों के बीच में परस्पर सद्भाव पैदा करने में उन्होंने एक महती भूमिका निभायी । आज जो सहकारी आन्दोलन का स्वरूप है, कहने को बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन उनके सहयोगी श्री मोतीलाल जी चौधरी कई विदेशों में गये थे और उन्होंने अध्ययन किया था और अध्ययन के बाद में जिन देशों में सहकारिता आन्दोलन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हित के लिए उस तरह की व्यवस्था सहकारिता आन्दोलन से ही सम्भव है, वह सहकारिता आन्दोलन केवल यहां पर ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर के ऊपर आज जो उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाप रही या रिकग्नीशन एज ए लीडर रहा, वह सहकारिता के क्षेत्र में रहा । वह अखिल भारतीय सहकारिता आन्दोलन के उपाध्यक्ष भी थे । उस नाते उनके सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुए देश के सभी प्रान्तों के लोगों से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे । पंचायती राज व्यवस्था के अन्दर पंचायती राज संघ की यहां स्थापना की । उनका यह मानना था कि गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए जैसी हमने सैकड़ों और हजारों वर्षों से जनपद की व्यवस्था रही है वह व्यवस्था अगर यहां पर स्थापित नहीं की जाती है तो किसान अपनी समस्याओं के लिए रोता फिरेगा, उनका शोषण होगा – इसलिए पंचायती राज को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये ताकि वहां बैठकर किसानों की समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके ।

अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधारों के अन्दर ही उनकी भूमिका नहीं रही बल्कि राजस्थान के विकास के अन्दर जो नये-नये प्रोजेक्ट्स उस वक्त बनने जा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एक पार्टी की मीटिंग में उनके विचार भाखड़ा सिस्टम के सम्बन्ध में सुनें और उन्होंने सुखाड़िया जी को कई सजेशन दिये थे अपनी तरफ से, यह बात होगी 1952-53 की । उन्होंने कहा इस सम्बन्ध में भाखड़ा सिस्टम को लागू करने में गंग कैनाल की वजह से किसानों की बहबूदी आयी है इसलिए भाखड़ा सिस्टम को जल्दी लिया जाना चाहिये ।

उसके बाद में उनकी भूमि सुधार के अनेक कार्यों में महती भूमिका रही है, उल्लेखनीय भूमिका रही है – चाहे वह राजस्थान टीनेंसी एक्ट हो, चाहे वह कालोनाइजेशन एक्ट हो, चाहे उसके अन्तर्गत रूल्स बने हुए हैं, खुदकाश्त के सम्बन्ध में भी उनके अपने विचार थे और इसलिए एक व्यक्ति जो इतनी कम शिक्षा के होते

(64)

(श्री परसराम मदेरणा)

हुए भी वह किसी भी धार्मिक विषय के ऊपर भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर, मैंने उनका अलवर में एक भाषण सुना था और उस भाषण को सुन कर मैंने महसूस किया कि वह प्रखर वक्ता थे और उनका हमेशा एक तार्किक भाषण हुआ करता था जो कि एक के बाद एक विचार अपने सोच से वह लोजिकल कंक्ल्यूजन तक ले जाने वाले वह व्यक्ति थे।

चौधरी साहब चार दफा मंत्री रहे। बीकानेर की इन्टरिम गवर्नमेंट में वह मंत्री रहे, व्यास की इन्टरिम गवर्नमेंट में चुनावों के पहले वह मंत्री रहे, गृह मंत्री थे और 1954 में वह स्वास्थ्य मंत्री रहे, 1964 में बाई इलेक्शन में वह राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री थे जिस समय मुख्य मंत्री को हां और ना में जवाब दिया होगा। उनके बाई इलेक्शन में मैं और विश्नोई जी जोधपुर गये थे कुछ कार्यकर्त्ताओं को लेकर और तीन सप्ताह तक रहे थे। उनमें नेतृत्व देने की, संगठन को स्थापित करने की एक असीम विलक्षण शक्ति थी और उसी का परिणाम था कि आज लाखों लोग उनके अनुयायी हैं। वह कुशल प्रशासक थे और राजस्थान के कुछ व्यक्तियों को लौहपुरुष के नाम से सम्बोधित किया जाता था उनमें एक चौधरी साहब भी थे। वह सच्चे समाज सेवक, सादा और सिम्पल लिविंग और हर बात में बहुत धैर्यवान थे।

मैं एक दफा जल्दी-जल्दी आया तो उन्होंने कहा कि आप उतावले क्यों हो रहे हैं? मनुष्य को बहुत धैर्य रखना चाहिये और धैर्य रखने के कारण हमेशा वह अपनी बात बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में कहते थे, क्योंकि उनका मौलिक चिन्तन था। वह एक शांत चित्त व्यक्ति थे और हमेशा दूसरों का सहयोग लेकर चलते थे और समाज के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टीसिपेशन (भागीदारी) हो इस सिद्धान्त का प्रचार और प्रसार करने में और उसके लिए कार्यकर्त्ताओं की बहुत बड़ी फौज तैयार करने में चौधरी साहब का हाथ रहा है। राजस्थान के निर्माण और विकास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही हैं।

इन गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति जो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में उनके सिद्धान्त आज समाज के सामने और आने वाली संतति के सामने रहेंगे। उनका कल निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुखद रिक्तता को सहन करने की शक्ति दे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, इस शोक के वातावरण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता चौधरी कुम्भाराम आर्य के सम्बन्ध में रखा है कि वह हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका आजादी से लेकर आज तक किसानों को उन्नत करने और उनकी आवाज को शासन तक पहुंचाने और उसका समाधान कराने में योगदान रहा है। विशेष तौर से एक घटना के लिए राजस्थान के किसान चौधरी कुम्भाराम जी को याद करते हैं। किसान के खेत की लकड़ी खेती के

(श्री अमराराम)

काम में आने वाले औजार के लिए काम में नहीं ली जा सकती थी उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किये। इस एक घटना के लिए राजस्थान का किसान उनको याद करता है और उनकी सेवाओं को याद करता है। वह हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति दे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, आज बड़ी विचित्र स्थिति है। बहुत से लोगों के और बहुत से माननीय सदस्यों के राजनैतिक गुरु एवं संरक्षक चौधरी कुम्भाराम जी आर्य आज नहीं रहे। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य हैं जिनको उन्होंने अपना संरक्षण दिया और एक राजनैतिक गुरु के हिसाब से उनका पथ-प्रदर्शन किया। हमारी पीढ़ी के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

चौधरी साहब संघर्षशील व्यक्ति थे और संघर्ष का दूसरा नाम चौधरी कुम्भाराम है। शुरू के काल से ही उन्होंने राजाशाही के खिलाफ, जागीरदारी के खिलाफ संघर्ष किया। जब राजस्थान का नवनिर्माण हुआ, रियासतें विलीन हुईं और उस पीढ़ी के जो हमारे नेता थे उनमें चौधरी कुम्भारामजी अग्रणी थे। वह एक शक्ति के केन्द्र थे। एक जमाना था, उस वक्त के लोग जानते हैं, राजस्थान के राजनैतिक निर्णयों में वह सबसे ऊपर थे। उनके घर बैठकर राजनैतिक निर्णय हुआ करते थे। किसानों के लिए उनके दिल में पीड़ा थी। किसान के प्रति लगाव, किसान के प्रति स्नेह और भक्ति उनमें अटूट थी। आज़ादी के बाद सन् 1952 में पहले चुनाव हुए। किन्हीं कारणों से किसी भी दल का उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला। राजगढ़ से वह खड़े हुए। अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं गये। उन्होंने एक भी एजेंट पोलिंग बूथ पर नहीं रखा और राजस्थान की विधान सभा में बहुत बड़े बहुमत से वह जीतकर आये। इस प्रकार का लोगों का स्नेह, लोगों की भक्ति उनमें थी।

अध्यक्ष जी, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इतने लम्बे समय तक अपने राजनैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सबसे प्रिय होते हैं। प्रशासन में उनकी गहरी पैठ थी। प्रशासन का एक नमूना जो उनके सम्बन्ध में प्रचलित है, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। किसान उनके पास आया, कागज नहीं था। चौधरी साहब ने किसान की हथेली पर कलेक्टर के नाम आदेश कर दिया और उसकी पालना हुई। ऐसे प्रशासक कहां मिलेंगे? जहां भी वह बैठते थे सामाजिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में चर्चा होती थी, लोग उनके मुंह की तरफ देखा करते थे कि चौधरी साहब क्या कहते हैं।

इस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। राजस्थान के ही नहीं, सम्पूर्ण भारत के किसान की, उत्तर भारत के किसान को क्षति हुई है। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। उनका योगदान किसान की बहबूदी में, ग्रामीण क्षेत्र की बहबूदी में बहुत बड़ा है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुझे उनके बहुत निकट रहने का अवसर मिला है। मैं यह मानता हूं कि मेरा राजनैतिक जीवन उनकी छत्रछाया में शुरू हुआ। मैं तो व्यक्तिशः उनका बहुत ऋणी हूं।

(66)

(श्री शिवनाथ सिंह)

मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके विचार हमको हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए बहुत दुःख की बात है कि एक वरिष्ठ किसान नेता, देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक चौधरी कुम्भाराम जी आर्य हमारे बीच में से उठ गये। मुख्य मंत्री जी ने, विपक्ष के नेता महोदय ने और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं भी उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं। और केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारी, इन्जीनियर्स और डाक्टरों को सदैव यह शिकायत रहती है कि हमको कम पढ़े लिखे, अनपढ़ लोगों के नीचे काम करना पड़ता है। हम हमारे क्षेत्र के अन्दर बहुत विद्वान हैं, बड़े प्रशिक्षित हैं, एक्सपर्ट्स हैं और हमारे ऊपर वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। चौधरी साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने, मुख्य मंत्री जी, विपक्ष के नेता और बैद जी जानते हैं, उस वक्त आई.सी.एस. और आई.पी.एस. केडर के अधिकारी यहां पर राजस्थान में लगे हुए थे और वरिष्ठ अधिकारी, जो 22 रजवाड़ों के वरिष्ठतम अधिकारी थे, वह भी यहां थे लेकिन चौधरी साहब की पेशी में जाने से पहले सात दफा विचार करते थे कि कौन सा प्रश्न पूछ लेंगे, उनका हम क्या जवाब देंगे। राजनीतिज्ञों को कुशल प्रशासक होना चाहिए और वह प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहे पढ़े-लिखे कम हों, लेकिन हमारी क्षमताएं उनसे ज्यादा हैं यह चीज उन्होंने हम सब के लिए स्थापित की जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रहेगी।

परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिवार को और उनके समर्थकों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने पूर्व विधायक एवं सांसद श्री कुम्भाराम जी आर्य के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री और राज्य के वरिष्ठ राजनेता श्री कुम्भाराम जी आर्य का जन्म जून, 1914 में श्री गंगानगर जिले की नोहर तहसील के गांव फेफाना में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

आप युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गये तथा आर्य समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहे। प्रारम्भ के कुछ वर्षों में आप पूर्व बीकानेर रियासत की पुलिस सेवा में रहे लेकिन बाद में त्यागपत्र देकर प्रजा परिषद् की गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़ गये।

स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर रियासत की लोकप्रिय सरकार में वर्ष 1948 में आप राजस्व मंत्री रहे तथा राजस्थान के निर्माण

(श्री अध्यक्ष)

के बाद आप अप्रेल, 1951 से 1952 तक श्री जयनारायण व्यास के मंत्रिमण्डल में गृह मंत्री रहे।

वर्ष 1952 में हुए प्रथम आम चुनावों में आप चूरू विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। वर्ष 1954 में आप श्री सुखाड़िया जी के मंत्रिमण्डल में स्वास्थ्य मंत्री बनाये गये लेकिन वर्ष 1956 में आपने त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1960 में आप राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1964 में तीसरी राजस्थान विधान सभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित होने पर आपने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। नवम्बर, 1964 में आपको राजस्थान सरकार में राजस्व, उपनिवेशन तथा अकाल राहत मंत्री बनाया गया। दिसम्बर, 1966 में आपने राज्य मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1968 में आप विपक्षी दलों की ओर से पुनः राज्य सभा के लिए चुने गये।

आपातकाल में आप जेल में नजरबंद रहे। वर्ष 1980 में सातवीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में आप सीकर क्षेत्र से लोकदल [जनता (एस)] के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए।

सामाजिक और आर्थिक क्रांति के पक्षधर तथा रूढ़िवादिता के प्रबल विरोधी श्री आर्य राजस्थान की राजनीति में लगभग पांच दशक तक छाये रहे स्वतंत्रता से पूर्व आप अखिल भारतीय देशी राज लोक परिषद में और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी (राज.), भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल और जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे।

राजस्थान के प्रमुख किसान नेता श्री आर्य एक जुझारू, कर्मठ और दबंग जनप्रतिनिधि रहे। आपने वर्ष 1957–58 में राजस्थान पंचायत राज संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस संघ के अध्यक्ष भी रहे। आप अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के भी उपाध्यक्ष रहे।

श्री आर्य वर्ग चेतना के आधार पर मजदूरों और किसानों को जागरूक बनाने, उन्हें संगठित करने और उनमें चेतना जागृत करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप सहकारी क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे। आप राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय सहकारी संघ के उपाध्यक्ष भी रहे।

"किसान यूनियन क्यों" श्री आर्य की प्रकाशित कृति है। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में जर्मनी, सोवियत रूस और ब्रिटेन आदि देशों की यात्राएं कीं।

वरिष्ठ राजनेता श्री कुम्भारामजी आर्य का दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री आर्य को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा कृषि हेतु कम से कम 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा के बावजूद बिजली उतने समय उपलब्ध नहीं होने तथा बिजली का वोल्टेज अधिक होने से किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा व 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा नहीं कर अव्यवहारिक एवं असमान चुंगी दरें लागू करने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित और स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर एवं भरतपुर जिलों में माह अगस्त-सितम्बर, 1995 से अधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त मकानों, फसलों, कुओं, पम्पसेटों, स्कूल भवनों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति तथा पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं कराने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा के कारण कोटा, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगों को समुचित राहत प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, दौसा एवं हनुमानगढ़ जिलों में हाल की वर्षा एवं अतिवृष्टि से हुई जान-माल की क्षति से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री आर. पी. शर्मा एवं 22 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, कोटा व हनुमानगढ़ जिलों में बाढ़ तथा अतिवृष्टि का भयंकर प्रकोप होने से जन-धन की भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमरा राम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर एवं कोटा जिलों में आयी बाढ़ के

(श्री अध्यक्ष)

पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बाढ़ पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं

श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, खान विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं खान विभाग की निम्नाकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प.14(4) खान/ग्रुप–2/86 पार्ट II दिनांक 22 मई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किये गये हैं,

(2) अधिसूचना संख्या 14 (4) खान/ग्रुप–2/86 पार्ट II दिनांक 17 जून, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किये गये हैं,

(3) अधिसूचना संख्या प.8(10) खान/ग्रुप–2/93 दिनांक 5 जुलाई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 क के अन्तर्गत मार्बल के खनन पट्टे आवंटित करने सम्बन्धी प्रक्रिया अधिसूचित की गयी है, एवं

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 14(3) खान/ग्रुप–2/86 दिनांक 13 मार्च, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 42 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कतिपय अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अग्निशमन सेवाओं के सम्बन्ध में 295 रखा था उसका उल्लेख आपने नहीं किया। अगर उसका भी उल्लेख आप कर लेते तो अच्छा था, आपने लिस्टेड किया है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा। Since Choudhary Kumbha Ram's body is lying in state and he is to be cremated at four, I don't think that this House should continue the proceedings. I think, the House should adjourn immediately in his respect. Because if he would not have been lying in state in Jaipur, वह जयपुर में ही मृत अवस्था में....

श्री अध्यक्ष : आप उस समय शायद थे नहीं।

डा. हरिसिंह : ऐसी सूरत में इस सदन में कार्यवाही चलाना उनके प्रति डिसरेस्पेक्ट होगी और ऐसी परिस्थितियां अगर आती हैं तो यह गलत परम्परा होगी। मैं समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा....

(70)

श्री अध्यक्ष : यह पहले ही तय किया जा चुका है :

डा. हरिसिंह : तय कर लिया तो फिर यह क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह खाली लेइंग हो रही है, पांच मिनट का काम है ।

डा. हरिसिंह : मैं तो प्रश्नकाल हुआ, उसके बारे में भी I have got resentment.

श्री अध्यक्ष : उस समय आप नहीं बिराज रहे थे, सारे सदन से अनुमति लेने के पश्चात् ही यह हो रहा है ।

डा. हरिसिंह : Half-heartedly. When his body is lying in state, I think this is a disrespect to the dead man.

श्री रामनारायण चौधरी : Chief Minister is responsible for it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ले कर रहे हैं, दो मिनट का काम है ।

श्री अध्यक्ष : खाली दो मिनट का ही काम है ।

डा. हरिसिंह : सवाल दो मिनट का नहीं है....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अधिसूचनाएं हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हाउस एडजोर्न किया जा सकता है । हाउस एडजोर्न किया जा सकता है, मैं खुद भी इस बात से सहमत हूं । आपकी बात ही मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने तो प्रश्नकाल भी स्थगित करने का आग्रह किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप पहले क्यों नहीं बोले ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बोला था न....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोले तो मैंने कहा था, उसको स्वीकार कर लिया । चौधरी कुम्भाराम जी से जितना भावनात्मक लगाव आपका है उससे कम मेरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.48 बजे सोमवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

पंचायत समिति थानागाजी क्षेत्र में एनीकटों का विवरण

क्र.सं.	नाम एनीकट	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हौंसला	जीवनधारा	1992–93	2.65	2.57	पूर्ण	अकाल राहत से पूर्ण कराया गया है। 2.00 लाख जीवनधारा एवं 0.65 लाख अकाल राहत से स्वीकृत किया है।
2.	डेरा बामनवास	,,	,,	2.00	2.12	पूर्ण	
3.	रामशालागढी (खरकड़ी)	,,	,,	2.30	2.28	पूर्ण	
4,	डूंगरी	,,	,,	2.00	1.93	पूर्ण	
5.	पीरबाबा	,,	,,	2.00	1.90	पूर्ण	
6.	ढाणी मोरड़ी	,,	,,	2.00	2.17	पूर्ण	
7	गोमतीनाला (नारायणपुर)	अकाल राहत (2050)	1994	2.00	2.00	पूर्ण	

71

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कालातांका (विशोरी)	अकाल राहत	,,	1.00	1.00	पूर्ण	
9.	काबलीगढ़	,,	,,	0.72	0.72	पूर्ण	
10.	श्यामपुरा	जीवनधारा	1992–93	1.50	0.43	प्रगति पर	
11.	अडीनाला	,,	,,	1.50	1.43	,,	
12.	बान्दरोल	,,	,,	2.00	—	हाल में चालू	
13.	बल्लूवास	,,	,,	2.00	1.07	अपूर्ण	जांच विचाराधीन (विकास विभाग)
14.	बाढ गुजरान	,,	,,	2.00	1.24	,,	जांच विचाराधीन (विकास विभाग)
15.	बान्दरोल (बाला की ढाणी)	अकाल राहत (2050)	1994	2.00	1.40	,,	अकाल की समयावधि समाप्त हो जाने के कारण।
16.	गुवाडा सिद्धारान	जीवनधारा	1992–93	2.00	0.91	निरस्त	साइट अनुपयुक्त पाये जाने के कारण
17.	रडा (मालूवाना)	,,	,,	2.00	—	,,	साइट अनुपयुक्त पाये जाने के कारण
18.	मुनीनाथ	,,	,,	2.00	—	,,	साइट अनुपयुक्त पाये जाने के कारण
19.	टोडी लुहरान	,,	,,	2.00	—	प्रारम्भ नहीं	साइट विवाद होने के कारण

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जिला सामान्य चिकित्सालय, श्रीगंगानगर की व्यवस्था

35. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सामान्य चिकित्सालय श्रीगंगानगर में बिजली, पानी और सफाई का समुचित प्रबन्ध नहीं है ?

(2) प्रश्न के भाग प्रथम में वर्णित कमियों की पूर्ति किस प्रकार कितने समय में कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस अस्पताल में सरकारी नार्म्स के अनुसार किस-किस श्रेणी के कितने-कितने डाक्टर, नर्स आदि कर्मचारी पदस्थापित किये जाने अपेक्षित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) प्रश्न के भाग तृतीय में अपेक्षित पदों में से कितने पद अब तक नहीं भरे गये हैं ? अब कब तक इन पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

(5) क्या यह सही है कि जनसाधारण और नगर पार्षदों के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) क्या यह सही है कि अस्पताल के स्तर को देखते हुए सरकार द्वारा पूर्ण मात्रा में दवाइयां नहीं भिजवाई जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) गत तीन माह में अस्पताल की भेजी गई दवाइयों की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । जिला सामान्य चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में बिजली, पानी, सफाई की समुचित व्यवस्था है ।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(3) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं नर्सिंग संवर्ग के पदों में से वरिष्ठ विशेषज्ञ का एक पद तथा नर्सिंग संवर्ग के 47 पदों की नार्म्स के अनुसार कमी है । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(4) प्रश्न के भाग तीन की सूची में रिक्त पद दर्शाये गये हैं । रिक्त पद पदोन्नति तथा पात्र आशार्थियों के प्राप्त होने पर भरे जाने सम्भव हो सकेंगे ।

(5) जी, हां । नगर पार्षद एवं दन्त विभाग के कर्मचारियों में झगड़ा हुआ था, जिसकी आवश्यक जांच करवाई जा रही है ।

(6) जी, नही । दवाइयां आबंटित बजट के अनुसार ही उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(7) माह अगस्त, 1995 से अब तक रु. 2,70,137.71 की औषधियां उपलब्ध कराई गयी हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

७५

भाग 3 की सूची

	नाम पद	मानदण्ड के अनुसार आवश्यक पद सं.	वर्तमान में स्वीकृत पद	आवश्यक पद	रिक्त पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	9	8	1	1 (शल्य)
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	16	16	×	—
3.	उप नियंत्रक	1	1	×	—
4.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7	7	×	—
5.	चिकित्सक	33	33	×	4
6.	डिस्ट्रिक चिप नर्सिंग अधीक्षक	1	1	×	—
7.	नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी–I	1	1	×	1
8.	,, ,, श्रेणी–II	2	2	×	1
9.	मेल नर्स श्रेणी–I	27	27	×	—
10.	मेल नर्स श्रेणी–II (मेल/फिमेल)	102	55	47	—

भाग 7 की सूची

1.8.95	बेन्डेज 4 इच	100 दर्जन	4825.00
	गाज	500 थान	33125.00
4.8.95	एक्सरे फिल्म 8 × 10, 10 × 12, 12 × 15	4000	81161.20
5.8.95	गाज	6 पैकेट	492.00
	बेन्डेज 6 इंच	12 दर्जन	492.00
9.8.95	इंजेक्शन निकेथेमाइड	500 एम्प्यूल	1500.00
	इंजेक्शन निवोस्टिगमिन	300 ,,	1125.00
	आर. ग्लोब्स	500 पेयर	4750.00

75

	सेवलीन	20 लीटर	1920.00
	बी.पी. ब्लेड्स	600 नग	1470.00
	इन्जेक्शन सोडियम पेन्टोथिनेट	1 ग्राम 50 वायल	1747.00
	,, ,, ,,	1/2 50 ,,	1142.00
19.8.95	ग्लवस पाउडर	50 पैकेट	200.00
	ग्लूकोज 5%	4907 बोतल	43790.00
	जी. एन. एस.	1000 बोतल	8500.00
	मेट्रोजिल 100 सी.सी.	200 बोतल	2250.00
	केप्सूल टेट्रासाइक्लीन	20,000 केप्सूल	10500.00
	इन्जेक्शन बेन्जाइल पेनिसिलिन	4500 वायल	17325.00
22.8.95	इन्जे. एट्रोपीन सल्फ	2000 एम्प्यूल	1676.00
	इन्जे. डाइक्लोपेन सोडियम	2000 ,,	6900.00
24.8.95	इन्जे. स्कोलिन	40 वायल	900.00
28.8.95	टेबलेट सालब्यूटामोल	20,000	2100.00
	,, डाइसाइक्लोमीन	20,000	960.00
8.9.95	इन्जेक्शन जाइलोकेन 5%	75 एम्प्यूल	135.00
	इन्जेक्शन सेन्सरकेन	30 ,,	147.00
	इन्जे. लिग्लोकेन 2% 30 मि.लि.	1000 वायल	5000.00
12.9.95	गाज क्लाथ	500 पैकेट	33125.00
	बेन्डेज 4 इंच	50 दर्जन	1100.00
21.9.95	बेन्डेज 6 इंच	50 दर्जन	1500.00
	इन्जे. नारमल सलाइन	50 बोतल	175.00
	बिटेडीन	1 बोतल	105.00

योग :–2,70,137.71

मैकेनिकल सब डिवीजन, पाली में वाहन मरम्मत पर व्यय

36. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में विभाग के मैकेनिकल सब डिवीजन में पिछले दो वर्षों में वाहनों की मरम्मत व रख-रखाव पर 80 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ? उक्त राशि किसके आदेश से व्यय और कितने वाहनों की मरम्मत पर व्यय की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मैकेनिकल डिवीजन में मरम्मत के बड़े कार्य जोधपुर में किये जाते हैं ? यदि हां, तो फिर पाली में इतना पैसा खर्च क्यों किया गया ?

(3) क्या इन वाहनों की मरम्मत की देख-रेख एक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की गयी ? यदि हां, तो किस आदेश से ?

(4) क्या यह सही है कि इस 80 लाख के घोटाले की जांच अधिशाषी अभियन्ता को दी गयी थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि यह घोटाला सही पाया गया और श्री तोषनीवाल को इसी कारण पूरी जांच होने के पूर्व ही तबादले पर अन्य स्थान पर भेजा गया और जांच का कार्य रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मैकेनिकल सब डिवीजन में पिछले दो वर्षों में (1993-94, 1994-95) में वाहनों एवं मशीनों की मरम्मत व रख-रखाव पर निम्न प्रकार व्यय किया गया :–

1.	स्टाफ का वेतन, भत्ता, यात्रा-भत्ता, चिकित्सा व्यय एवं ओवरटाइम	25,42,898
2.	मशीनों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स आदि	66,31,531
	योग	91,74,429

यह राशि अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड–पाली द्वारा उनके आदेश से खर्च की गयी। उक्त सम्बन्ध में मैन्युअल ऑफ आर्डर पृष्ठ 33, 2.15 की प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश के अन्तर्गत कार्य किया गया। यह राशि 17 मशीनों एवं निरीक्षण वाहनों पर खर्च की गयी जिसकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी, हां। बड़े कार्य जोधपुर में किये जाते हैं लेकिन कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए एवं इस सम्भावना को कि उक्त कार्य पाली में हो सकते थे, अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) पाली ने अपने विवेक से यह कार्य एवं खर्चा पाली में ही करवा लिया।

(3) जी, नहीं। पाली खण्ड की मशीनों की मरम्मत की देखरेख कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक खण्ड, पाली, सहायक अभियन्ता, यांत्रिक उप-खण्ड, पाली एवं अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड–पाली द्वारा की जाती है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी, नहीं। इस खर्च की जांच अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि, यांत्रिक वृत–जोधपुर को करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. जोधपुर संभाग, जोधपुर के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या अन. 12/390 दिनांक 12.6.95 द्वारा आदेशित किया गया। पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जांच पूर्ण होकर प्रतिवेदन अभी प्राप्त होना है।

(5) श्री तोषनीवाल, अधिशाषी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, जोधपुर को उक्त प्रकरण की जांच कभी भी नहीं सौंपी गयी थी, अतः उनके स्थानान्तरण का इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पाली खण्ड की मशीनों की सूची

क्र.सं.	मशीन का नाम एवं नम्बर	माडल (वर्ष)
1.	**ट्रक**	
1.	आर एस क्यू 3697	1969
2.	आर जे क्यू 7024	1970
2.	**ट्रेक्टर :–**	
1.	ई. टी. 1730	—
3.	**रोडरोलर**	
1.	ए. जे. 3102	1970
2.	बी. एम. 21208	1965
3.	बी. एम. 21211	1965
4.	बी. एम. 21297	1965
5.	बी. एम. 21323	1965
6.	बी. एम. 21336	1965
7.	बी. एम. 21966	1965
8.	बी. एम. 94120	1965
9.	बी. एम. 94121	1965
10.	बी. एम. 89312	1965
11.	बी. आर. आर. 75407	—

4. निरीक्षण वाहन

1. कार R R G 7759
2. जीप R R X 557
3. ट्रेकर R J T 9680

ह०/–
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड पाली

CONFIDENTIAL

M. C. MEHTA
ADDITIONAL CHIEF ENGINEER

P.W.D JODHPUR ZONE,
JODHPUR.

D. O. No. Sec. 12/390

9th June, 1995.
12th

Sub : Excessive expenditure under head 2059 PW 052 M&E II R&C in the year 1994-95.

My dear,

Tne CE (R-I) vide his D. O. letter No. F. 8-15 (5) 1/1994-95/ Sec. IV/D-137 dated 27th April, 1995 (Copy enclosed) had called for the explanation of Shri R. S. Sharma, Executive Engineer, P.W.D. Pali for incurring heavy expenditure on the maintenance and repairs of the machinery of his division. The Executive Engineer has submitted his explanation vide his letter No. 799 dated 9.5.95 (Copy enclosed).

You are requested to conduct a detailed enquiry and submit your P. E. Report immediately.

Encls : (Two)

Yours Sincerely,
Sd/–
(M C. MEHTA)

Shri M. S. Mathur,
Superintending Engineer,
Mechanical Circle
P.W.D. JODHPUR.

नावां (नागौर) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का रिक्त पद

37. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नांवा, जिला-नागौर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, हां । राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध हो गये है, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी हैं–औपचारिकताएं पूर्ण होते ही इस रिक्त पद की पूर्ति करना संभव हो सकेगा ।

ग्राम पंचायत डोब (अलीपुरा) के आबंटन की जांच

38. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पिछले सत्र में आबंटन नियमों में सुधार करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो आवंटन कमेटी एवं आवंटन नियमों में क्या-क्या परिवर्तन कर सुधार किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि दौसा जिले की तहसील लालसोट में ग्राम पंचायत डोब (अलीपुरा) के आबंटन की जांच जिलाधीश से कराने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या जांच करवाली गयी ?

(3) उक्त भू–आबंटन की जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार आबंटन कमेटी के अध्यक्ष को उक्त आबंटन में दोषी मानती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । नियमों में संशोधन विचाराधीन है ।

(2) जी, हां । जांच हेतु जिला कलेक्टर, दौसा को निशित किया गया है ।

(3) जांच हेतु निर्देशित किया गया है ।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा ।

पुलिस हिरासत में हत्या/मृत्यु प्रकरण

39. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री-माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में पुलिस हिरासत में कब-कब कितनी हत्याएं/मृत्यु हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उन हत्याओं में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन प्रकरणों में दोषी कर्मचारियों का पदस्थापन उन घटनाओं के कितने समय पश्चात् कहां-कहां किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

80

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों में कुल 17 व्यक्तियों की सूची पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई। सूची 'अ' साथ में संलग्न है।

(2) दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध किये गये व विभागीय कार्यवाही की गयी। सूची संलग्न है।

(3) इन प्रकरणों में दोषी कर्मचारियों को पुलिस लाइन में पदस्थापित किया गया। विवरण संलग्न है।

(सूचियां/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति घाटोल के छात्रावास भवन

40. श्री जितेन्द्र निनामा (घाटोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति घाटोल में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के भवनों की हालत गिरने जैसी है एवं पानी टपकता है। तथा बिस्तर चारपाई आदि की पूर्ण व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो सरकार कब तक दोनों छात्रावासों (छात्र एवं छात्राओं) को पूर्ण ठीक करवाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि कन्या छात्रावास में व्यवस्थापिका का पद रिक्त है? यदि हां, तो सरकार इस पद को कब तक भरने का विचार रखती है और यह पद कब से खाली है?

(3) बांसवाड़ा जिले में कितने कन्या छात्रावासों में व्यवस्थापिकाओं के पद रिक्त हैं? सरकार उन्हें कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भवनों की गिरने जैसी स्थिति नहीं है। आवश्यक मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। दोनों छात्रावासों के लिए चारपाई बिस्तर आदि की व्यवस्था हेतु और धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

(2) व्यवस्थापिका का पद 9/89 से रिक्त है। शिक्षा विभाग की अध्यापिका को अतिरिक्त कार्यभार देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) बांसवाड़ा जिले में 4 कन्या छात्रावास अधीक्षिकाओं के पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग की अध्यापिकाओं को अतिरिक्त कार्यभार देने की व्यवस्था की जा रही है।

आर. डी. गर्ल्स कॉलेज (भरतपुर) के समीप स्थित देशी मदिरा का गोदाम

41. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर शहर में आर. डी. गर्ल्स कालेज के पास देशी शराब का गोदाम कब से स्थित है?

(2) क्या इस गोदाम के कारण छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

(3) क्या सरकार इस गोदाम को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ग्रौर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. का देशी शराब का गोदाम ग्रार.डी. गर्ल्स कालेज के सामने वर्ष 1962 से स्थित है।

(2) स्थानीय प्रशासन भरतपुर के द्वारा सूचित किया गया था कि उक्त गोदाम के कारण महाविद्यालय की छात्राग्रों को ग्रसुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

(3) जी, हां। भरतपुर के देशी शराब गोदाम को ग्रौद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसकी ग्रनुपालना में गोदाम का निर्माण नये परिसर में प्रारंभ करा दिया गया है एवं देशी शराब गोदाम का निर्माण मार्च, 1996 तक पूर्ण होना संभावित है। तदुपरान्त इसे स्थानान्तरित करा दिया जावेगा।

जिला झुंझुनूं में नये सब सेंटर्स की स्थापना

42. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले में कितने सब सेन्टर चालू वित्तीय वर्ष में खोले जाने का सरकार का विचार है ?

(2) क्या इन सब सेंटरों के स्थानों के चयन के बारे में जिला परिषद्/पंचायत समितियों/जन प्रतिनिधियों की भी राय ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष ग्रभी तक 21 उप केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं, शेष जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कोई चिकित्सा संस्थान नहीं है, उन पर उपादेयता के ग्राधार पर विचार किया जा रहा हैं।

(2) जी, हां। उपादेयता के आधार पर विचार किया जा रहा है।

विशेष ग्राबंटन के ग्राबंटियों को पट्टा

43 श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रगस्त, 1991 में किये गये विशेष ग्राबंटन की राशि 35 प्रतिशत काश्तकारों द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् सरकार द्वारा विशेष आबंटन पर रोक लगायी गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के आदेश के विरुद्ध प्रभावित काश्तकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बैंच में रिट दायर की गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा कराने वाले काश्तकारों को पट्टा (ग्राबंटन ग्रादेश) जारी करने के ग्रादेश दिनांक 27–5–1993 को दिये गये ? क्या उक्त ग्रादेश के मुताबिक जयपुर

(82)

(श्री भीमसेन चौधरी)

बैंच द्वारा भी दिनांक 20–9–1994 को रूपाराम बनाम अन्य एवं सरकार के आदेश के मुताबिक आबंटन आदेश जारी किये जाने के आदेश दिये गये थे ?

(4) क्या सरकार ने आबंटन नियमों में संशोधन कर आबंटन नियम 13(8) को संशोधित कर दिनांक 30–6–1993 को आबंटन आदेश जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक काश्तकारों के घर भिजवाने की व्यवस्था की ?

(5) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नं. 1 व 2 इसी दौरान दिनांक 30–6–1994 को राजस्व क्षेत्र को दी गयी तथा इन तहसीलों के 1991 के विशेष आबंटन के पट्टे माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच के आदेश दिनांक 20–9-1994 के बावजूद आज भी जारी नहीं किये गये, यदि हां, तो क्यों, व कब तक उक्त आदेश रजिस्टर्ड डाक से सम्बन्धित काश्तकार के पास भिजवा दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपने आदेश प. 3(6) उप/91 दिनांक 29.8.91 से श्री गंगानगर और बीकानेर व जैसलमेर के जिलों में उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य व विशेष आबंटन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर अन्य आदेश तक इन जिलों में सामान्य व विशेष आबंटन पर रोक लगायी गयी थी, जिन मामलों में कब्जा नहीं दिया था उनमें कब्जा देने पर भी रोक लगायी थी ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां ।

(4) जी, हां ।

(5) उपनिवेशन तहसील छतरगढ नं. 1 व छतरगढ नं 2 में 31.5.1994 से राजस्व विभाग को हस्तांतरण हो चुकी है । आबंटित भूमि के पट्टे जारी करने पर कोई पाबन्दी नहीं है । जिला कलेक्टर को पुनः आबंटन नियमों के नियम–13 (8) के अनुसार पट्टे जारी करने के लिये निर्देशित भी कर दिया गया है । पहले भी पत्रांक प. 3 (6) उप/91 दिनांक 13.5.92 के द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जिला कलेक्टर, बीकानेर को दे दिये गये थे ।

उदयपुर एवं अजमेर शहरों हेतु नागरिक सुरक्षा योजना

44. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किस-किस शहर को कब–कब नागरिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? उक्त योजना को शहरों में लागू करने के आधार/मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या सरकार उदयपुर व अजमेर को भी इस योजना में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब, और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के निम्नांकित

(गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री)

शहरों को नागरिक सुरक्षा योजना में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक के सामने अंकित वर्षों से नागरिक सुरक्षा नगर घोषित किया गया है :—

1.	नागरिक	सुरक्षा	जोधपुर	–	1964 से लगातार
2.	,,	,,	जयपुर	–	1964 से लगातार
3.	,,	,,	बीकानेर	–	1964 से लगातार
4.	,,	,,	नाल	–	1964 से लगातार
5.	,,	,,	बाड़मेर	–	1964 से लगातार
6.	,,	,,	जैसलमेर	–	1964 से लगातार
7.	,,	,,	भरतपुर	–	1975 से लगातार
8.	,,	,,	कोटा	–	1975 से लगातार
9.	,,	,,	सूरतगढ़	–	1979 से लगातार
10.	,,	,,	रावतभाटा	–	1990 से लगातार
11.	,,	,,	अजमेर	–	1964 से 1985 तक 1.10.95 से पुनः घोषित
12.	,,	,,	गंगानगर	–	1964 से 30.9.95 तक
13.	,,	,,	फुलेरा	–	1964 से 1985 तक
14.	,,	,,	बनार	–	1967 से 1970 तक
15.	,,	,,	सालवार	–	1967 से 1970 तक
16.	,,	,,	उदयपुर	–	1970 से 1975 तक 1979 से 1985 तक 1.10.95 से पुनः घोषित
17.	,,	,,	आबूरोड	–	1975 से 1985 तक 1.10.95 से पुनः घोषित
18.	,,	,,	चूरू	–	1979 से 1985 तक
19.	,,	,,	हनुमानगढ़	–	1979 से 1985 तक
20.	,,	,,	अलवर	–	1979 से 1985 तक 1.10.95 से पुनः घोषित

भारत सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा बाहरी खतरों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन कर इन शहरों को नागरिक सुरक्षा योजना में शामिल किया जाता है ।

(2) भारत सरकार द्वारा उदयपुर व अजमेर को दिनांक 29.8.95 के द्वारा दिनांक 1.10.95 से नागरिक सुरक्षा नगर घोषित किया जा चुका है ।

लेखन सामग्री घोटाला प्रकरण

45. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्य मुद्रणालय में लेखन सामग्री में लाखों रुपयों का घोटाला पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कब तथा कितनी राशि का तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किसके द्वारा कब की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय इस विभाग में कौन अधिकारी विभागाध्यक्ष था तथा इसमें उनकी क्या भूमिका रही ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस घोटाले के उजागर होने के बाद दूसरे विभागों की भी ब्यूरो द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो किस-किस विभाग की, कब-कब और उसमें कितना-कितना घोटाला किस-किस द्वारा किया जाना पाया गया तथा इस सम्बन्ध में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। घोटाला माह मई, 1995 में ध्यान में आया तथा 11,24,705/–रुपये की राशि का घोटाला प्रथम दृष्टया पाया गया। इस घोटाले में राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो के सर्वश्री किशनलाल, आरक्षक नं. 45, किशोर सिंह, आरक्षक नं. 243, पूरण सिंह आरक्षण सं. 291 अनिल भटनागर, व. लि., सत्यनारायण शर्मा व. लि., एवं राजकीय मुद्रणालय जयपुर के गोविन्द कुमार शर्मा, बजट लिपिक, राजेन्द्र नागर, लेखाकार, रमेश चन्द्र वर्मा, क. लि., हनुमान प्रसाद, क. लेखाकार, अरुण कुमार गोठवाल क. लि. परशुराम, कार्या. सहायक, चयनसिंह, लेखाकार, प्रेमसिंह चौहान, प्रभारी, सेन्ट्रल पेपर स्टोर, मधुसूदन माथुर, लिपिक, सेन्ट्रल पेपर स्टोर, लक्ष्मणदास शर्मा, व. लि. प्रभारी, स्टेशनरी स्टोर, चिमन सिंह, क. लेखाकार के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993–94 व 1994–95 के तीन प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान करवाया जा रहा है अब तक अनुसंधान से इन तीनों प्रकरणों में कुल 12,59,028 रुपये का घोटाला होना पाया गया है। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् ही यह निर्धारण करना संभव होगा कि इस घोटाले के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं और किस-किस के खिलाफ क्या कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) इस अवधि में श्री किशन लाल, आई. पी. एस. राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, के विभागाध्यक्ष थे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम–3 के अन्तर्गत विभाग के किसी अधिकारी को लेखन सामग्री की मांग करने के लिए अधिकृत करने के अलावा विभागाध्यक्ष की कोई अन्य भूमिका नहीं है।

(3) जी, हां। राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अतिरिक्त राज्य राजस्थान के अन्य विभागों में भी स्टेशनरी एवं पेपर सामग्री के गबन की जानकारी प्राप्त होने पर ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार से ऐसे विभागों की विशेष अंकेक्षण हेतु आग्रह किया गया। वित्त सचिव के निर्देशानुसार निदेशक, कोष एवं लेखा तथा

(राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री)

निदेशक निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा विशेष अंकेक्षण कराया गया। संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार 25 प्रकरण 12 विभागों के अधिकारीगण/कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये हैं समस्त प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

कब-कब और उसमें कितना-कितना घोटाला हुआ यह सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधान पूर्ण होने पर ही सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा टी. बी. अस्पताल जयपुर तथा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के भी अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिन का अध्ययन किया जा रहा है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सा व्यवस्था

46. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों में 70 वर्ष से ऊपर की आयु के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान प्रदान करने हेतु-परिपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1991 द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा इसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आयु के व्यक्तियों से राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा व्यावसायिक फीस लेने की मनाही की हुई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। परिपत्र दिनांक 9–1–1991 की प्रति मेज सदन पर रख दी गयी है। इस कार्य हेतु पृथक से वित्तीय प्रावधान नहीं है। स्वीकृति बजट प्रावधान के अन्तर्गत यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं न ही सरकार के स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–प्रशि/वि. प्र./91/27 दिनांक 9–1–1991

: परिपत्र :

चिकित्सा सेवाओं में सुधार एवं प्रशासनिक स्फूर्ति लाने हेतु माननीय स्वास्थ्य

(86)

मंत्री जी द्वारा विभिन्न संवर्गों की आयोजित मीटिंग में कई निर्णय लिये गये हैं। इसी क्रम में कुछ वर्गों को विशेष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि निम्न श्रेणी के रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा "डॉक्टरी जांच, इन्वेस्टीगेशन उपचार एवं मुफ्त दवा उपलब्ध करायी जावे :—

1. वे रोगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और अन्त्योदय परिवार के हैं।

2. वे गरीब वृद्ध रोगी जो 70 वर्ष और ऊपर की आयु के हैं।

3. वे रोगी जो विकलांग हैं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं।

उपरोक्त श्रेणी के बाह्य रोगियों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की होगी।

उपरोक्त श्रेणी के अन्तर रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित वार्ड चिकित्सा अधिकारी की होगी।

सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उपरोक्त श्रेणी के बाह्य रोगी एवं अन्तर रोगियों के लिये दवाइयां अपने स्तर से समय पर उपलब्ध करावें।

इस सम्बन्ध में यदि कोई शिथिलता बरतने का प्रकरण ध्यान में लाया जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी।

ह०
निदेशक (परिवार कल्याण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान,
जयपुर।

राजमार्गों की सीमा पर अतिक्रमण

47. डॉ. रामराय शर्मा (जमवारामगढ़) **एवं श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्ग हैं तथा उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्गों की सीमा के अन्दर के

(डा. रामराय शर्मा)

अतिक्रमणों, कानून विरुद्ध लगने वाली दुकानों तथा साइन बोर्डों के खिलाफ क्या-क्या कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कानून बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा 45 राज्य उच्च मार्ग हैं। 31–3–1995 को इन मार्गों की कुल लम्बाई क्रमशः 2846 व 9810 किमी. है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग व राज्य उच्च मार्गों की लम्बाई परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त मार्गों की सीमा के अन्दर अतिक्रमणों, कानून के विरूद्ध लगने वाली दुकानों वगैरा को हटाने एवं नियन्त्रण में रखने के लिये राज्य सरकार ने "हाइवे बिल एक्ट" विधान सभा में पारित करवा लिया है जिसमें इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए जो कदम उठाये जाने हैं, वह प्रस्तावित है।

(3) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की तरह राज्य विधान सभा में "हाइवे बिल एक्ट" पारित करवा लिया गया है जो महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदनाधीन है।

जिलेवार राष्ट्रीय उच्च मार्ग व राज्य उच्च मार्गों की लम्बाई

(लम्बाई किमी. में)

क्र. सं.	जिले का नाम	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य उच्च मार्ग
1	2	3	4
1.	अजमेर	138	399
2.	अलवर	35	472
3.	बांसवाड़ा	—	258
4.	बारां	—	305
5.	बाड़मेर	189	533
6.	भरतपुर	71	232
7.	भीलवाड़ा	—	366
8.	बीकानेर	251	289

1	2	3	4
9.	बून्दी	64	320
10.	चित्तौड़गढ़	—	473
11.	चुरू	113	564
12.	दौसा	88	151
13.	धौलपुर	28	152
14.	डूंगरपुर	34	106
15.	गंगानगर	124	271
16.	जयपुर	366	422
17.	जैसलमेर	196	23
18.	जालौर	41	314
19.	झालावाड़	94	202
20.	झुंझुनूं	—	278
21.	जोधपुर	110	630
22.	कोटा	90	180
23.	नागौर	—	860
24.	पाली	178	212
25.	राजसमन्द	163	55
26.	सवाईमाधोपुर	4	431
27.	सीकर	129	295
28.	सिरोही	121	197
29.	टोंक	111	182
30.	उदयपुर	108	438
31.	हनुमानगढ़	—	200
	योग :–	2846	9810

तहसीलदार, जहाजपुर (भीलवाड़ा) के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार के प्रकरण

48. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो अब तक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को निलम्बित कर निष्पक्ष जांच करवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के गठन के पश्चात् भी तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा नामान्तरण करण तस्दीक किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस अवधि में किये गये नामान्तरणकरणों की तस्दीक में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) शिकायतों की जांच अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से करायी जा रही है।

(3) जांच निष्कर्ष प्राप्त होने और प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी। केवल शिकायत के आधार पर ही अधिकारी को निलम्बित करना न्यायोचित नहीं है।

(4) जी, हां। ग्राम भीकरी तहसील जहाजपुर के एक मामले में तहसीलदार ने नामान्तरण करण संख्या 227 दिनांक 3-6-1995 को पंचायत के गठन के बाद तस्दीक किया है।

(5) जी, हां। प्रारम्भिक जांच के आधार पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गयी है।

कामां (भरतपुर) में नया पुलिस सर्किल

49. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कामां, जिला भरतपुर में नया पुलिस सर्किल खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पुलिस पुनर्गठन योजना 1994 में कामां जिला भरतपुर में नया पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजकीय चिकित्सकों द्वारा निजी चिकित्सालयों में प्रेक्टिस/आपरेशन

50 **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में निजी तौर पर चल रहे विभिन्न डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स, नर्सिंग होम आदि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वैधानिक प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस बाबत अन्य राज्यों में बनाये हुए कानूनों की जानकारी के लिए सरकार ने पत्र व्यवहार किया है ? यदि हां, तो अन्य राज्यों से प्राप्त उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम में सरकारी चिकित्सकों को प्रैक्टिस तथा आपरेशन करने से रोकने के लिए विभाग द्वारा आदेश जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो आदेश/दिशा निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस बाबत राज्य सरकार एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है।

(2) जी, हां। अन्य राज्यों में से महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व केरल से उत्तर प्राप्त हुए हैं। उत्तर की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(91)

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

परिशिष्ट "अ"

राज्य में जनजाति क्षेत्र में स्वीकृत देशी मदिरा दुकानों की सूची
वर्ष 1995-96 (गंगानगर शूगर मिल्स द्वारा)

क्र.सं.	दुकान का नाम	तहसील	राजस्व जिला
1	2	3	4
1.	टीडी	गिर्वा	उदयपुर
2.	झाडोल	झाडोल	,,
3.	कोटडा	कोटडा	,,
4.	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	,,
5.	नेवातलाई	सराड़ा	,,
6.	जयसमन्द	सराड़ा	,,
7.	सलूम्बर	सलूम्बर	,,
8.	धरियावद	धरियावद	,,
9.	परसाद	खैरवाड़ा	,,
10.	डूंगरपुर नं. 1	डूंगरपुर	डूंगरपुर
11.	डूंगरपुर नं. 2	,,	,,
12.	डूंगरपुर स्टेशन नं. 3	,,	,,
13.	पीठ	सिमलवाड़ा	,,
14.	सिमलवाड़ा	,,	,,
15.	सागवाड़ा नं. 1	सागवाड़ा	,,
16.	सागवाड़ा नं. 2	सागवाड़ा	,,
17.	गलियाकोट	,,	,,
18.	आसपुर	आसपुर	,,

1	2	3	4
19.	ओवरी	सागवाड़ा	डूंगरपुर
20.	बिछीवाड़ा	डूंगरपुर	,,
21.	बांसवाड़ा नं. 1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
22.	बांसवाड़ा नं. 2	,,	,,
23.	खमेरा	घाटोल	,,
24.	गढी (परतापुर)	गढी	,,
25.	कुशलगड़	कुशलगढ़	,,
26.	बागीदोरा	बागीदोरा	,,
27.	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	,,
28.	आनन्दपुरी	बागीदोरा	,,
29.	कलिंजरा	बागीदोरा	,,
30.	माहीडेम	बांसवाड़ा	,,
31.	दानपुर	बांसवाड़ा	,,
32.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
33.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (कृषिमंडी)	,,
34.	अरनोद	अरनोद	,,
35.	दलोट	प्रतापगढ़	,,
36.	मूंगथला	आबूरोड	सिरोही
37.	मावलगांव	,,	,,
38.	आमथला	,,	,,
39.	ओरिया	,,	,,
40.	धमेसरा	,,	,,
41.	देलदर	,,	,,
42.	किशनगंज	किशनगंज	बारां

1	2	3	4
43.	कस्बाथाना	शाहबाद	बांरा
44.	केलवाड़ा	शाहबाद	"
45.	रामगढ़	किशनगंज	"
46.	भवरगढ़	शाहबाद	"
47.	शाहबाद	शाहबाद	"
48.	नाहरगढ़	किशनगंज	"
49.	रेलावन (परानियां)	किशनगंज	"
50.	समरानियां	शाहबाद	"
51.	देवरी	किशनगंज	"
52.	मरड़ा	"	"
53.	जलवाड़ा	"	"
	कुल योग 53		

राज्य के जनजाति क्षेत्र में स्वीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानों की सूची वर्ष 1995–96

क्र.सं.	दुकानात के नाम		तहसील	राजस्व जिला
	मुख्य दुकान	उपदुकान		
1	2	3	4	5
1–	बांसवाड़ा नं. 1	1—बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
2–	बांसवाड़ा नं. 2		"	"
3–	परतापुर		गढी	"

(94)

1	2	3	4	5
4–	कुशलगढ़		कुशलगढ़	बांसवाड़ा
5–	डूंगरपुर		डूंगरपुर	डूंगरपुर
6–	सागवाड़ा		सागवाड़ा	,,
		2–सिमलवाड़ा	सिमलवाड़ा	,,
		3–बिछीवाड़ा	डूंगरपुर	,,
		4–वीरपुर	,,	,,
		5–आसपुर	आसपुर	,,
		6–नागडतलाई	बागीदौरा	बांसवाड़ा
		7–आनन्दपुरी	बागीदौरा	,,
		8–कालियाकुआ	सागवाड़ा	डूंगरपुर
		9–बनकोडा	आसपुर	,,
		10–बडकीचौराहा	सागवाड़ा	,,
		11–डूंगरपुर (पातेला)	डूंगरपुर	,,
		12–पीठ	सिमलवाड़ा	,,
		13–थाणा (हाला)	डूंगरपुर	,,
		14–सावला	सागवाड़ा	,,
7–	खैरवाड़ा		खैरवाड़ा	उदयपुर
8–	सलूम्बर		सलूम्बर	,,
9–	कोटडा		कोटडा	,,
10–	नेवातलाई		सराड़ा	,,
11–	झाडोल		झाडोल	,,
		15–तितरडी	गिर्वा	,,
		16–धरियावद	धरियावद	,,
		17–सेमारी	सराड़ा	,,

1	2	3	4	5
		18–जयसमंद	सराड़ा	उदयपुर
		19–झामरकोटड़ा	गिर्वा	”
		20–मोमटावाड़ा	सराड़ा	”
12–	केलवाड़ा	21–शाहबाद	शाहबाद	बारां
		22–देवरी	किशनगंज	”
		23–किशनगंज	किशनगंज	”
		24–समरानिया	शाहाबाद	”
		25–कस्बाथाना	शाहाबाद	”
		26–नाहरगढ़	किशनगंज	”
13–	आबूरोड		आबूरोड	सिरोही
14–	आबूरोड नं. 2		”	”
15–	आबूरोड नं. 3		”	”
		27–मानपुर	”	”
		28–मावलरोड	”	”
		29–प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़

कुल 15 मुख्य दुकान 29 उप दुकान

96

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का विवरण

क्र.सं.	सड़कों का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वर्ष 1994-95 में खर्च (लाखों में)	1995-96 में आवंटन	विशेष विवरण
1.	बेरीवाला–7 के.एन.डी. सड़क से 22 के.वाई.डी. तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य 3.0 किलोमीटर (1994-95)	28.00	9.95	18.00	कार्य प्रगति पर। कार्य वर्ष मार्च 1996 में पूर्ण होना संभावित।
2.	आवा सड़क से लूणखां तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य 3.0 किलोमीटर (1994-95)	21,00	6.33	14.67	उपरोक्तानुसार।
3.	पगल–दंतौर सड़क से कुम्हारवाला सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य 5.0 किलोमीटर (1994-95)	35.00	9.19	25.81	उपरोक्तानुसार।
योग	11.0 कि.मी.	84.00 लाख	25.47 लाख	58.48 लाख	

कृषि उपज मण्डी खाजूवाला व बीकानेर द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट–1 पर प्रस्तुत है।

बीकानेर कृषि उपज मण्डी समिति के कार्य

क्र.सं.	सड़क का नाम	प्रावधान 1994–95	प्रावधान 1995–96
		(रुपये लाखों में)	
1.	सम्पर्क सड़क खिन्देसर से मेलू	45.00	12.36
2.	सम्पर्क सड़क बचासर से सरूपदेसर	20.87	2.42
3.	सम्पर्क सड़क कोटरी फनाटा से चांदी ग्राम	—	18:00
4.	सम्पर्क सड़क 750 आर.डी. से अमरापुरा मुख्य सड़क	—	14.0

खाजूवाला कृषि उपज मण्डी समिति के कार्य

क्र.सं.	सड़क का नाम	प्रावधान 1994–95	प्रावधान 1995–96
1.	सम्पर्क सड़क खाजूवाला से पावली वाया 2 के.जे.डी.	13.60	10.00
2.	सम्पर्क सड़क 25 के.वाई.डी. से 2 के.डब्ल्यू.एम.	14.00	10.00
3.	सम्पर्क सड़क अलादीन के बोरा से 34 के.वाई.डी.	12.00	10.00

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1994–95 में जिलेवार आवंटित विशेष मरम्मत (एस./आर.) हेतु

क्र. सं.	जिले का नाम	राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	474.00
2.	नागौर	471.00
3.	भीलवाड़ा	412.00
4.	बीकानेर	643.17
5.	चूरू	418.00
6.	गंगानगर	358.32
7.	हनुमानगढ़	241.71
8.	जयपुर	1388.23
9.	सीकर	257.00
10.	झुंझुनूं	263.00
11.	अलवर	458.00
12.	दौसा	226.30
13.	टोंक	216.20
14.	धौलपुर	194.86
15.	भरतपुर	333.15
16.	जोधपुर	689.25
17.	बाड़मेर	368.20
18.	जैसलमेर	150.60
19.	सिरोही	205.60
20.	जालौर	255.50
21.	पाली	404.27

1	2	3
22.	कोटा	504.50
23.	बारां	210.00
24.	बून्दी	196.92
25.	झालावाड़	255.17
26.	सवाईमाधोपुर	355.51
27.	राजसमन्द	189.00
28.	उदयपुर	512.54
29.	चित्तौड़गढ़	319.00
30.	बांसवाड़ा	279.00
31.	डूंगरपुर	250.00
		11500.00

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1995–96 में जिलेवार आबंटित विशेष मरम्मत (एस./आर.) हेतु ।

क्र. सं.	जिले का नाम	राशि (लाखों में)
1.	2	3
1.	अजमेर	449.27
2.	बीकानेर	557.53
3.	भीलवाड़ा	410.15
4.	बाड़मेर	342.99
5.	चूरू	412.14
6.	चित्तौड़गढ़	310.00
7.	अलवर	454.70
8.	सीकर	250.00
9.	झुंझुनूं	280.00

100

1	2	3
10.	जयपुर	1380.44
11.	जोधपुर	637.88
12.	कोटा	470.00
13.	बून्दी	226.19
14.	बारां	250.00
15.	सवाईमाधोपुर	394.37
16.	नागौर	421.39
17.	हनुमानगढ़	222.50
18.	गंगानगर	367.72
19.	जैसलमेर	120.20
20.	पाली	360.00
21.	सिरोही	201.00
22.	जालौर	261.00
23.	दौसा	196.92
24.	टोंक	185.00
25.	भरतपुर	340.00
26.	धौलपुर	220.00
27.	झालावाड़	242.36
28.	उदयपुर	531.08
29.	बांसवाड़ा	324.84
30.	राजसमन्द	158.00
31.	डूंगरपुर	280.15
	योग :–	11257.82

परिशिष्ट "स"

जिलेवार पक्की सड़कों की लम्बाई 31-3-1995

क्र. सं	जिले का नाम	राशि (कि. मि. में)
1.	2.	3
1.	अजमेर	2181
2.	अलवर	2404
3.	बांसवाड़ा	1277
4.	बारां	853
5.	बाड़मेर	2880
6.	भरतपुर	1552
7.	भीलवाड़ा	2358
8.	बीकानेर	2655
9.	बून्दी	1009
10.	चित्तौड़गढ़	1874
11.	चूरू	1992
12.	दौसा	763
13.	धौलपुर	872
14.	डूंगरपुर	1133
15.	गंगानगर	1695
16.	जयपुर	2725
17.	जैसलमेर	2283
18.	जालौर	1505
19.	झालावाड़	913
20.	झुंझुनूं	1730

(102)

1	2	3
21.	जोधपुर	3714
22.	कोटा	992
23.	नागौर	2772
24.	पाली	2398
25.	राजसमन्द	1199
26.	सवाईमाधोपुर	1757
27.	सीकर	1516
28.	सिरोही	1042
29.	टोंक	935
30.	उदयपुर	2598
31.	हनुमानगढ़	1328
	योग :–	54905

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का विवरण

खातेदारी भूमि का विवरण :

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा		खातेदार का नाम
			बिघा	बिस्वा	
1.	राजपुरा	25	1	15	छीतर लाल आ. पोखर व किसनलाल आ. बोहन लाल गूजर स. देह हिस्सा
2.	,,	35	3	6	बराबर खातेदार।
3.	,,	36	2	3	
4.	,,	26	1	10	कान्हा, उदा, प्रभू, पि. हीरा गूजर खातेदार।
5.	,,	27	3	14	,, ,,
6.	,,	31	2	17	,, ,,
7.	,,	28	2	19	किशोर गोपी, पि. कालू गूजर सा. देह खातेदार।
8.	,,	34	3	9	मु. कन्या बेवा ऊँकान व नंदकुँवर दुख्तर ऊँकार वगैर गूजर सा. देह खातेदार।
9.	,,	37	2	2	,, ,,
10.	,,	38	2	2	,, ,,
11.	,,	40	1	5	सुखदेव सिंह आ. प्रीतम सिंह सिख सा. कोटा खातेदार
12.	,,	41	2	12	,, ,,
13.	,,	121	7	—	देवी आ. अमरा जाति गूजर सा. देह खातेदार।
14.	,,	386/587	14	—	राजेन्द्रकुमार आ. किसन सहा सक्सेना खातेदार।

1	2	3	4	5	6
15.	राजपुरा	387/1	10	—	बालू ग्रा. भैरू लुहार खातेदार
16.	"	388/1	5	—	दुधां वल्द लालू जाति गूजर सा. देह खातेदार।
	योग :—	16	64	15	

ह०–
जिला कलेक्टर (भू० अ०),
बूंदी।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 की सूची

जिला टोंक/सवाईमाधोपुर में दर्ज अभियोगों की सूची

क्र०सं०	शीर्षक	समय	दर्ज अपराध	अपराध जिनमें मुल. गिर. हुये	अपराध जिनमें मुल. गिर. नहीं हुए	मुल. गिर. न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
जिला टोंक						
1.	हत्या	1.12.93 से 31 अगस्त 1995 तक	1	1	–	–
2.	बलात्कार	,,	8	7	1	जुर्म घटित न होने के कारण
3.	अपहरण	,,	1	–	1	जैर तफतीश होने से
4	डकैती	,,	निल	–	–	–
5.	चोरी	,,	53	11	42	35 अपराधों में जुर्म घटित न होने, एक अपराध में मुल. का पता न चलने, 6 अपराध जैर तफतीश होने के कारण,

1	2	3	4	5	6	7
6.	एस.सी./एस.टी अधिनियम	,,	435	201	234	167 अपराधों में जुर्म घटित न होने से, 2 अपराधों में मुल. का पता न चलने, 61 अपराध पेण्डिग होने व 4 अपराधों में मुल. फरार होने से गिर. न हो सकी ।
जिला सवाईमाधोपुर						
1.	हत्या	1 दिस. 1993 से 31.8.95 तक	100	45	55	6 अपराध में जुर्म घटित न होने से, 17 में मुल. का पता न चलने व 32 अपराध अन्वेषणाधीन होने से ।
2.	बलात्कार	,,	58	35	23	18 अपराध में जुर्म घटित न होने, व 5 अपराध अन्वेषणाधीन होने से ।
3.	अपहरण	,,	182	35	147	108 अपराधों में जुर्म घटित न होने, 9 अपराधों में मुल का पता न चलने, 1 अपराध में जुर्म साबित न होने से व 29 अपराधों में अन्वेषणाधीन होने से ।
4.	डकैती	,,	4	1	3	2 अपरधों में मुल. का पता न चलने व 1 अपराध अन्वेषणाधीन होने से ।

1	2	3	4	5	6	7
5.	चोरी	,,	848	169	679	192 अपराध घटित न होने, 443 अपराध में मुल. का पता न लगने, 44 अपराध अन्वेषणाधीन होने से ।
6.	एस.सी./एस.टी. अधिनियम	,,	452	153	299	219 अपराध घटित न होने, 3 अपराधों में मुल. का पता न चलने व 77 अपराध अन्वेषणाधीन होने से ।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 की प्रति

श्रीमान् थानाधिकारी महोदय,
थाना मालवीयानगर, जयपुर शहर,
जयपुर ।

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि मेरे भाई साहब श्री लालाराम मीणा पुत्र श्री सोहनलाल मीणा को पेट में तेज दर्द की शिकायत के कारण डा. रूगटा के अस्पताल रूंगटा चिल्ड्रन एण्ड जनरल होस्पीटल, मालवीयनगर, जयपुर में इनडोर मरीज के रूप में डीलक्स कमरा नं. 4 में भर्ती करवाया गया । डा. रूगटा के निर्देशन में डा.पी.सी. काला सर्जन ने लालाराम मीणा की जांच की तथा 21.3.94 को लगभग सायंकाल 4 बजे भर्ती किया, 21.3.94 की सायं उसके विभिन्न टेस्ट किये गये तथा 22.3.94 को उसके अपेन्डिक्स पेट की गांठ का आपरेशन डा. काला और अन्य चिकित्सकों द्वारा किया गया । दौराने आपरेशन लालाराम मीणा को जो एनिस्थिसिया दिया गया व अन्य प्राणघातक दवाईयां दी थी जो कि एक सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता ऐसा चिकित्सय गंभीर नेगलीजेन्स व अस्पताल के उपकरणों की त्रुटि के कारण हुआ । अत्यधिक ज्यादा एनिस्थिसिया देने से लालाराम का मस्तिष्क व शरीर के अन्य अंग आक्सीजन न मिलने से गंभीर रूप उसे प्रभावित हो गया है व मृतप्रायः हो गया है । अस्पताल के चिकित्सक अत्यधिक मात्रा में एनिस्थिसिया देना स्वीकार करते है । परन्तु ऐसी संभावना है कि वे आपरेशन व मरीज से संबंधित रिकार्ड में हेरा फेरी करेगें, इसलिए समस्त मेडीकल रिकार्ड सीज किया जा कर जानते बूझते अधिक एनिस्थिसिया दे कर व लालाराम की जान खतरे में डाल कर डा. रूगटा डा. काला व एनिस्थिसिया देने वाले चिकित्सिक ने अपराध कारित किया है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है । तथा दोषियों को दण्डित किया जाना आवश्यक है । आज दोपहर 12.22 बजे श्री लाला राम को मृत घोषित कर दिया गया । अतः आपसे निवेदन है कि मेडिकल बोर्ड बिठा कर श्री लालाराम का पोस्टमार्टम करवाया जावे । आवश्यक कानूनी कार्यवाही करवाई जावे ।

प्रार्थी,
ह०
(फूलचन्द मीणा)
4.30 पी०एम० दि. 27.3.94

कार्यवाही पुलिस

1. यह तहरीरी रिपोर्ट श्री फुलचन्द मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा आर.ओ. बिन्दायका थाना मालवीयनगर जयपुर ने उपस्थित थाना हो कर पेश की।

2. मजमून रिपोर्ट से मामला जूर्म धारा 304–ए आई.पी.सी. का वकू में आना पाये जाने से मु० नं० 91/94 जुर्म सदर में कायम कर तफतीश मन एस.एच.ओ. गोबिन्द देथा ने शुरू की।

3. एफ.आई.आर. की प्रति प्रार्थी को निशुल्क दी गयी।

ह० फुलचन्द मीणा

ह० एस.एच.ओ.
27.3.95
थाना मालवीय नगर, जयपुर।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची

जिला – नागौर

जिला 1	पंचायत समिति 2	ग्राम पंचायत 3	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम 4
नागौर	रियां	बड़ायणी	1. बड़ायली
		सूदवाड़	2. सूदवाड़
	डेगाना	लागोड़	3. लागोड़
		बछवारी	4. आंकली
	मेड़ता	हरसोलवा	5. हरसोलवा
		कड़वासरों की ढाणी	6. कड़वासरों की ढाणी
		दधवाड़ा	7. दधवाड़ा
		डाबरियनीकला	8. जावली
	परबतसर	चिताई	9. चिताई
		कुन्डरी	10. कुन्डरी
	मकराना	धानणवा	11. धानणवा
		जूसरिया	12. जूसरिया
	जायल	मावला	13. मावला
		तवरा	14. तवरा
	लाडनूं	मंगलपुरा	15. मंगलपुरा
	डीडवाना	पावा	16. पावा
		खरवालिया	17. खरवालिया
		घेवड़ी	18. घेवड़ी
	नागौर	पाबूसर	19. पाबूसर

1	2	3	4
		मोमासर	20. मोमासर
	कुचामन सिटी	पपुरा टोरड़ा	21. रावां
		इन्दोरवा	22. इन्दोरवा
		जिजोट	23. जिजोट
		सरगोठ	24. सरगोठ
		घिरोद	25. घिरोद
		माडपुरा	26. माडपुरा

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का विवरण

पशु चिकित्सालय नीमोला (कोटा) में माह अप्रेल, 1995 से सितम्बर, 1995 तक सम्पादित कार्य का विवरण

माह	चिकित्सा	बधियाकरण	दवा वितरण	टीकाकरण
अप्रेल, 1995	148	42	61	—
मई, 1995	96	37	45	—
जून, 1995	96	24	52	—
जुलाई, 1995	86	23	35	210
अगस्त, 1995	66	16	44	408
सितम्बर, 1995	76	13	50	—